राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का सतावनवां दिवस [संख्या: 21

सोमवार,

20 मार्च 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्रीमती शोभारानी कुशवाह। माननीय सदस्य, खाली प्रश्न पूछें। संख्या बोलो आप।

धौलपुर के राजकीय मेडिकल कालेज का नामकरण

400. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार शहीद छत्तर सिंह व पंचम सिंह की स्मृति में जिला धौलपुर के राजकीय मेडिकल कालेज का नाम शहीद छत्तर सिंह, पंचम सिंह राजकीय मेडिकल कालेज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री परसादी लाल): जी नहीं। धौलपुर के राजकीय मेडिकल कालेज का नाम शहीद छत्तर सिंह, पंचम सिंह राजकीय मेडिकल कालेज करने के संबंध में विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब पूछें आप।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि यह शहीद स्वतंत्रता सेनानी तसीमों गांव में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अपने सीने पर गोलियां खाईं। तसीमों गांव धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ी पंचायत है। इसमें वर्षों से मांग चली आ रही है कि इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर यदि किसी सरकारी बिल्डिंग का नाम हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, यदि किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो कोई प्रवेश द्वार बन जाये। तसीमों गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, और जयपुर-धौलपुर हाई-वे पर है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रोहित बौहरा।

डीडवाना व मौलासर में बीज व उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

401. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा) (श्री चेतन सिंह चौधरी के स्थान पर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार डीडवाना एवं मौलासर तहसील मुख्यालयों पर बीज एवं उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी नहीं। राज्य में वर्तमान में बीज एवं उर्वरकों की गुणवत्ता जांच हेतु संभाग एवं जिला स्तर पर बीज - 07 व उर्वरक - 07 परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। तहसील मुख्यालय स्तर पर बीज एवं उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं है।

वर्तमान में डीडवाना एवं मौलासर तहसील मुख्यालयों पर बीज एवं उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, अब यह जिला भी बन गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष: जिले की घोषणा हुई है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जिले की घोषणा हो गयी।

श्री अध्यक्ष: बनने में टाइम लगेगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अब तो इस प्रयोगशाला को खुलवा दें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सही बात है कि जिला जब घोषित हो गया, तो जब जिला बनेगा तो यह सब चीजें हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गुरदीप सिंह।

भाखड़ा क्षेत्र में किन्नू के बागों को सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी

402. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में गंग कैनाल क्षेत्र के किन्नू के बागों को सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी दिया जाता है तथा भाखड़ा क्षेत्र के उक्त बागों के लिए सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो उक्त विसंगति के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री गुरदीप सिंह)

(2) क्या सरकार भाखड़ा क्षेत्र के सिंचाई से वंचित किसानों को किन्नू के बागों की सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) जी हां। गंगनहर प्रणाली के अन्तर्गत बागों हेतु अतिरिक्त पानी दिया जा रहा है। वर्ष 1945 में कैनाल हैड पर पानी की मात्रा का 01 प्रतिशत या कुल 27 क्यूसेक्स पानी बागों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरक्षित किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में आदेश दिनांक 16.10.1999 एवं 18.01.2011 के अनुसरण में गंगनहर प्रणाली में बागों को अतिरिक्त पानी दिया जा रहा है। भाखड़ा प्रणाली में पानी की बचत नहीं होने के कारण भाखड़ा परियोजना के अन्तर्गत बागों को अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाता है।

(2) भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में पानी की बचत नहीं होने के कारण बागों को सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी दिया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने बोला कि भाखड़ा के अंदर पानी की बचत नहीं है। अनेकों कालोनियां काटी हुई हैं। मेरे यहां जो टोटल बाग़ हैं 1,400 हैक्टेयर और 5,000 बीघे के करीब बाग़ हैं। ज्यादा नहीं हैं। अनेकों कालोनियां हैं, चाहे हनुमानगढ़ ले लो, संगरिया ले लो, पीलीबंगा ले लो, हर जगह कालोनियां काटी हुई हैं, बागों से ज्यादा कालोनियां काटी गयी हैं। उनका पानी कहां गया? वह बचत ही है। वह पानी निकालकर बागों को दे दो ताकि बाग़ बच सकें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पानी का निर्धारण हुआ था, जब डीपीआर बनी थी और उसके आधार पर ही हम पानी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास पानी नहीं है बल्कि इससे पानी की कमी हुई है। कई जगह पर कैनाल टूटी है, इसको हम ठीक कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास कोई बचत पानी की नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा की ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के कार्य

403. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत बरडोटी, श्रीरामपुरा, हबसपुरा, सीतारामपुरा तथा नरायना क्लस्टर के 53 गांवों में जल जीवन मिशन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम पंचायतों के जन-प्रतिनिधियों द्वारा उक्त कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की मांग की गई है? यदि हां, तो कब-कब व किसके समक्ष तथा सरकार द्वारा उक्त मांग पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, उत्तर। मंत्री जी। माननीय मंत्री जी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत बरडोटी, श्रीरामपुरा, हबसपुरा, सीतारामपुरा तथा नरायना क्लस्टर के 53 ग्रामों एवं विधान सभा क्षेत्र दूदू के 27 ग्रामों, कुल 80 ग्रामों को जल जीवन मिशन अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु बीसलपुर-नरेना-ममाना पेयजल योजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 20वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 के द्वारा राशि रुपये 73.93 करोड़ की जारी की गई थी। उक्त योजना को 2 पैकेजों क्रमशः विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 53 ग्राम (राशि रुपये 50.95 करोड़) एवं विधान सभा क्षेत्र दूदू के 27 ग्राम (राशि रुपये 22.98 करोड़) में विभक्त करने की अनुमति वित्त समिति की 773वीं बैठक दिनांक 06.05.2021 द्वारा जारी की गई। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 53 ग्रामों के पैकेज की तकनीकी स्वीकृति विभागीय तकनीकी समिति की 704वीं बैठक दिनांक 16.07.2021 के द्वारा राशि रुपये 40.59 करोड़ की जारी की गई थी। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 24.03.2022 को मैसर्स एम.एस. साइंटिफिक एण्ड एक्वा सिस्टम सिकन्दराबाद के पक्ष में जारी किया गया था, परन्तु संवेदक द्वारा अनुबंध स्थापित नहीं करने के कारण वित्त समिति की 808वीं बैठक दिनांक 23.07.2022 के द्वारा संवेदक के विरुद्ध आरटीटीपी अधिनियम 2012 के अन्तर्गत नियमानुसार शास्ति आरोपित की गई एवं फर्म को 01 वर्ष की

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अवधि के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित/विवर्जित (डिबार) किया गया। तत्पश्चात् उक्त 53 ग्रामों की पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु पुन: निविदा दिनांक 23.08.2022 को प्राप्त की गई। निविदा की वित्तीय बिड वित्त समिति की 825वीं बैठक दिनांक 29.11.2022 एवं वित्त विभाग से दिनांक 01.03.2023 को अनुमोदन उपरान्त दिनांक 14.03.2023 को मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में कार्यादेश जारी किये गये हैं। कार्यादेशानुसार कार्य को दिनांक 23.06.2024 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

(2) ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त योजना के कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु विभागीय अभियन्ताओं के समक्ष की गई मांगों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

योजना के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 14.03.2023 को मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में कार्यादेश जारी किये गये हैं। कार्यादेशानुसार कार्य को दिनांक 23.06.2024 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

(3) उक्त 53 ग्रामों की पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में कार्यादेश दिनांक 14.03.2023 को जारी कर दिये गये हैं। कार्यादेशानुसार कार्य को दिनांक 23.06.2024 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 11 फरवरी, 2021 को आपने जो स्वीकृति निकाली है और वर्क आर्डर 14 मार्च को दिया है, प्रश्न लगने के बाद 2023 में। यह लगभग 2 साल से ऊपर की डिले हैं, इसमें डिपार्टमेंट की, बड़े अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? कोई दोषी भी है या नहीं है? सरकार ऐसे ही काम करती है सवा 2 साल तक? पहले इसका जवाब दें, फिर मैं दूसरा पूछूंगा।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही, यह सही है कि 2 साल में इसका

(डा. महेश जोशी)

वर्क आर्डर दिया गया क्योंकि पहले जिस कंपनी को वर्क आर्डर दिया था, उसने अनुबंध करने से मना कर दिया। जो प्रक्रिया का समय है वह हमें लगाना ही पड़ता है। हम किसी को एकदम से, बिना प्रक्रिया अपनाये डिबार नहीं कर सकते। बाद में उस कंपनी को डिबार किया। उसकी जो अर्नेस्ट मनी थी वह भी हमने फोरफिट की। उसको एक साल के लिए काम देने से भी डिबार किया। फिर हमने दूसरी कंपनी को काम दिया, यादव कस्ट्रक्शंस को।

यह लंबी प्रक्रिया है, एस एल एस एस सी में जाना पड़ता है। हमारी कोई योजना रिवाइज होती है तो हमको एस एल एस एस सी से परमिशन लेनी पड़ती है। नई ए एंड एफ निकालनी पड़ती है। हमें टेक्निकल सैंक्शन लेनी पड़ती है, हमको एफ डी सी लेनी पड़ती है। इस सबमें समय लगा है। फिर भी माननीय सदस्य को यदि यह शक है कि अनावश्यक रूप से या किसी अधिकारी की लापरवाही से समय लगा है, आप मुझे बतायेंगे, मैं जांच करा लूंगा और कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सरकार कैसे काम कर रही है, यह हमने देख लिया। अब मैं इतना-सा जानना चाहूंगा कि यह जो 11 पंचायतें हैं और 80 गांव हैं, जो ढाई साल से वंचित हैं, कोई भी सरकार की योजना इसमें काम नहीं कर रही। आपका टेंडर हुआ नहीं। आपका डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इनमें अभी आने वाली गर्मी को देखते हुए कोई हैंडपम्प, कोई मेंटिनेंस का सामान, कोई पाइपलाइन, कोई अतिरिक्त संसाधन जो चाहिए, यह काम भी आप कब चालू करेंगे, यह भी बतायें और इनको कुछ अतिरिक्त सामान देंगे क्या? वह गांव ढाई साल से पानी से वंचित हैं।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने हर विधान सभा क्षेत्र को 10 नलकूप और 40 हैंडपम्पों की घोषणा बजट में की है। जहां आवश्यकता पड़ेगी, वहां हम इससे भी ज्यादा देंगे। जो आप अपनी आवश्यकता बतायेंगे उसके अनुरूप हम आपके सैंक्शन करेंगे।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अंतिम पूछूंगा कि जो वर्क आर्डर आपने 14.03.2023 को दे दिये अभी, अब कृपया करके इतना-सा बता दें कि काम शुरू कब हो जायेगा? अंतिम तारीख बता दें कि इस तारीख से काम शुरू हो जायेगा इन 80 गांवों का। यह बता दें।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्क आर्डर दिया है। जिस वर्क आर्डर की आप बात कर रहे हैं, अप्रैल में उसका काम शुरू हो जायेगा। जो 2 गांव आपकी चिंता में हैं, मंडा भीमसिंह और रलावता, उन दोनों के भी हमने 18 तारीख को टेंडर कर दिये हैं। 20 दिन टेंडर का समय होता है। 10 तारीख तक टेंडर सब्मिट किये जा सकते हैं। 11 अप्रैल को वह टेंडर खोले जायेंगे। उनका भी यथाशीघ्र जो प्रक्रिया है, उसको अपनाकर काम दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोगेश्वर गर्ग।

जालौर में किसानों की ऋण माफी

404. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2019 में किसानों का ग्राम सेवा सहकारी समितियों से लिया गया ऋण माफ करने की घोषणा की गई थी? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र जालौर में कार्यरत सहकारी समितियों ने कृषकों को दिये गये ऋण माफ किये जाने की प्रक्रिया के तहत ऋणी कृषकों की सूचियां ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी थीं? यदि हां, तो क्या जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा उक्त सूचियों को स्वीकृत करते हुए आगे भिजवा दी गईं थीं व उक्त सूची को उक्त बैंक के मुख्यालय ने माह दिसम्बर, 2022 तक स्वीकार नहीं किया? यदि हां, तो उक्त समितियों का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) जिन कृषकों की ऋण माफी की स्वीकृति केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा नहीं दी गई, क्या उक्त कृषकों के ऋण खाते में ऋण माफ नहीं हुआ? यदि हां, तो क्या उक्त को पुन: ऋण स्वीकृत किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 की प्रति परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) जी हां। केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जालौर की सायला, मेंगलवा व जालौर शाखाओं द्वारा 10 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 24

(सहकारिता मंत्री)

कृषकों की सूचना केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जालौर के मुख्यालय को भिजवा दी गई थी, जिनकी स्वीकृति दिनांक 31.12.2022 तक नहीं की गई थी। दिनांक 13.03.2023 तक इन सभी 24 कृषकों का ऋण माफ करने की कार्यवाही संपादित कर दी गई है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। जालौर बैंक प्रधान कार्यालय की आईडी पर लम्बित उक्त 24 कृषकों की सूचनाएं सत्यापित कर ऋण माफी की जा चुकी है। उक्त कृषकों द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो आपने सूची दी है यह केवल हैड आफिस लेवल पर निपटाये गये केसों की है, वह भी मेरा प्रश्न लगने के बाद निपटाये हैं, लेकिन जांच ब्रांच लेवल पर पैंडिंग हैं, सोसायटी और हैड आफिस के बीच में एक इकाई ब्रांच है। ब्रांच लेवल पर कितने केस पैंडिंग हैं? आप जानकारी देंगे?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): कौनसे केस? माननीय सदस्य, कौनसे केस?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जो चाह रहे हो, उसका निराकरण हो गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): नहीं हुआ। नहीं हुआ, सर। ब्रांच लेवल पर पैंडिंग हैं।

श्री अध्यक्ष: यह ब्रांच लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है। माननीय सदस्य, आप रुकें। ब्रांच लेवल पर कोई सिस्टम है क्या? यह कह रहे हैं कि केन्द्रीय बैंक की कोई ब्रांच है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): मैं जागरूक सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जालौर जिले में 78,979 किसानों के ऋण माफ किये थे, उसमें से केवल 24 गलती से बाकी रह गये थे। जो भी अब आपने जाकर उठाया। इसमें जिसने भी इन 24 किसानों के प्रति लापरवाही की, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश भी दे दिये गये हैं। ऋण माफी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है। और भी कोई केस बतायेंगे तो उन पर तुरंत कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सर, सर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): एक ब्रांच के 500 केस पैंडिंग हैं।

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर देना। कह दिया। Please give him in writing. आप लिखकर दें न, मना कर रहे हैं क्या? Please give in writing.

अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

दूदू में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

405. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर) (श्री बाबूलाल नागर के स्थान पर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्रता रखने वाले परिवारों को जोड़ने के लिए अभियान चलाकर प्रारम्भ की गई प्रक्रिया में विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील दूदू, फागी व मौजमाबाद में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? तहसीलवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से लाभान्वित होने की क्या पात्रता है व किस-किस श्रेणी के लोगों को उक्त योजना से लाभान्वित किया जाता है?

(3) विधान सभा क्षेत्र दूदू के कार्यक्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों में लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी के कितने परिवारों को उक्त योजना से लाभान्वित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) नये परिवार जोड़ने के क्रम में विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील दूदू, फागी व मौजमाबाद में प्राप्त आवेदनों का तहसीलवार संख्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है-

तहसील	कुल प्राप्त आवेदन
फागी	1682
दूदू	2310
मौजमाबाद	1917
योग	**5909**

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता निर्धारण किये जाने हेतु समावेशन/निष्कासन मापदण्डों के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है, उक्त अधिसूचना में अंकित श्रेणियों के अनुसार चयनित पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित किया जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र दूदू के कार्यक्षेत्र में खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों में लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी के परिवारों को खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित करने की संख्या शून्य है। वर्तमान में लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी को जोड़े जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाह रहा हूं कि क्या वे बता सकते हैं कि कितने किसानों को आपने लाभ दिया है? उसकी कोई लिस्ट है? लिस्ट है तो सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न दोबारा पूछें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय मंत्रीजी ने खण्ड 3 में कहा है कि सभी लघु और सीमांत किसानों को लाभांवित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लिस्ट जानना चाह रहा हूं कि वह लिस्ट कितने लोगों की है, वह लिस्ट सदन पटल पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

अगला प्रश्न। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा में गैर-खातेदारों को खातेदारी अधिकार

406. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की तहसील पीलीबंगा, रावतसर व हनुमानगढ़ में कुल कितने गैर-खातेदार हैं जिनकी समस्त भूमि की किस्त राजकोष में जमा है? उक्त की अंतिम किस्त जमा कराने की दिनांक व गैर-खातेदार रहने के कारण सहित संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गैर खातेदारों द्वारा भूमि की कीमत राजकोष में जमा कराने के

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

पश्चात् कितने वर्षों बाद खातेदारी देने का प्रावधान है? यदि तय समय-सीमा में खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं तो सरकार द्वारा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उपनिवेशन मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा से सम्बन्धित तहसील पीलीबंगा में 226, तहसील रावतसर में 89 व तहसील हनुमानगढ़ में 6, इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा से सम्बन्धित कुल 321 ऐसे गैर खातेदार हैं, जिनकी अन्तिम किस्त राजकोष में जमा हो चुकी है, ऐसे गैर खातेदारों की अंतिम किस्त जमा करवाने की दिनांक व गैर खातेदार रहने के कारण सहित संख्यात्मक तहसीलवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य शर्तें) 1955 की शर्त संख्या 9 के अनुसार आबंटन तिथि या आबंटी को आबंटित भूमि का कब्जा देने की तिथि, जो भी बाद में हो, के तीन वर्ष पश्चात् समस्त राशि जमा होने तथा आबंटन शर्तों की पालना होने पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान है। खातेदारी अधिकार दिया जाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार पात्र प्रकरणों में खातेदारी दी जाती है। वर्तमान में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, काश्तकार का बेटा हूं और मुझे इस बात का दुख है कि इस पवित्र सदन में, यह मेरे पास पिछले साल का प्रश्न है जिसमें उन्होंने पीलीबंगा में 676 पैंडिंग खातेदारी बताई थी और 619 रावतसर में बताई थी। अब इन्होंने कहा कि पीलीबंगा में 226 और 89 रावतसर में बकाया है, जबकि 43 पीलीबंगा में दी, 16 रावतसर में दी, उसमें भी 6 नोहर की जोड़ दी।

माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि यह काश्तकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है जबकि इन्होंने फिर उत्तर दिया है कि तरमीम नहीं हुई है। तरमीम करने वाले कौन हैं? पटवारी और वही हैं। उसमें इन्होंने आब्जेक्शन लगा दिया। मैंने पूछा कि कितने आदमियों ने पैसे भर दिए, पैसे लगभग भरे हुए हैं, तरमीम भी यही करते हैं, तरमीम के बाद भी यह खातेदारी दी हुई है। दी हुई है। पैसे देते हैं, उसको खातेदारी दे देते हैं और नहीं देते हैं उनको

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

खातेदारी नहीं देते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, काश्तकार का बेटा हूं, काश्तकार की पीड़ा है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य बता रहे हैं कि प्रश्न के उत्तर में संख्या अलग है, दूसरे प्रश्न में संख्या अलग है। काश्तकार को इसलिए अधिकार नहीं मिलता है कि अधिकारी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। क्या इसकी जांच करवाकर इनके जिनके काश्तकार के पैंडिंग हैं, उनको रिलीफ दिलाएंगे?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे खातेदारी एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में एक संख्या बताई है, दूसरे प्रश्न के उत्तर में दूसरी संख्या बताई है। इसका मतलब विभाग में कहीं न कहीं इसके बीच में अंतर है। यदि यह अंतर है तो माननीय सदस्य की जो भावना है उसके अनुसार अधिकारियों को बैठकर जितने काश्तकार की ड्यू हैं, उनका खातेदारी अधिकार देने का काम करें।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य की जो चिंता है बिलकुल वाजिब है। मैं मानता हूं, पर इसमें जो इन्होंने संख्या बताई है, अभी वर्तमान में हमारे पास जो संख्या है वो ब्यौरा हमने इनको दिया है। अगर इनको लगता है कि संख्या में कोई फर्क आ रहा है तो बाकायदा हम उसकी जांच करवा लेंगे, राज्य स्तर पर कमेटी बना देंगे, कमेटी वहां जाकर जांच कर लेगी कि वास्तव में वहां इस प्रकार के कितने प्रकरण हैं, निस्तारण योग्य कितने हैं, वो कमेटी जांच कर लेगी। इसमें हमारी तरफ से जब से आपका प्रश्न लगा है, हमने जिला कलेक्टर को वैसे ही निर्देश दे दिए हैं, तो अप्रैल से ही ये कैम्प लगना शुरू हो जाएंगे, उसमें जितने भी गैर खातेदार लोग हैं, उनका नियमानुसार परीक्षण करवाकर उसमें कार्यवाही करेंगे।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठें। इतनी बड़ी रिलीफ के बाद यह क्या है? जब आपको कह दिया है इन्होंने।

अगला प्रश्न। श्री संदीप कुमार।

तिजारा के सिथल एवं थडा ग्रामों में गंदे पानी की समस्या

407. श्रीमती मंजु देवी (जायल) (श्री संदीप कुमार के स्थान पर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र तिजारा के ग्राम सिथल व थडा में औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के गंदे पानी की समस्या के समाधान का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय उद्योग मंत्रीजी।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिथल एवं थडा में औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में उत्पादनरत इकाइयों द्वारा कोई गंदा पानी नहीं छोड़ा जा रहा है।

सरकार/रीको विधान सभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में उत्पादनरत इकाइयों से उत्सर्जित होने वाले गंदे पानी की समस्या के समाधान का विचार रखती है।

औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में उत्पादनरत इकाइयों से उत्सर्जित होने वाले गंदे पानी के उपचार हेतु वर्तमान में 9 एम.एल.डी. क्षमता का संयुक्त उपचार संयंत्र स्थापित एवं संचालित है। संचालन लाभान्वित इकाइयों द्वारा गठित एस.पी.वी. भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। उक्त संयुक्त उपचार संयंत्र के उन्नयन का कार्य भी प्रगति पर है। उन्नयन के उपरान्त उपचारित जल इकाइयों द्वारा ही पुनः उपयोग लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वाजिब अली। श्री जे.पी. चन्देलिया।

सीकरी (नगर) उपखण्ड में बस स्टैंड

408. श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी) (श्री वाजिब अली के स्थान पर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर के उपखण्ड सीकरी में बस स्टैंड की क्या स्थिति है व उक्त पर कितनी रोडवेज बसों का ठहराव हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सीकरी में बस स्टैंड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

(3) वर्तमान में सीकरी बस स्टैंड से कितनी रोडवेज बसें कहां-कहां के लिए संचालित हो रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: परिवहन मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) नगरपालिका, सीकरी के अनुसार नगरपालिका, सीकरी क्षेत्र में बस स्टैंड के लिए भूमि उपलब्ध है परन्तु बस स्टैंड स्थापित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र नगर में उपखण्ड सीकरी में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्वामित्व का कोई बस स्टैंड नहीं है। निगम बसों का संचालन नगर-पहाड़ी मुख्य मार्ग पर नगरपालिका के बस स्टैंड हेतु प्रस्तावित भूखण्ड के बाहर सड़क किनारे से किया जाता है।

उपखण्ड सीकरी में निगम की 17 बसें ठहराव करती हैं।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण उपखण्ड सीकरी में निगम का बस स्टैंड बनाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की उपखण्ड सीकरी होकर संचालित बसों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहता हूं कि सीकरी एक डवलपिंग टाउनशिप है, आपने कह दिया कि कोई विचार नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे कभी इसके लिए जो योजना बनाएंगे कि बस स्टैंड कहां-कहां बनेगा, उसके लिए सीकरी को शामिल किया जाएगा?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): ज्यों ही हमारी तरलता बढ़ेगी, हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे, इस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास कोष की स्थापना

409. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास कोष को स्थापना से माह दिसम्बर, 2022 तक प्रतिवर्ष कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विकास कोष से उक्त अवधि में किन-किन कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई एवं उक्त कार्यों की भौतिक प्रगति क्या है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) राजस्थान अनुसूचित जनजाति विकास कोष की स्थापना से वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 29.07 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 में अब तक राशि रुपये 230.50 करोड़ उपलब्ध कराई गई।

अनुसूचित जाति विकास कोष से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इस कोष के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 21.32 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 में 67.36 करोड़ उपलब्ध कराई गई।

(2) जनजाति विकास कोष अन्तर्गत योजनाओं में उपलब्ध एवं व्यय की गई राशि तथा भौतिक प्रगति का वर्षवार कार्यवार विवरण वर्ष 2021-22 का परिशिष्ट 'अ' एवं वर्ष 2022-23 का परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति विकास कोष अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 9.67 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 0.13 करोड़ व्यय किये गये। भौतिक प्रगति की सूचना परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो बजट की घोषणा इस कोष के लिए कितनी थी? फिर मैं आगे का प्रश्न पूछना चाहूंगी। (व्यवधान) बजट घोषणा कितनी थी इस कोष के लिए? (व्यवधान) बजट की घोषणा कितनी की थी आपने इस कोष के लिए?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, उपलब्ध करवायी हुई राशि बजट

(श्री अध्यक्ष)

घोषणा का ही पार्ट है, आप प्रश्न पूछें। 29 करोड़ रुपये बताये हैं 2021-22 में और 239 करोड़ रुपये बताये हैं 2022-23 में।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है, बजट की जो घोषणा थी वह 500 करोड़ रुपये है। मेरे पास बजट घोषणा का पेपर है, जिसमें यह लिखा है कि पिछले वर्ष, इस बार भी 500-500 करोड़ की गयी है, लेकिन पिछली बार भी बजट घोषणा 500 करोड़ की है और उससे पहले 100 करोड़ की बजट घोषणा थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सिर्फ इतनी-सी जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी कि इसमें व्यय की राशि 0.13 करोड़ है, मतलब पिछले साल सिर्फ 13 लाख रुपये लगे हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही सरकार की कि वह सिर्फ 13 लाख रुपये खर्च कर पायी?

एक और जानकारी मैं आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहूंगी, चूंकि इन्होंने आंसर में बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, समय ज्यादा व्यय नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट पूछूंगी कि छठे पाइंट पर इन्होंने परिशिष्ट-अ में लिखा है, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों की रैंकिंग सुधार हेतु सुविधाओं का विवरण, जिसमें सिर्फ 30 लाख रुपये दिये गये। ये 30 लाख रुपये आपने कहां दिये? राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में रैगर समाज का एक छात्रावास है, जिसमें मैं एमएलए कोष से भी पैसे देना चाह रही हूं, उन्हें जरूरत है, हम एमएलए कोष से भी नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग भी उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 30 लाख रुपये कहां पर लगे?

साथ ही, हमें प्लीज और राशि दें, क्योंकि अगर 500 करोड़ की बजट घोषणा है तो हमारे यहां भी छात्रावासों की हालत बहुत खराब है, हॉस्टल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्या हम इसमें कुछ सोच रहे हैं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति कोष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देखता है, जिसकी और जानकारी लेकर आपको उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, उत्तर देखें आप इनका।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत बात। आप सीनियर आदमी हैं, मंत्री को इंटरवीन कर रहे हैं। He has not yielded yet. आप खुद सीनियर आदमी हैं। गलत प्रैक्टिस न डालें, प्लीज। यह गलत तरीका है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों विभाग अलग-अलग हैं। जो जानकारी होगी, वह उपलब्ध करा दी जायेगी अनुसूचित जाति कोष में।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका सीधा प्रश्न है, रैगर समाज का हॉस्टल है, जिसमें उन्हें राशि की आवश्यकता है। आप सम्बन्धित विभाग को वह राशि ट्रांसफर करने की बात करें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): मैं पत्र लिखकर सम्बन्धित विभाग को राशि देने के लिए निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

गोलारी (धौलपुर) में 33 केवी जी एस एस की स्थापना

410. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार गोलाटी पंचायत समिति सरमथुरा जिला धौलपुर में 33 केवी जीएसएस खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): जनगणना, 2011 के अनुसार पंचायत समिति सरमथुरा जिला धौलपुर में गोलाटी नाम से कोई ग्राम अथवा ग्राम पंचायत नहीं है। यद्‌यपि पंचायत समिति सरमथुरा में ग्राम गोलारी स्थित है।

ग्राम गोलारी में नया 33/11 केवी सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव का सर्वे एवं तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। प्रस्ताव के साध्य पाये जाने पर स्वीकृति जारी कर निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम कब से स्टार्ट कर दिया जायेगा?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम गोलारी का अभी हमने प्रश्न लगाये जाने के बाद में सत्यापन करवाया है। गोलारी ग्राम राजस्थान-मध्य प्रदेश सीमा के पास स्थित है तथा एक ओर पहाड़ी डांग क्षेत्र भी है और उक्त 11 केवी फीडर के सुधार हेतु 2 टुकड़ों में विभक्त भी नहीं किया जा सकता है। यहां पर गोलारी में नया 33 केवी सब-स्टेशन फिजिबल है। जल्दी ही इसकी स्वीकृति जारी कर काम शुरू कर दिया जायेगा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 411

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री रामनिवास गावड़िया।

नागौर में शराब की अवैध बिक्री पर रोक

412. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में सरकार द्वारा आबंटित शराब की दुकानों के अलावा अन्य दुकानों में भी शराब की बिक्री हो रही है? यदि हां तो क्या सरकार उक्त दुकानों में शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त जिले में विगत तीन वर्षों में विभाग के पास ब्रांच खोलकर शराब बेचने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं व उक्त पर क्या-क्या कार्रवाई की गयी? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी नहीं। जिला नागौर में आबकारी विभाग द्वारा आबंटित मदिरा दुकानों के अतिरिक्त अन्य जगहों से शराब की बिक्री नही हो रही है। आबंटित दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थल से बिक्री पाये जाने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किये जाकर कार्रवाई की जाती है।

(2) विगत तीन वर्षों 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 (माह फरवरी, 2023 तक) में जिला नागौर में आबकारी विभाग के पास प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गयी कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, हर एक दुकान की दो-दो, तीन-तीन ब्रांचें हर एक गांव में चल रही हैं, क्या उन्हें बन्द कराने हेतु मंत्री जी कोई कार्य करेंगे?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो अवैध दुकानें पायी जाती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मेरा सभी

(श्री परसादी लाल)

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जिस किसी इलाके में ऐसी दुकानें हों, उनकी सूचना दें, उन पर तुरन्त कार्रवाई की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पुखराज।

बछड़ों के विक्रय व परिवहन पर रोक हटाने की कार्ययोजना

413. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2015 में बछड़ों की बिक्री, परिवहन आदि पर लगी रोक को हटाने से जुड़े विषय को लेकर तत्कालीन सरकार द्वारा मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या रिपोर्ट दी? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में उक्त रोक हटाने को लेकर न्यायालय के समक्ष कोई पैरवी की गयी है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार पशु मेलों का अस्तित्व बचाने हेतु बछड़ों के परिवहन, विक्रय आदि पर लगी रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। राज्य में "राजस्थान गो-वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995" में संशोधन हेतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति की रिपोर्ट परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। "राजस्थान गो-वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995" में संशोधन कर राज्य की गोवंशीय देशी प्रजाति के नर बछड़ों को कृषि एवं प्रजनन कार्यों हेतु दो वर्ष एवं दो वर्ष से अधिक की उम्र में राज्य के बाहर निर्यात करने की अनुमति दी जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संशोधन विधेयक को विधान सभा में पुर:स्थापित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के अन्तर्गत महामहिम राष्ट्रपति महोदय की पूर्व मंजूरी प्राप्त हो गयी है। संशोधन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) वर्तमान में प्रदेश के पशु मेलों में गो-वंशीय पशुओं के विक्रय एवं

(पशुपालन मंत्री)

राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन पर कोई रोक नहीं है। राज्य से बाहर केवल 3 वर्ष से छोटे गो-वंशीय पशुओं के परिवहन पर रोक है, जिनका सक्षम अनुमति प्राप्त कर परिवहन किया जा सकता है।

(रिपोर्ट पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि आपके बिन्दु संख्या 2 में जो जवाब दिया गया है, उसमें 2 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बछड़ों की कृषि व प्रजनन हेतु राज्य के बाहर निर्यात करने के लिए 1995 एक्ट में संशोधन की कार्यवाही जो प्रक्रियाधीन बतायी गयी है, उसमें राष्ट्रपति जी की मंजूरी किस दिनांक को मिली और सरकार कितनी समयावधि में संशोधन कर लेगी?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2000 के अनुसरण में अब तक कुल चार मंत्रिमण्डलीय उप-समितियां 05.05.2001, 12.06.2006, 19.06.2009 और 15.05.2015 को गठित हुई। अन्तिम समिति असम के राज्यपाल और तत्कालीन गृह मंत्री माननीय गुलाब चन्द कटारिया साहब की अध्यक्षता में गठित हुई, जिसने 12.09.2017 को बैठक कर अपनी अनुशंसा दी, जो विभाग को 26.10.2017 को प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर राज्य की गो-वंशीय देशी प्रजाति के दो वर्ष या दो वर्ष से अधिक उम्र के नर गो-वंश को राज्य से बाहर निर्यात की छूट दिये जाने हेतु अधिनियम में संशोधन की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस सरकार के कार्यकाल में कोई समिति गठित नहीं हुई। दूसरा, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त उक्त विधेयक विधि विभाग के माध्यम से विधान सभा में पुर:स्थापित किया जा सकेगा।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाह रहा था कि खण्ड दो में जो जवाब दिया गया है, उसमें संशोधन हेतु जो प्रक्रियाधीन बताया है, उसमें राष्ट्रपति जी से संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के अन्तर्गत मंजूरी ली गयी है। वह मंजूरी कब मिली? सरकार कब तक इसे लागू कर देगी?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पदमाराम।

चौहटन में नर्मदा नहर से सिंचाई हेतु क्षेत्र विस्तार

414. श्री पदमाराम (चौहटन): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर से सिंचाई हेतु क्षेत्र का विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व कौन-से क्षेत्र में? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नहर पर निर्मित पुलों का नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर से सिंचाई हेतु क्षेत्र विस्तार करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है, क्योंकि नर्मदा नहर परियोजना को आबंटित पानी के अनुसार नहरों का निर्माण किया जा चुका है।

(2) जी हां। नर्मदा नहर के पनोरिया वितरिका पर पांच पुलों के नवीनीकरण के कार्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में कराये जाने प्रस्तावित हैं।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पनोरिया लिफ्ट कैनाल जहां बनी हुई है उसके पूर्व और दक्षिण में तो जमीन सिंचित मान ली है, उत्तर और दक्षिण में एक इंच भी नहीं की, उसका क्या कारण है? आपने अपने जवाब में उसके विस्तार के लिए कहा है, "जी नहीं।" ऐसा क्यों? जिसकी जमीन एक्वायर हो गयी और वहां नहर बनी है, उस नहर में उत्तर और दक्षिण में एक इंच भी जमीन नहीं ली, तो उनकी जमीन एक्वायर करके वह नहर बन गयी और उनको पानी नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या विचार रखते हैं?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी चौहटन कैनाल के अन्तिम छोर पर है और इतना पानी उपलब्ध नहीं होने की वजह से टेल पर पानी हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

बाड़मेर जिले में मीठे पानी हेतु गहरे नलकूप खोदने की योजना

415. श्री अमीन खां (शिव): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमीन खां)

क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में 400-500 फीट तक पानी खारा होने के कारण तहसील गडरा रोड के गांव हमीरानी में किसानों द्वारा 1100 फीट गहरा नलकूप खुदवाया गया, जिसमें मीठा पानी आया? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 1000 फीट से ज्यादा गहराई पर नलकूप खोदने का विचार रखती है?

भू-जल मंत्री (डा. महेश जोशी): बाड़मेर जिले के सभी स्थानों पर 400 से 500 फीट तक खारा पानी नही पाया जाता है।

हमीरानी गांव (तहसील गडरा) में किसानों द्वारा 1100 फीट गहराई तक का नलकूप खुदवाया गया है। उक्त नलकूप से प्राप्त भूजल का रासायनिक गुणवत्ता विश्लेषण किया गया, जिसका टी.डी.एस. 2590 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित पेयजल मानकों के अनुरूप पीने योग्य नहीं है।

विभाग हमीरानी में 1100 फीट गहराई तक भू भौतिक सर्वे द्वारा भूजल गुणवत्ता का अध्ययन कर रहा है। भूजल की गुणवत्ता भारतीय पेयजल मानकों के अनुरूप पाये जाने पर उस स्थान पर नलकूप निर्माण पर विचार किया जायेगा।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो ट्यूबवैल और हैण्डपम्प की मांग की थी वह आपने स्वीकार कर दी, जिसके लिए आपको धन्यवाद।

मेरा एक सवाल है कि जीडब्ल्यूडी द्वारा गडरा रोड तहसील के गांव समेगातला, सरगूवाला और हमीरानी में ट्यूबवैल खोदकर उनको फेल बताया गया है कि यहां पर पानी नहीं है। एक काश्तकार ने एक हजार फीट ट्यूबवैल खोला उसमें अथाह और मीठा पानी आ गया, क्या यह सही है? सही है तो भविष्य में जीडब्ल्यूडी जहां पानी धरती में मिल रहा है वहां ट्यूबवैल खोदेगा या नहीं?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमीरानी के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा, मेरी जानकारी के हिसाब से तीन कृषकों ने अपने यहां 1100 फीट पर बोरिंग कराया। उनमें से हमने एक का मानक परीक्षण कराया जो 2590 मिला। आमतौर पर जो सबसे

(डा. महेश जोशी)

अच्छा पानी होता है वह मानक के हिसाब से 500 के आसपास होता है और उसको मानते हैं पर दो हजार तक का परमिशेबल होता है। दो हजार से ऊपर जिसमें टीडीएस होता है उसको हम पेयजल के अनुरूप नहीं मानते। उन तीन में से एक नलकूप के जल की गुणवत्ता का परीक्षण करवाया, उसमें जैसा मैंने प्रश्न के जवाब में बताया कि 2590 टीडीएस मिला है, तो वह पीने लायक नहीं है, क्योंकि वे एक ही ब्लाक हैं इसलिए एक का कराया पर फिर भी अगर माननीय सदस्य के मन में कोई शंका है तो बाकी जो बचे हुए नलकूप का भी करा लेंगे और अगर वहां पर मीठा पानी मिलता है तो हमें वहां ट्यूबवैल खुदवाने में कोई परेशानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नारायण बेनीवाल।

सहकारिता विभाग में विभिन्न कैडर रिव्यू की कार्ययोजना

416. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विभाग में विभिन्न पदों का कैडर रिव्यू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सहकारिता निरीक्षक से सहायक रजिस्ट्रार की पदोन्नति का अनुपात 50:50 से बढ़ाकर 80:20 करने व ग्रेड-पे 4800 करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सहकारिता निरीक्षकों को सहायक पंजीयक के पद पर नियमित पदोन्नति (अधिकतम 8 वर्ष) करने के लिए नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। राजस्थान सहकारिता सेवा के निम्नांकित पदों का कैडर रिव्यू प्रक्रियाधीन है:-

1. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सीनियर स्केल)
2. अतिरिक्त रजिस्ट्रार
3. संयुक्त रजिस्ट्रार
4. उप रजिस्ट्रार
5. सहायक रजिस्ट्रार

(सहकारिता मंत्री)

सहकारी अधीनस्थ सेवा संवर्ग, मंत्रालयिक संवर्ग एवं निजी सचिव संवर्ग के कैडर रिव्यू पूर्व में हो चुके हैं।

(2) जी नहीं। राजस्थान सहकारिता सेवा नियम, 1954 के नियम 7 के अनुसार सहायक रजिस्ट्रार की कुल स्वीकृत स्ट्रैन्थ का 50 प्रतिशत पदोन्नति से व 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है। लगभग सभी राज्य सेवाओं में पदोन्नति का 50:50 का ही प्रावधान है। उक्त प्रावधान को बढ़ाकर 80:20 करनें एवं निरीक्षक की ग्रेड पे 4800 किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा नियम, 1955 के नियम-7 (परिशिष्ट-1) के अनुसार निरीक्षक ग्रेड-द्वितीय से निरीक्षक ग्रेड-प्रथम के पद पर 5 वर्ष का अनुभव तथा राजस्थान सहकारी सेवा नियम 1954 के नियम-7 (परिशिष्ट-2) के अनुसार निरीक्षक ग्रेड-प्रथम से सहायक पंजीयक के लिए 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय है। पदों की उपलब्धता के आधार पर पदोन्नति की जाती है। अतः नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इतना अच्छा प्रश्न है, आपका उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया इन्होंने। प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि नियम 7 के अनुसार इंस्पेक्टर फर्स्ट ग्रेड से ए.आर. पद हेतु 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और सरकार द्वारा 2001 के बैच वाले इंस्पेक्टर को 2022 में प्रमोशन दिये हैं और 2012 वाले बैच को प्रमोशन आज तक नहीं दिया, तो क्या यह नियम 7 आप अपने विभाग में लागू करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): नियम सभी विभागों में 5 साल में प्रमोशन का 50:50 का है और इसमें भी 5-5 साल का गैप है और उसी अनुसार यह हो रहा है, पर फिर भी कोई त्रुटि हुई है तो उसको दिखवा लिया जाएगा।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, जब सरकारें थीं तो वेतन विसंगतियों को लेकर सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी, दो कमेटियों को बनाया और उन्होंने जो आपको रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट को आप कब तक

(श्री नारायण बेनीवाल)

लागू करेंगे? इंस्पेक्टर्स की जो वेतन विसंगति है, उसके बारे में मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसको कब तक आप लागू कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: पदोन्नति से वेतन विसंगति पर आ गये। पदोन्नति का प्रश्न है और वेतन विसंगति पर कहां आ गये आप? माननीय मंत्री जी, जवाब देना चाहें तो दें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जिस कमेटी की बात कर रहे हैं वह कमेटी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ये जानकारी में लाये हैं तो इनको दिखवाकर इनको सूचित कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल विश्नोई।

फलौदी में खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवार

417 श्री बिहारीलाल (नोखा) (श्री पब्बाराम के स्थान पर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक किस-किस गांव एवं वार्डों में कितने परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त योजना में निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले परिवारों को भी जोड़ने की प्रक्रिया पर पूर्णतया रोक लगा रखी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय खाद्य मंत्री जी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पब्बाराम जी का है।

श्री अध्यक्ष: जरूरी नहीं, दूसरे सदस्य पूछ सकते हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैंने सोचा कि पब्बाराम जी बोलेंगे इसलिए ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: कभी-कभी मंत्री जी को पता लगना चाहिए कि दूसरे भी प्रश्न पूछ सकते हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

दिसम्बर, 2022 तक ग्राम पंचायत वार्डवार जोड़े गये परिवारों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की क्रियान्विति के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2022 व दिनांक 13.05.2022 को मध्यरात्रि से 28.05.2022 मध्यरात्रि तक खोला जाकर आवेदन पत्र प्राप्त किये गये नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद संभव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सवाल फलौदी के बारे में पूछा है और परिशिष्ट-1 में जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है उसमें सीरियल नम्बर 01 पर फलौदी के वार्ड नम्बर 34 में 15 आवेदनकर्ताओं को अप्रूव्ड किया गया है और उसी पन्ने में 34 नम्बर क्रम पर फलौदी के उसी 34 नम्बर वार्ड में एक एनएफएसए को अप्रूव्ड किया गया तथा क्रमांक 43 पर पोकरण के 15 नम्बर वार्ड की जानकारी दी गयी है। मैंने फलौदी के बारे में प्रश्न पूछा है और उसमें हमारी 99 ग्राम पंचायतें हैं। दूसरे पेज में जो जवाब दिया गया है उसमें लोहावट विधान सभा क्षेत्र की 41 ग्राम पंचायतों का भी उल्लेख कर दिया गया है जबकि फलौदी की आधी ग्राम पंचायतों का उल्लेख छूट गया है और यह जवाब माननीय मंत्री जी को अधिकारियों ने बनाकर दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि प्रक्रियाधीन है और डेढ़ महीने पोर्टल खुला रहा, उसमें जो आवेदन आये वे प्रक्रियाधीन हैं, तो इनमें कितने कुल आवेदन आपके पास आये, कितने आवेदन स्वीकृत कर दिये और कितने अस्वीकृत कर दिये? जो अस्वीकृत हुए हैं और पेंडिंग पड़े हैं, उनको कब तक स्वीकृत कर देंगे? यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप तो वैसे भी प्रोफेसर हैं और मैं आपसे कहूंगा कि हम सबको एक ज्ञान जरूर दें। हम इसी में लगे रहते हैं कि किस नम्बर पर क्या आ गया। प्रश्न का सीधा-सीधा पूरा जवाब दिया गया है और आप दूसरे माननीय सदस्य का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें यह भावना समझो कि जो पोर्टल खोला गया वह भारत सरकार ने नहीं खोला है, राजस्थान की सरकार ने बजट घोषणा के अनुसार खोला है। (व्यवधान) धमका नहीं रहा हूं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य रामलाल जी, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ क्यों याद कर रहे हो? बोलने दो उनको। प्लीज। माननीय मंत्री जी, प्लीज।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं और, अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बीच में रिक्वैस्ट है कि आज आप इन सबको यह भी बता देना कि आप प्रोफेसर रहे हैं और कितने पढ़े-लिखे हैं, जिससे सबको पता चल जाए। मैं इसलिए यह बात बीच में बोल रहा हूं क्योंकि यह बहुत सीरियस इश्यू है। पोर्टल खोला गया, पोर्टल में प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया में यदि आपके पास कोई सुझाव हैं... (व्यवधान) मुरारी लाल जी, मुझे बोल लेने दो।

श्री अध्यक्ष: आपस में फैसला कर लो कि कौन बोलेगा और कौन बीच में डिस्टर्ब करेगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वे बात कर रहे हैं।

मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह मामला इतना सीरियस है और आपको कहीं लगता है, अध्यक्ष जी, पूरे राजस्थान में जहां-जहां पहले नाम जोड़े गये थे तो कुछ जगह तो हंड्रेड परसेंट नाम जुड़ गये, कुछ जगह पर बहुत ज्यादा जुड़ गये और कई जगह पर बहुत कम रह गये तो इसमें हमने अबकी बार जिनको प्रायोरिटी दी वह समझ लो। हमने घुमन्तू जातियों को प्रायोरिटी दी जिसके पास एक बीघा जमीन नहीं है, उसके पास दाह संस्कार करने के लिए श्मशान नहीं है। अबकी बार मैंने उनसे स्पेशियली कहा कि आप उन घुमन्तू जातियों को ले लो, आज यहां बैठी हैं, कल वहां बैठी हैं और बिलकुल गरीब के लिए योजना बनायी गयी है। फिर भी आपको लगता है कि कोई कमी रह गयी तो बतायें।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

आज तक एक भी विधायक आकर स्पेशियली मिला हो कि इसमें ऐसा कर दो, मेरे अधिकारी ऐसे नहीं कर रहे हैं और मैं यह चाहता हूं, तो एक ने भी कहा हो तो खड़ा होकर बता दें। मैं करवाऊंगा, मैं जुबान दे रहा हूं आपको। कोई बढ़िया सुझाव हो तो लाओ तो सही, यह तो बहुत बढ़िया काम है तथा और भी कुछ करना चाहते हो तो, अध्यक्ष जी, 200 विधायक आपके नेतृत्व में सी.एम. साहब से मिलो और इसकी संख्या बढ़वाओ जिससे राजस्थान को फायदा होगा क्योंकि जब ये परिवार हमने जोड़े हैं तो उसके अलावा भी जोड़ने के लिए हम तैयार हैं और लोगों की डिमांड है तो आप इसमें हमारी मदद करो। इसमें अध्यक्ष जी को भी साथ लो बाकी यहां क्या लिख दिया, वहां क्या लिख दिया, वह तो बता देना, ठीक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप जनरल बात कर रहे हो, वह अलग बात है। प्रश्न बहुत रिलेवेंट है फलौदी के सम्बन्ध में। मैं खुद भी एक क्षेत्र का विधायक हूं, जो हो रहा है उसको समझें। जो आदमी एप्लीकेशन देता है वह ई-मित्र पर अटक जाता है। ई-मित्र वाला वहां पर एप्लीकेशन पहुंचाता नहीं है। उस गरीब आदमी को मालूम है कि मैंने एप्लाई कर दिया है, ई-मित्र से एसडीएम साहब के पास नहीं जाता है तो वह एप्लीकेशन वहीं पेंडिंग रह जाती है और जब पेंडिंग रह जाती है तो एडीएम वापस वैरिफाई करने के लिए पटवारी के पास भेजता है। जितनी एप्लीकेशंस हैं उतनी एप्लीकेंशस का डिस्पोजल नहीं हो रहा है। आप विभाग को निर्देश दें कि जितने भी ई-मित्र हैं, जितने भी उनके पास हैं, जिस डेट तक उनके पास आ गये हैं, उन केसेज को टाइमली डिस्पोज करें, जिससे उनका नाम जुड़ सके।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने जो सुझाव दिया है वह बिलकुल ठीक है। हम डायरेक्शन देंगे, मैंने स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दिये भी हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आज आपको बता दूं, इसमें प्रॉब्लम यह आ रही है, यह जो कैटेगरी वाला मामला आ रहा है, उसमें मैंने बार-बार साफ कह दिया है कि जिसने एप्लाई कर दिया है, हमने लगभग 01 करोड़ नाम काटे हैं, ऐसे लोग भी एप्लाई कर देते हैं, जो कि उसमें आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपने जो सुझाव दिया है, उसमें मैं गारंटी से कह रहा हूं, यदि कोई एमएलए सुझाव देगा, एक भी आदमी जो पीड़ित है और जिसको जरूरत है, वह अबकी बार इसमें वंचित नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष: अगल प्रश्न। रामनारायण मीना।

गणेशगंज जलोत्थान सिंचाई परियोजना में धोरों का निर्माण

418. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चम्बल दायीं मुख्य नहर से निकल रही गणेशगंज जलोत्थान सिंचाई परियोजना के धोरा निर्माण हेतु पत्रांक 193-97 दिनांक 21.07.2022 से निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण जयपुर को प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई व यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है उक्त परियोजना में धोरे निर्मित नहीं होने से पानी का दुरुपयोग हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, कोटा द्वारा गणेशगंज जलोत्थान सिंचाई परियोजना अन्तर्गत पीपल्दा तहसील के 9 गांवों के 2665.58 हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में नये धोरे निर्माण करवाये जाने हेतु उक्त गांवों को राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने हेतु पत्र संख्या 1193-97 दिनांक 21.07.2022 द्वारा निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग जयपुर को प्रेषित किया गया था। (परिशिष्ट-अ) निदेशालय, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर द्वारा पत्रांक 10459-65 दिनांक 13.12.2022 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, कोटा से टिप्पणी चाही गई। उन्होंने अपने पत्र संख्या 2693-95 दिनांक 03.01.2023 (परिशिष्ट-ब) द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण की मार्गदर्शिका पत्रांक 5757-5928 दिनांक 01.09.2022 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा ग्राम पंचायत झटवाड़ा, खातौली एवं निमोला के 13 गांवों (परिशिष्ट-स) को सम्मिलित किया गया है। इसमें गणेशगंज जलोत्थान सिंचाई परियोजना अन्तर्गत पीपल्दा तहसील के 9 गांव सम्मिलित नहीं हैं।

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

(2) उक्त परियोजना के 175 आउटलेट (परिशिष्ट-द) में धोरे नहीं बने होने के कारण किसान अपने स्तर से अस्थायी धोरे बनाकर अपने खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। इसके कारण से सिंचाई क्षमता अपेक्षाकृत कम रहती है। पानी की बचत एवं सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु खेत सुधार कार्यों के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में बिन्दु संख्या 173 (VI) (परिशिष्ट-य) के अनुसार कोटा जिले की पीपल्दा तहसील के 9 गांवों की 2665.58 हैक्टेयर व बारां जिले की मांगरोल तहसील के 17 गांवों की 4294.42 हैक्टेयर, कुल 6960.00 हैक्टेयर सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र में गणेशगंज जलोत्थान सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत धोरा निर्माण का कार्य आगामी तीन वर्षों में करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि क्या 30 साल से ऑन रिकार्ड किसानों द्वारा इस लिफ्ट सिंचाई योजना गणेशंगज के लिए धोरा निर्माण की मांग की जा रही है और क्या यह भी सही है कि अपन चार साल से इस विधान सभा में बैठे हैं? यहां भी प्रतिवर्ष इस प्रश्न का जवाब मैंने मांगा है और आपने मुझे 2020 में भी लिखकर दिया है, 2021 में भी लिखकर दिया है, दिनांक 31.07.2019 को भी लिखकर दिया है कि इसका प्रयास किया जा रहा है। कभी कहते हैं कि इसका जल्दी निर्माण करा देंगे।

माननीय मंत्री महोदय, फिर भी आप तीन साल का समय मांग रहे हो। क्या आप किसानों के हित में, जहां पानी बिलकुल बर्बाद हो रहा है, एक तरफ बूंद-बूंद की बात करते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि क्या आप इसको शोर्ट टाइम पर, जब घोषणा हो गई, आपने बजट में इसका कहीं पर भी नाम नहीं लिया, आपने बजट की कापी लगा दी, क्या इसको कुछ महीने में पूरा करवा देंगे? इतना-सा मेरा निवेदन है।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हैं। इनकी बात सही है, लम्बे समय से इस

(श्री शाले मोहम्मद)

इलाके से मांग आ रही है। आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी लम्बे समय से की जा रही मांग को मुख्य मंत्री जी ने पूरा किया है।

मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसकी टेंडर प्रक्रिया हम जल्दी शुरू करवाकर मई के अन्दर इसका काम शुरू करवा देंगे। हमारा प्रयास रहेगा, हमने तीन साल का टाइम दिया है, जैसे ही मई में काम शुरू होगा तो जल्दी से जल्दी पूरा कराने का प्रयास करेंगे।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): कब तक पूरा करवा देंगे? इतना-सा और बता दें।

श्री अध्यक्ष: जल्दी से जल्दी बोला है। माननीय सदस्य, आपकी 30 साल की समस्या है, जल्दी से जल्दी कर रहे हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष जी, बार-बार यही कहते आये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप ध्यान दें।

अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ के सिंगोली श्याम चारभुजानाथ मन्दिर का विकास

419. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के सिंगोली ग्राम में स्थित प्राचीन सिंगोली श्याम चारभुजानाथ मंदिर के दानपात्र की राशि प्रत्येक माह विभाग द्वारा एकत्रित की जाती है? यदि हां, तो दिनांक 01 जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक उक्त मंदिर के दानपात्र से कुल कितनी राशि एकत्रित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा उक्त प्राचीन मंदिर के महत्व को देखते हुए लम्बे समय से कोई विकास कार्य नहीं करवाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मंदिर के संरक्षण एवं विकास से संबंधित कार्यों का जिम्मा विभाग से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) जी नहीं। मंदिर श्री चारभुजाजी (सिंगोली श्याम) तहसील मांडलगढ़ के दानपात्रों से प्रत्येक माह राशि एकत्रित नहीं की जाती है बल्कि समय-समय पर राशि एकत्रित की जाती है। इस मंदिर के दानपात्रों से जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक एकत्रित की गई राशि का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	**दिनांक**	**भेंट पेटी से प्राप्त राशि**
1	07.03.2019	16,23,312/-
2	24.09.2019	8,17,130/-
3	23.01.2020	6,38,107/-
4	12.03.2020	5,91,207/-
5	13.03.2020	14,59,410/-
6	12.01.2021	12,92,800/-
7	23.12.2021	20,51,202/-
8	24.12.2021	11,59,185/-
	योग	**96,32,353/-**

उक्त मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है। उक्त अवधि में एकत्रित की गई राशि रु. 96,32,353/- देवस्थान विभाग के निधि निक्षेप खाते में जमा कराई गयी है।

(2) जी नहीं। देवस्थान विभाग द्वारा इस प्राचीन मंदिर के विकास एवं संरक्षण की आवश्यकता अनुसार मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य करवाया जाता है। विभाग द्वारा मंदिर के विकास एवं संरक्षण कार्यों पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई हैः-

वर्ष	**2011-12**	**2013-14**	**2021-22**
व्यय राशि	6,06,000/-	10,63,000/-	8,00,000/-

(3) जी नहीं। मंदिर श्री चारभुजा जी (सिंगोली श्याम) तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है, जिसका प्रबंधन एवं संचालन आवश्यक रूप से देवस्थान विभाग के द्वारा किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के विकास काम से संतुष्ट हूं। मैं मंत्री जी से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि यह जो मन्दिर ट्रस्ट सिंगोली चारभुजा वाला, तो मंत्री जी आप यह बताने की कृपा करें कि यह आत्मनिर्भर श्रेणी का मन्दिर है परन्तु इस मन्दिर को वर्षों हो गये आपके डिपार्टमेंट में आये हुए यहां पर विकास नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि इस मन्दिर को वापस देवस्थान विभाग से निकाल लिया जाये तो अच्छा विकास होगा। क्या आप इससे निकालने का विचार रखते हैं? हां या नहीं?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मन्दिर को निकालने का विचार तो नहीं है लेकिन माननीय सदस्य की जो इच्छा है, क्योंकि यह मन्दिर पहले ही से इसमें एड है, आत्मनिर्भर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभार के होते हैं, निकालने की मंशा कतई नहीं है।

इसमें जो आपकी मंशा है कि यहां पर विकास कार्य किये जाने चाहिए। हमने पिछले दिनों ही इसके दरवाजे, फर्श को सुधरवाया था, शौचालय भी बनवाये थे, जूता स्टैंड भी बनाया था और रिपेयर भी करवायी थी, लगभग 8 लाख के काम करवाये थे और भी यदि मंशा है तो आप वाया कलेक्टर के प्रस्ताव भेजें, इसका जीर्णोद्धार करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): मंत्री जी, मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने अभी कुछ करवाये हैं, फिर चर्चा के अनुसार आपने कहा कि अपन इसकी व्यवस्था करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने कहना चाहता हूं कि वह धरातल पर उतरें, यह अच्छा रहेगा। आप इस मन्दिर को इस ट्रस्ट से बाहर निकाल देंगे। यह मेरे क्षेत्र का भगवान चारभुजानाथ का मन्दिर डवलप होगा, अच्छा होगा, जो बहुत ही चमत्कारी स्थान है। पूरे मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक ही ऐसा मन्दिर है।

श्री अध्यक्ष: आपको नहीं कहा है। आप बैठें।

अगला प्रश्न। श्री मंजीत धर्मपाल।

नेशनल आटोमोबाइल स्क्रैप पालिसी के तहत स्क्रैप सेन्टर

420. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) व श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नेशनल आटोमोबाइल स्क्रैप पालिसी (NASP) के अनुसार प्रदेश में स्क्रैप सेन्टर नहीं खोले गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में वर्ष 1980 से वर्ष 2005 के मध्य 42 लाख 60 हजार से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वाहनों के प्रदूषणकारी संचालन को रोकने हेतु कोई नीति बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पालिसी के अन्तर्गत वाहनों को डिस्पैच किये जाने पर किसी प्रकार का मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या व कितना?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.09.2021 जी.एस.आर. 653 (अ) अधिसूचना जारी कर मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 जारी किये गये हैं। उक्त नियमों के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2022 को कार्यालय आदेश 13/2022 द्वारा विभागीय दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी स्थापित करने के संबंध में एक आवेदन गंगानगर वाहन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड जयपुर का दिनांक 17.02.2023 को National Single Window System (NSWS) पोर्टल पर प्राप्त हुआ है। उक्त संस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया जाकर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अधिसूचना व आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1952 से वर्ष 1980 के मध्य 2 लाख 75 हजार 294 एवं 1980 से वर्ष 2005 के मध्य 39 लाख 85 हजार 435 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सूची परिशिष्ट2 पर संलग्न है।

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115(1) के अन्तर्गत वाहन जनित प्रदूषण के प्रावधान 01 मार्च, 1990 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर लागू नही है। दिनांक 01.03.1990 एवं इसके पश्चात् पंजीकृत वाहनों पर प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से प्रत्येक वाहन (बैटरी ओपरेटेड वाहन को छोड़कर) हेतु प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र (ऑनलाइन) योजना-2017 लागू कर वर्तमान में संचालित समस्त प्रदूषण जांच केंद्रों को नेटवर्किंग सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। विभाग के उड़न दस्तों द्वारा वाहन जनित प्रदूषण नियत्रंण के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा

(राज्य मंत्री, परिवहन)

190(2) अन्तर्गत नियमित रूप से प्रवर्तन कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त परिवहन कार्यालयों में वाहनों के स्थानांतरण, पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, एनओसी, फिटनेस, हाईपोथिकेशन आदि कार्य वैध "प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही किये जाते हैं।

एनसीआर के जिले (अलवर व भरतपुर) के लिए वर्धमान कौशिक बनाम भारत सरकार में माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल OA नंबर 21/2014 के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2017 में जारी निर्देशानुसार 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इन निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा NCR क्षेत्र के लिए आदेश क्रमांक प.23(12)परि/प्रनि/वर्धमान कौशिक/2017/1560 दिनांक 22.01.2018 को जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

माननीय एनजीटी द्वारा आदेश दिनांक 08.10.2018 में भारत के 131 (वर्तमान में) शहरों जिनमें वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है जिनमें राजस्थान राज्य के 5 शहर यथा अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा शामिल है, के संबंध में दिये गये आदेशों की परिवहन विभाग द्वारा पालना की जा रही है, जिसके अन्तर्गत उक्त शहरों में 15 वर्ष पुराने डीजल व्यावसायिक वाहनों को प्रतिबंधित/Phase Out करने की कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश 35/2016 दिनांक 30.09.2016 के द्वारा 15 वर्ष पुराने वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकरण/पुनः पंजीयन नहीं करवाने पर पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बन तत्पश्चात् निरस्त की कार्यवाही भी की जा रही है। आदेश दिनांक 22.01.2018 की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम 2021 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सर्टिफिकेट आफ डिपोजिट के बदले नया वाहन पंजीकृत करवाने पर गैर परिवहन यानों को एकबारीय कर में 25 प्रतिशत एवं परिवहन यानों को एकबारीय कर में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या प.6(328)परि/कर/मु./2021/17882 दिनांक 05.08.2022 जारी की गई है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना

(राज्य मंत्री, परिवहन)

दिनांक 04.10.2021 द्वारा दिनांक 01.04.2022 से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 81 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है 'कि यदि यान "निक्षेप प्रमाण पत्र" के प्रस्तुतीकरण पर रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फीस नहीं वसूली जाएगी', अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: माननीय परिवहन मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप नेता प्रतिपक्ष श्री राजेन्द्र राठौड़ साहब पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने कहा कि नेशनल आटोमोबाइल स्क्रैप पालिसी दिनांक 23.09.2021 को देश में लागू हुई। आपके उत्तर के अनुसार प्रदेश में नोटिफिकेशन 30.06.2022 को जारी हुआ। इस पालिसी में यह तय हुआ कि सरकारी कामर्शियल वाहन को 15 साल के बाद और निजी वाहन 20 साल के बाद इनको स्क्रैप किया जायेगा और आपने खुद ने ही खण्ड 2 में कह दिया कि 1980 से 2005, मैं आगे नहीं जाता, 39 लाख 85 हजार 435 वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैप पालिसी के अनुसार इनमें से कितने वाहन आपने स्क्रैप किये हैं?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप नेता प्रतिपक्ष को करेक्ट करना चाहूंगा कि एनजीटी ने एक फैसला दिया और उसमें हमारे यहां के जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर शहर आये हैं और जो दो आये हैं, वे एनसीआर में थे। इनमें से हमने, आप कह रहे हो, पेट्रोल व्हीकल, इसमें अलवर और भरतपुर के तो कामर्शियल व्हीकल डीजल वाले हैं, उनका 10 साल है और पेट्रोल के 15 साल हैं। यह तो उन दो जिलों के लिए है। बाकी के चार जिलों में सिर्फ वह उन शहरों में ही लागू है। यह एक सतत प्रक्रिया है, आज भी वे उससे बाहर हो रहे हैं, उसके लिए मैं आपको संख्या बता देता हूं, हमने टोटल 62 हजार 464 किये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि स्क्रैप कितने किये हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ने कहा है कि हमारे पास स्क्रैप करने के लिए, हमने निविदाएं आमंत्रित की हैं, उसमें एक निविदा आई है, उसको भी हमने पूरा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि हमने एक भी वाहन को स्क्रैप नहीं किया।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये जो पांच शहर, जिनका आपने नाम लिया है। आपने विभागीय आदेश जारी किया कि 15 साल पुराने डीजल के और 10 साल वे, 22.01.2018 को कि जिन व्यावसायिक वाहन की उम्र 15 साल होगी, वह इन पांच शहरों में एनजीटी के आदेशानुसार अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा में नहीं चल पायेंगे, तो आपने कितने वाहनो को, आपने अपने आदेश 22.01.2018 के आधार पर इनको फेज आउट किया या बन्द किया, उनकी संख्या बता दें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): मैंने फेज आउट वाली संख्या आपको बता दी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था भी है कि उस परिवहन जिले से हटाकर, वह दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आपको मैंने बताया 62 हजार 464 को हमने फेज आउट किया है। हमारे यहां वह फैसिलिटी नहीं है। भारत सरकार ने भी पिछले साल 23 सितम्बर, 2021 को जारी की है, हमने 30 जून उस फैसिलिटी के लिए कर दी है। फैसिलिटी लगाने के लिए हमारे पास कोई आया नहीं, एक व्यक्ति आया, पर चूंकि भारत के अन्य हिस्सों में भी यह फैसिलिटी है तो हमने जिनको फेज आउट किया है उनसे एफिडेविट लिया है कि हम इनको यहां नहीं चलायेंगे और वे यहां चलायेंगे तो हम उनको जब्त करेंगे, उन पर जुर्माना भी लगायेंगे। उन्होंने हमको एफिडेविट दिया है कि हम इसको राजस्थान में नहीं रखेंगे और इसकी स्क्रैपिंग हम करा देंगे। आपके दिल्ली में भी है, आपके हरियाणा में भी है, आपके नोएडा में भी है, तो उन्होंने वहां कराई होगी। फिर भी हमारे पास यह आवेदन आया है, सरकारी क्षेत्र में लगाने का कोई प्रोविजन नहीं है। एक व्यक्ति का आवेदन आया है, वह भी 17 फरवरी, 2023 को आया है तो वह प्रक्रियाधीन है, हम जल्दी से जल्दी उस फैसेलिटी को यहां क्रियेट कराने की कोशिश करेंगे। आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं, कोई भी और यह फैसेलिटी लगाना चाहे तो हम उसको इजाजत देंगे।

श्री अध्यक्ष: अब आपको खुद को इन्वाइट कर दिया, आप लगा दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं लगा लूंगा। अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं इसमें, एक तो फेज आउट करना वाहनों का, यह एनजीटी का आदेश है और मैंने नेशनल पालिसी की बात कही है और एक इनको स्क्रैप करना, तो क्या राजस्थान में एक भी वाहन को आपके आदेश के अनुसार जो मैंने वाहनों की संख्या बताई, 39 लाख में से एक भी वाहन को स्क्रैप किया है क्या? एक भी वाहन को कबाड़ किया है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात सुन लें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय नेता प्रतिपक्ष, जब राजस्थान में फैसेलिटी ही नहीं है तो यहां एक भी होगा कैसे? एक भी नहीं किया। दूसरी स्टेट में हुए होंगे जाकर।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मंजु देवी।

किशनगंज-शाहबाद में संचालित मां-बाड़ी केन्द्र

421. श्रीमती मंजु देवी (जायल) (श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज) के स्थान पर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में कितने मां-बाड़ी केन्द्र संचालित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अन्य शिक्षण संस्थाओं की भांति मां-बाड़ी केन्द्रों में भी शीतकालीन अवकाश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में कुल 272 मां-बाड़ी/डे-केयर केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। मां-बाड़ी केन्द्रों पर शिक्षण संस्थाओं की भांति शीतकालीन अवकाश देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि मांबाड़ी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए क्या नीति-नियम है?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मां-बाड़ी केन्द्र खोलने के जो नियम और प्रावधान हैं,

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

जो बच्चे दूरदराज जहां स्कूलें नहीं हैं वहां ड्रोप आउट होते हैं, जिनके मां-बाप मजदूरी करते हैं और जहां तीस बच्चे मिल जाते हैं वहां मां-बाड़ी केन्द्र प्रावधानों के अनुरूप खोला जाता है और उसका संचालन ग्राम विकास समिति करती है और जहां-जहां मां-बाड़ी केन्द्र संचालित हैं उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे नोर्म्स हैं, इन नोर्म्स की प्रतिलिपि माननीय सदस्या को उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्दिरा देवी।

मेड़ता में सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन

422. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की ढाणियों में घरेलू विद्युत कनेक्शन के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं व उक्त में से कितने आवेदकों को कनेक्शन दिये गये हैं तथा कितने शेष हैं? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत कई आवेदकों के कनेक्शन हेतु विद्युत पोल खड़े करने के पश्चात् भी विद्युत कनेक्शन अब तक नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में उक्त योजना से वंचित परिवारों का पुनः सर्वे करवाकर विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में सौभाग्य योजना एवं पोस्ट सौभाग्य योजना में ग्राम पंचायतवार प्राप्त आवेदन, जारी किये गये कनेक्शन तथा शेष रहे कनेक्शनों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

(2) सौभाग्य योजना निर्धारित अवधि दिनांक 31.12.2020 को पूर्ण हो गई थी। इसके बाद शेष रहे अविद्युतीकृत आवासों के विद्युतीकरण हेतु दिनांक 26.07.2021 को भारत सरकार के उपक्रम आर.ई.सी. द्वारा पोस्ट सौभाग्य योजना स्वीकृत की गई जिसमें मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के 1290 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 674 कनेक्शन जारी किये गये। उक्त योजना को आर.ई.सी.

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

द्वारा दिनांक 15.03.2022 को यथा स्थिति में बन्द कर दिया गया। योजना समाप्ति दिवस तक शेष रहे आवेदकों में से 173 आवेदकों के विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने के लिए कुछ पोल खड़े कर दिये गये थे, जिनके कनेक्शन योजना के समाप्त हो जाने के कारण जारी नहीं किये जा सके।

(3) उक्त योजना में शेष रहे अविद्युतीकृत आवासों को आरडीएसएस योजना के तहत विद्युतीकृत करने के लिए भारत सरकार के उपक्रम आर.ई.सी. को डीपीआर बनाकर माह जनवरी-2023 में प्रेषित की जा चुकी है जिसकी स्वीकृति अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछना चाहती हूं कि गांव की ढाणियों के अन्दर आपने पोल तो खड़े कर दिये, अब आप ढाणियों में लाइट जोड़ने की मंशा रखते हो कि नहीं रखते हो? यही जानना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में पिछले साल आरईसी के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय और सौभाग्य योजना को 15 मार्च को ही बन्द करने के निर्देश दे दिये गये और उसमें जितने कनेक्शन हो गये और जो प्रक्रियाधीन थे, उनको भी यथास्थिति में बन्द करने के निर्देश थे, तो कई स्थानों पर पोल खड़े रह गये और करीब 2 लाख ऐसी ढाणियां हैं राजस्थान में जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में जहां पर अभी इस योजना से विद्युतीकरण होना था लेकिन हो नहीं पाया। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी से मुलाकात भी की है वह प्रक्रिया अभी चल रही है। वहां से स्वीकृति फाइनली अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। इस दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में जब यह समस्या आयी तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 17 मार्च, 2023 को जो वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान घोषणा की है और प्रदेश में मुख्य मंत्री जी की जो घोषणा है, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 31 मार्च, 2019 के पश्चात् के जो वंचित हैं कनेक्शन...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, सीधा जवाब दो कि इतनी ढाणी जोड़ लेंगे, उतना लम्बा क्यों बोल रहे हो? ढाणी जोड़ने को बोल दो।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ...वंचित रहे दो लाख हैं जो अनइलेक्ट्रिफाइड ढाणियां हैं उनको आगामी वर्ष में इलेक्ट्रिफाइड करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने 01 हजार करोड़ रुपये की लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाने की घोषणा की है, जो आगामी समय में कर दी जायेगी।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यही पूछना चाहती हूं कि कई ढाणियों में कनेक्शन लेने के कारण डिमाण्ड भी जमा करा दी तो कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बैठो आप। अभी सरकार ने घोषणा की है और सरकार की घोषणा के बाद अब यह काम शुरू हो जायेगा।

अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

रेवदर के आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पद

423. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र रेवदर के आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने व उक्त औषधालयों में समय पर औषधियां उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (राज्य मंत्री, आयुर्वेद के स्थान पर): आयुर्वेद विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रेवदर में 11 औषधालय संचालित जिनमें आयुर्वेद चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदवार, दिनांक वार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जी हां। रिक्त पदों को निम्न कार्यवाही कर भरे जाने हैं:-

नर्स/कम्पाउण्डर - 704 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर पदों में से 579 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, शेष 125 पद न्यायिक प्रक्रिया के कारण रोके गये हैं जिसके पूर्ण होते ही नियमानुसार उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

चिकित्साधिकारी - 639 आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(श्री टीकाराम जूली)

परिचारक - रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त औषद्यालयों में समय-समय पर पर्याप्त मात्रा में औषधियों की आपूर्ति की जाती है। बजट उपलब्धता एवं रसायनशालाओं की निर्माण क्षमता के आधार पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार औषधि आपूर्ति करवायी जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने जवाब में बताया कि चिकित्सक के पद 11 में से 5 रिक्त हैं। नर्सिंग कम्पाउन्डर 10 में से 5 रिक्त हैं और परिचालक के 9 में से 4 रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये खाली पद लम्बे समय से चले आ रहे हैं तो ये कब तक आप भरने का प्रयास करेंगे?

नम्बर - 2, मेरा सवाल है कि जीरावल औषधालय भामाशाहों द्वारा बना हुआ है और वहां का स्टाफ लम्बे समय से खाली होने की वजह से जो भामाशाह हैं उनके मन को एक ठेस पहुंच रही है कि हमने यादगार के रूप में होस्पिटल को बना कर सरकार को सुपुर्द किया था और उसके बाद में वहां रिक्त पद होने की वजह से वहां व्यवस्था नहीं हो रही है।

तीसरा, मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई औषधालय हैं जिनमें चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त पड़े हैं और एक सफाईकर्मियों के पद हैं वहां पर 125 रुपये मानदेय के रूप में आप दे रहे हैं। क्या सरकार उनका मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था करेगी? मंत्री महोदय, बतायें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने तीन प्रश्न किये हैं, पहला पदों को भरने का है, जिसके लिए भर्ती प्रक्रियाधीन है, मैंने आपसे बताया है।

दूसरा, आपने जीरावल के लिए कहा है, जिसमें दो पद स्वीकृत हैं एक रिक्त है और एक पर ही कार्यरत है। जो रिक्त पद है, जल्दी ही हमारी जो भर्ती हो रही है उसमें उसको हम लगवायेंगे।

तीसरा, आपने कहा है कि जो भत्ता उनको देते हैं संविदा पर 125 रुपये कम हैं, इसको मैं जरूर दिखवाऊंगा, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह एलडीसी जो है, चिकित्सालयों के अन्दर एलडीसी की जो पोस्ट होती है बाबू के रूप में काम करने के लिए वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है और वहां की पोस्ट खाली है, क्या मंत्री महोदय, उनको भी आप भरने का प्रयास करेंगे? ताकि वहां की व्यवस्था, उदाहरण के तौर पर जैसे आबू पर्वत का चिकित्सालय है जो बहुत बड़ा है और वहां पर खाली पोस्टें हैं। जो पद खाली होंगे तो वहां की व्यवस्था, एक तरफ तो आयुर्वेद औषधालयों के रूप में सरकार की पूरी मंशा रहती है, पूरा देश और राजस्थान जानता है कि आयुर्वेद में पुरानी परम्परा को देख कर चिकित्सा में कई लोग इसमें विश्वास करते हैं, तो यह सारे पद रिक्त होने की वजह से, मंत्री महोदय, इनको पुन: जांच करवा कर कब तक आप भरवायेंगे? यह बतायें, सर।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को ऐसा लग रहा है उप नेता, प्रतिपक्ष जी ने यह बताया है कि सारे पद खाली हैं। इसमें 463 स्वीकृत हैं, 381 उनमें कार्यरत हैं, मात्र 82 पद खाली हैं जिनको जल्दी ही भरवाने की प्रक्रिया की जा रही है और चूंकि यह एक सतत प्रक्रिया है, प्रमोशन होते हैं, पोस्ट खाली हो जाती है, रिटायरमेंट होते हैं, पोस्ट खाली हो जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में इतनी अच्छी घोषणाएं की हैं, नये पद स्वीकृत हुए हैं, नये औषधालय आये हैं, जिसकी वजह से यह संख्या इतनी बढ़ी है, बाकी मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का और भी जो आग्रह है, उस पर सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(समय: 12.00 बजे)

माननीय सदस्य, आज 4 बजे हम हाउस को एडजोर्न करेंगे, 5 बजे वापस एसेंबल होंगे, दो बेस्ट विधायकों का अवार्ड करेंगे और जो हमारे असम के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, उनका भी यहां पर स्वागत रखा है। आप सबसे निवेदन है कि आज की डेट में टाइम बहुत स्केर्स है, इसलिए मुझे अनप्लीजेंट काम करना पड़ेगा, समय का निर्धारण करना पड़ेगा।

आज जिस तरह यहां फसल का खराबा हो रहा है, आज भी बरसात हुई है, मंत्री जी आज खाली प्रीलिमिनरी रिपोर्ट देंगे। एक-दो माननीय सदस्य उस पर बात करें, क्योंकि फाइनल लिस्ट में नहीं है। इसलिए उसका स्टेटमेंट

(श्री अध्यक्ष)

भी होगा और उसमें मैं एक-दो सदस्य को ही अलाउ करूंगा, बाकी जनरल डिबेट नहीं हो पायेगी। सरकार की स्थिति के बारे में अवगत करायेंगे, इसलिए शून्य काल आज नहीं होगा, सीधा हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

आज तीन बिल भी हैं, उन बिलों पर भी डिस्कशन टाइम के अंदर मैं लिमिट करूंगा। इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन है कि तीनों बिल पर अमेंडमेंट देने वाले कॉमन आदमी हैं, तो आप डिसाइड कर लें कि पहले बिल पर कौन बोलेगा, दूसरे बिल पर कौन बोलेगा, तो हम अपनी डिबेट को टाइमली रेगुलेट कर सकेंगे। इसलिए आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि 4 बजे तक हम सदन की कार्यवाही को संपादित करें, उसमें सहयोग करें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 131, श्री महादेव सिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सीकर डेयरी पलसाना में वित्तीय अनियमितताएं एवं उनकी जांच

श्री महादेव सिंह (खंडेला): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप खाली ध्यान आकर्षित करें, फिर मंत्री जी बोलेंगे, फिर प्रश्न पूछना।

श्री प्रमोद भाया (गौपालन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी द्वारा जो शिकायत मुझे 25.8.2022 को दी गई थी, उसके क्रम में आरसीडीएफ कार्यालय के आदेश दिनांक 21.09.2022 के द्वारा शिकायती पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर जांच करने हेतु तीन सदस्यीय सतर्कता समिति को निर्देशित किया गया है।

सतर्कता समिति के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 10.01.2023 को प्रस्तुत की गई है। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर दुग्ध संघ, सीकर में तत्समय पदस्थापित प्रबन्ध संचालक श्री के.सी. मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और कर्मचारी का प्रत्युत्तर प्राप्त होने के उपरान्त 21.02.2023 को आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। जांच के अनुसार जो लेखाकर्मी दुग्ध संघ, सीकर में नियोजित कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही सीकर संघ द्वारा की जा रही है। जिस हेतु प्रबंध संचालक, सीकर को 17

(श्री प्रमोद भाया)

जनवरी, 2023 को पत्र से निर्देशित कर दिया गया है तथा दोषी फर्म और ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्यवाही करने हेतु 14.02.2023 को पत्र से निर्देशित कर दिया गया है।

श्री महादेव सिंह (खंडेला): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैंने पहले भी शिकायत की थी। हमारी आरसीडीएफ, जयपुर द्वारा गठित कमेटी ने जो जांच की, उस जांच के आधार पर तत्कालीन एमडी श्री के.सी. मीणा और लेखा शाखा में मधुमालती, प्रदीप शर्मा को कमेटी ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाया, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। श्रमिक ठेके का टेंडर दो साल से ज्यादा नहीं दिया जाता है। इन्होंने 01.01.2014 से 31 दिसम्बर, 2022 तक एक साथ 8 साल के लिए टेंडर दिया, जिसमें 40 करोड़ का घाटा हुआ। जब टेंडर निरस्त करने के लिए कमेटी ने कह दिया था, कमेटी के कहने के बावजूद भी टेंडर निरस्त नहीं करके, उसी ठेकेदार को दोबारा 8 साल के लिए 275 प्रतिशत बढ़ोतरी करके टेंडर दिया गया, जिसमें 7 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है।

मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस टेंडर को निरस्त करना चाहते हैं या नहीं? नहीं, तो क्यों नहीं? दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, एक मधुमालती है, इसने नियमों के विरुद्ध प्रमोशन ले लिया है, इसका प्रमोशन कैंसिल करने की इच्छा रखते हैं या नहीं? नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री प्रमोद भाया (गौपालन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर आरटीपीपी के प्रावधानों के अनुरूप हुआ है। मधुमालती की बात जो माननीय सदस्य ने कही है, वह दुग्ध संघ की कार्मिक है, उसको भी नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा उत्तर में निवेदन किया है कि प्रारंभिक जांच कर आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उसके अनुरूप सभी संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, आपकी बात मान ली।

श्री महादेव सिंह (खंडेला): मैं तो इतना ही चाहता हूं कि आपके मार्फत मुझे इतना आश्वासन दिलायें कि यह ठेका कैंसिल होगा या नहीं और नहीं तो क्यों नहीं? मधुमालती और इनके खिलाफ कार्यवाही होगी या नहीं? कम से कम मुझे इतना आश्वासन तो दिलाएं कि टेंडर कैंसिल हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री प्रमोद भाया (गौपालन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि इसकी जांच चल रही है और जांच में जो भी दोषी हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे कर्मचारी हो, सबके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। 131, श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

मुण्डावर की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण हेतु विशेष पैकेज

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 131 के तहत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर स्थित शाहजहांपुर टोल नाका के पास किसान आन्दोलन के तहत धरने के दौरान जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर वाहनों का आवागमन बन्द होने के कारण वाहनों द्वारा जिला अलवर में स्थित सड़कों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग करने के कारण विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिनका विवरण मैंने माननीय सदस्य को दिया है।

उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों पर 58.38 किलोमीटर नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रुपये 51.60 करोड़ की आवश्यकता होगी, जिनकी स्वीकृति जारी किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार भी मानती है कि हाईवे बंद होने की वजह से एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इन सड़कों पर भारी वाहनों का आवागमन हुआ। पिछले दो वर्ष से लगातार मैं आपके माध्यम से इस सदन में इन सड़कों के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रहा हूं। इस वर्ष भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में करीब 250 करोड़ की सड़कें और 17 तारीख को जब उन्होंने बजट का रिप्लाई दिया तो करीब 210 करोड़ की सड़कें अलवर जिले के लिए आबंटित कीं, इसमें से एक रुपये की भी सड़क मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के लिए नहीं दी गई। मंत्री महोदय, क्या सरकार यह मानती है कि मुण्डावर राजस्थान में न आकर हरियाणा में आता है? जो यह सड़कें टूट गई हैं, इन पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और पिछले दो वर्ष में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें कुछ लोगों की जान भी गई हैं। मंत्री महोदय, क्या एक

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इन सड़कों के वापस नवीनीकरण के लिए और इन सड़कों के महत्व को देखते हुए इन सड़कों को अपग्रेड करने के लिए सरकार प्रस्ताव मंजूर करेगी और क्या आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि आने वाले समय में जल्द इन सड़कों का काम कर दिया जायेगा?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने सारी चीज बता दीं और कह भी दिया कि वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा, यह मैंने जवाब भी दे दिया। बिलकुल सत्य बात है कि किसान आंदोलन करीब 15 महीने के आस पास चला, आपकी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और मैंने यह भी कहा है कि मैं हमारे यहां से टीम भेजकर जांच करा कर प्राथमिकता के आधार पर जो भी सम्भव होगा, वह हम प्रयास करेंगे।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि 460 करोड़ रुपये इस वर्ष में अलवर जिले को दिये गये। अलवर जिले में कुल 11 विधान सभाएं आती हैं। अगर 460 करोड़ में आप 11 का भाग दें तो 44 करोड़ से अधिक का हिस्सा कहीं न कहीं मुण्डावर वासियों के लिए बनता है। इस वर्ष भी आपने इतना भी नहीं सोचा कि दो साल से सड़कें टूटी हैं, वहां सड़क का डामर बिलकुल मिट्टी हो गया है और आने वाले समय में जब बारिश होगी और उससे पहले जब गर्मी पड़ेगी तो धूल भी उड़ेगी। धूल की वजह से वहां लोग बीमार भी हो रहे हैं, उनको अस्थमा भी हो रहा है। जब बारिश आयेगी तो उसमें गाड़ी और मोटरसाइकिल से चलना तो दूर की बात है, आदमी पैदल भी नहीं चल पायेगा। इसको देखते हुए 460 करोड़ में इस वर्ष आपको यह सड़कें मंजूर नहीं करनी चाहिये थीं क्या?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान आंदोलन के तहत एनसीआर में जो हमारी तमाम सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, मैं माननीय सदस्य और तमाम विपक्ष के साथियों से मांग भी करूंगा कि भारत सरकार की वजह से किसान आंदोलन इतने लंबे समय तक चला। मैं भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखूंगा कि एक विशेष पैकेज देकर इन सड़कों की मरम्मत कराने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। याचिका का उपस्थापन, श्री सतीश पूनियां।

याचिका

आमेर में खोराश्यामदास मुख्य बस स्टैण्ड के ऊपर स्थित हाईटेंशन लाइन को अविलम्ब हटाया जाना

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आमेर विधान सभा क्षेत्र स्थित खोराश्यामदास मुख्य बस स्टैण्ड के ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाइन को अविलम्ब हटाये जाने के संबंध में एक याचिका उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकांता व्यास (अनुपस्थित)। श्री रामनारायण मीना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बम्बूलिया रावतान (सुल्तानपुर) जिला कोटा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नवीन कक्षा-कक्षों का निर्माण

(1) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बम्बूलिया रावतान (सुल्तानपुर), जिला कोटा में पांच नवीन कक्षा-कक्ष निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

खातौली (कोटा) की कृषि उपज मण्डी को आबंटित भूमि पर आधारभूत संरचनाओं का विकास

(2) कृषि उपज मण्डी, खातौली (कोटा) को आबंटित भूमि पर आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाकर मण्डी का सुचारु रूप से संचालन किये जाने के संबंध में।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में नहीं, ये मेरा काम है। रघु जी, प्लीज। माननीय राजेन्द्र जी, आप अपने साथियों को अपनी जगह के लिए डायरेक्ट करें।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन, माननीय मंत्री जी।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, स्टेटमेंट। माननीय प्रताप जी, अपनी जगह पर जायें। बॉस, आप कालेज में थोड़े ही हैं, मंत्री हैं। प्लीज।

शासकीय वक्तव्य

वर्ष 2023 में पाला, शीतलहर एवं ओलावृष्टि से रबी फसलों का नुकसान

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हाल ही में प्रदेश में कतिपय इलाकों में वर्ष 2023 संवत् 2079 में पाला, शीतलहर एवं ओलावृष्टि से रबी फसलों में हुए नुकसान के बारे में सरकार की ओर से अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, प्रदेश में रबी मौसम औसतन 103 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में विभिन्न फसलों की बुवाई होती है, जिनमें मुख्य गेहूं, जौ, चना, सरसों व तारामीरा शामिल हैं। रबी फसल 2022-23 में 109.55 लाख हैक्टेयर में बुवाई हुई है। 16-17, जनवरी, माह दिसम्बर-जनवरी, 2023 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में फसल खराबे की सूचना के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 17.01.2023 द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को पाले से फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करवाने के निर्देश जारी किये थे। जिला कलेक्टरों द्वारा करवायी गयी विशेष नियमित गिरदावरी की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई, जिसमें 33 परसेंट या इससे अधिक फसल खराबा वाले 10 जिले अलवर, बीकानेर, भरतपुर, दौसा, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनूं, नागौर एवं सीकर से फसल खराबे की सूचना प्राप्त हुई है। शेष जिलों में फसल खराबे की सूचना 33 प्रतिशत से कम या शून्य हुई है। उक्त प्रभावित 10 जिलों में 8 जिलों से प्राप्त 7-बी की रिपोर्ट के अनुसार 61 तहसीलों के 5 हजार 38 गांवों में कुल 20 लाख 85 हजार 317 काश्तकार प्रभावित हुए हैं। प्रभावित पात्र किसानों को एसडीआरएम नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान एवं भुगतान हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। विभागीय डीएमआईएस पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की कार्यवाही पटवारियों के द्वारा की जा रही है।

ओलावृष्टि संवत् 2079, 29 मार्च एवं 30 मार्च को ओलावृष्टि से फसल खराबे की। राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 30.01.2023 के द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को विशेष गिरदावरी करवाने के आदेश जारी कर दिये हैं। जिला कलेक्टरों द्वारा विशेष गिरदावरी करवायी गयी, जिसमें जिला कोटा एवं उदयपुर में 33 प्रतिशत से अधिक खराबे की 7-बी रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(श्री गोविंद राम)

प्राप्त 7-बी अनुसार 5 तहसीलों के 75 गांवों में 18,422 काश्तकार प्रभावित हुए हैं। 19 जिलों में फसल खराबे की सूचना शून्य है। शेष 12 जिलों से सूचना प्राप्त कर एसडीआरएम नोर्म्स के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

05 और 06 मार्च, प्रदेश में माह मार्च, 2023 में हुई ओलावृष्टि से फसल खराबे की। राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 08.03.2023 के द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को विशेष गिरदावरी करवाने हेतु निर्देश जारी किये गये। जिला कलेक्टर, कोटा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 6 तहसीलों के 69 ग्रामों में 8,293 काश्तकार प्रभावित हुए हैं। शेष जिलों में सूचना प्राप्त कर एसडीआरएम नोर्म्स के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा माह जनवरी से मार्च, 2023 में रबी फसलों में पाला, शीतलहर एवं ओलावृष्टि से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा वाले प्रभावित किसानों को एसडीआरएम नोर्म्स के अनुसार यथाशीघ्र विभाग द्वारा सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। प्रभावित काश्तकारों को समय पर भुगतान करने हेतु सम्बन्धित जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 और 6 मार्च एवं 16 से लेकर पूरे उदयपुर संभाग और विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विशेषकर सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लारा, गिंगला, जयसमंद और, अध्यक्ष महोदय, आपके यहां भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है। कटा हुआ गेहूं उसकी उंबिया पानी में बह गयीं। गाय, बकरी, भैंस और भेड़ों का भी काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अलावा गोगुन्दा, झाडोल, फलासिया, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, लसाड़िया, उदयपुर ग्रामीण में मावली, नाथद्वारा और राजसमंद जिले में पिछली 16, 17, 18, 19 तारीखों को भयंकर बारिश होने की वजह से पूरी फसल तबाह हो गयी है। खेत खलिहान में रखी हुई फसल का भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। मेरी अपील है कि इस सदन के माध्यम से जिला कलेक्टर उदयपुर को निर्देश दें, जालौर में भी। ये क्या करते हैं, पटवारी नहीं जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह जनरल डिबेट नहीं है, स्पेसिफिक पाइंट करना है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर। मैंने आपके लीडर से नाम ले लिए हैं, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, 01 मार्च से लेकर अभी जो अतिवृष्टि, ओलावृष्टि हुई है, उसमें हाड़ौती के चारों जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण अधिकांश फसलें खराब हो गयी हैं। धनिया काला पड़ गया है, कटी हुई सरसों उड़ गयी है और खराब हो गयी है। गेहूं भी खड़े थे, वे भी खराब हो गये हैं। इसके कारण से काफी नुकसान हुआ है। बीमा कम्पनियों को काश्तकार लगातार सूचना कर रहे हैं। वे फोन अटेंड नहीं करते हैं और सूचना कर भी देते हैं तो फील्ड में आकर उन्हें जिस तरीके से जांच करनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। फिर वे दोष देंगे कि आपने समय पर हमको सूचना नहीं दी है, इसलिए हम आपका बीमा देने में असमर्थ हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि बीमा कम्पनियों को कहें। यह ओलावृष्टि और अतिवृष्टि बड़े स्तर पर भी हुई है। इसलिए जो सभी कम्पनियां हैं वे अपने प्रतिनिधियों को भेजें। उनका जो जांच करने का तरीका है, उस हिसाब से सर्वे करके जांच करके नुकसान का मुआवजा दिलायें।

श्री अध्यक्ष: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। कल शाम से रात तक की पूरे राजस्थान भर से जो सूचना थी, बेमौसम की बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि ने, मैं अभी अपने क्षेत्र से ही आया हूं, लगभग 12 पंचायतों के 20 गांवों में बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें गेहूं की फसल, सब्जियां, टमाटर और मिर्च है, लेकिन पूरे राजस्थान भर के दौसा, करौली, अलवर, बूंदी, बाड़मेर, सीकर इन जिलों में विशेष तौर पर नुकसान हुआ है। जो खबरें समझ में आयीं और सुनी एवं पढ़ीं, इसमें तीन किसानों को जिन्दगी से हाथ धोना पड़ा। पृथ्वीराज बैरवा, बूंदी के थे, कर्जा भी था। ज्यों ही नुकसान देखा तो उसने आत्महत्या कर ली। माननीय अध्यक्ष महोदय, नर्मदा देवी, दौसा और शंभुलाल धाकड़, झालावाड़ की आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गयी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरे राजस्थान में बड़ा नुकसान हुआ है, आकलन तो सरकार करेगी, लेकिन हमारे यहां कहावत है कि राम रूठ गया है, लेकिन राज रूठ जाये तो उससे बड़ा कोई दंश नहीं होता। गिरदावरी की चर्चा होती है, लेकिन गिरदावरी में देरी भी होती है, लेकिन उसमें पिछली फसल तक का जो मुआवजा है, आगे तक नहीं मिलता है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम इस तरह की आपदा में जो

(श्री सतीश पूनियां)

जनधन का नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में पशुधन का भी नुकसान हुआ है, इसका पूरा मुआवजा, फसल का भी, पशुधन का भी और मानव धन का जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन करें और सरकार इसमें तत्परता से, मुझे लगता है कि केवल स्टेटमेंट से नहीं, अगली बार सदन जुड़े तो कम से कम यह बतायें कि हमने इतनी पूर्ति कर दी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय का वक्तव्य सुना। मंत्री महोदय ने कहा कि 17 जनवरी को इन्होंने स्पेशल गिरदावरी करायी और राजस्थान में सिर्फ 10 जिलों में नुकसान हुआ। मंत्री महोदय, आपको मालूम है। आपने जो बात कही, इस बार औसत से ज्यादा बरसात हुई। आपके खुद के आंकड़ों ने कहा कि इस बार बुवाई 10.34 परसेंट ज्यादा रबी में हुई। चार बार कहर टूटा है। दिसम्बर में पाला पड़, हमने यहां मांग की, आपने वक्तव्य दिया। वक्तव्य के अनुसार आपने कहा कि नुकसान हुआ सरसों में 40 परसेंट, चना, गेहूं में 25 से 40 परसेंट, टमाटर और मटर की फसल चौपट हो गयी और आपने इसमें जनवरी के अंदर स्पेशल गिरदावरी का हुक्म दिया। इस हुक्म के साथ यह हुक्म भी दे दिया कि जिला कलेक्टर उनको कहें कि 33 परसेंट से ज्यादा खराबा नहीं दिखाएं। ये एसडीआरएफ का जो पैसा है, अकेले आप का नहीं है, भारत सरकार का भी है। 13 हजार करोड़ रुपये पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी विक्षोभ, अभी मैं पढ़ रहा था एक जगह पर मेडिकल जर्नल रिसेंट की रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पेक्ट अब पूरे देश में, विश्व में आना चालू हो जाएंगे। अब ये पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है, जिसका जिक्र सतीश जी ने किया, ये 16, 17, 18 मार्च को 26 जिलों में, उसमें जयपुर, नागौर, चूरू, पाली, कोटा, बारां, भरतपुर, उदयपुर, इसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चला, बरसात आयी और कटी हुई फसल बिखर गयी। तूफान ने बिखेर दी और ऊपर से बरसात ने गला दी। मैं निवेदन करूं कि ये जो पछेती की फसल थी सरसों, ईसबगोल और गेहूं की, ये खड़ी-खड़ी खतम हो गयी।

अध्यक्ष जी, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कॉल सेंटर से किसान को सूचना देनी होती है। एप में डालना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

होता है। एक कॉल सेंटर अगर सक्रिय रहा हो तो आप मुझे सज़ा देना। मैं समझता हूं कि ये जो आधा दर्जन मौत हुई हैं कुछ मौत का जिक्र इन्होंने किया। सरकार पर विश्वास इसलिए काश्तकार का उठा कि इन्होंने जनवरी में जो स्पेशल गिरदावरी की, उसकी फूटी कौड़ी, एक पैसा भी अभी तक आपने किसान के खाते में दिया हो तो मुझे बताएं। हम चाहते हैं कि सरकार न केवल स्पेशल गिरदावरी, गिरदावरी पर तो आपने पिछली बार डिजिटल गिरदावरी करवाई, कोई आदमी मौके पर नहीं गया। आपने असत्य आंकड़ों के आधार पर जिस प्रकार की बात कहीं, मैं समझता हूं कि राजस्थान में इससे बड़ा किसान का नुकसान हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारी मांग है कि आप सदन में घोषणा कीजिए कि आप गिरदावरी पूरी करके एसडीआरफ में जो भारत सरकार का पैसा पड़ा है, उसमें कब तक आप किसान के खाते में, एसडीआरएफ के नोर्म्स कहते हैं कि 15 दिन में पैसे देने का, आपके घर का पैसा नहीं है, आप क्यों नहीं किसान के खाते में पैसा डालते? बताएं आप।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं। लिस्ट ली है मैंने। हाथ खड़े करने से नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ये जितने लोग हैं, हम आपके अनुशासन में बंधे हुए हैं। अभी आप देखिए जिस प्रकार की हालत है, मैं चाहूंगा इस पर सरकार फैसला करे। सिर्फ लिप सिम्पैथी नहीं। हम यह नहीं चाहते, आपको फैसला करना पड़ेगा। आप फैसला नहीं करेंगे तब तक हम राज्य सरकार से गांवों में भी लड़ेंगे और यहां भी आपसे लड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इधर देखिए, उधर मत देखिए। आपको इधर से रिलीफ लेनी है या उधर से रिलीफ लेनी है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, इस लीपापोती का उत्तर जो मंत्री महोदय ने दिया है, हम इससे कतई संतुष्ट नहीं हैं। हम कतई संतुष्ट नहीं हैं। (व्यवधान) आपको जवाब देना पड़ेगा।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पहली बार साढ़े अठारह हजार करोड़ रुपये दिये हैं, ...(व्यवधान) साढ़े अठारह हजार करोड़ रुपये। इनको तो बाहर जाना है।

बहिर्गमन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस सरकार के लीपापोती पूर्ण उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य नारायण बेनीवाल, बोलना है आपको? आप बोलिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप नीचे बैठिए। नीचे बैठिए। नारायण बेनीवाल जी, बोलिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) डूंगरगढ़ में किसानों के साथ गलत हो रहा है। मैं वाक आउट करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: जाइए, जाइए आप। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे आपदा मंत्री का सदन के अंदर शीतलहर और वर्षा से नुकसान के लिए जो वक्तव्य आया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि एक तो जो गिरदावरी हुई इसमें कहीं न कहीं, मैं एक बार व्यक्तिगत भी मिला था। आपने कलेक्टर को फोन भी किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इमिजिएटली। इतना लम्बा डिबेट नहीं है।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं। खींवसर के अंदर जीरा और ईसबगोल जो फसलें हैं वह दोनों ऐसी हैं कि इसमें यदि बूंदें भी पड़ जाएं तो भी शत-प्रतिशत नुकसान हो जाता है। उसके बावजूद इन्होंने जो गिरदावरी की, उसमें सरसों में 60 हजार में से सिर्फ 6,500 और जीरा के अंदर 9,500 हैक्टेयर की इन्होंने बताई है, जिसमें से 6,000 और ईसबगोल में 8,000 की जगह 4,800 हैक्टेयर का जो इन्होंने नुकसान दर्शाया, मैं आपसे मांग करता हूं कि शीतलहर और बरसात से जो नुकसान हुआ, एक बार आप वापस पुन: सही इंस्ट्रक्शंस देकर इसकी सही गिरदावरी करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मांग करूंगा कि मंत्री जी को, सरकार को आप निर्देशित करें।

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं होगा, एक आदमी वाक आउट करेगा, एक बोलेगा। प्लीज।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): इसके अंदर पूरा मुआवजा है, वह तत्काल राहत आप लोगों को जारी करें। गिरदावरियां जहां सही नहीं हुई हैं वहां नये इंस्ट्रक्शंस देकर किसानों को न्याय दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री हरीश चौधरी।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जो असमय रबी की फसल के अंदर अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और तूफान से जो फसलें नष्ट हुई हैं, उसके कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों के इस नुकसान की भरपाई हम तीन माध्यम से कर सकते हैं। एक तो फसल बीमा के माध्यम से, दूसरा अनुदान के माध्यम से और तीसरा विशेष पैकेज के माध्यम से। मेरा सरकार से निवेदन है कि विशेष पैकेज इन किसानों को दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर हम लोग गलत तथ्य रखें, फसल बीमा के माध्यम से केवल 74 घंटे के अंदर कॉल सेंटर के माध्यम से ही प्रावधान नहीं है, इसके अतिरिक्त और प्रावधान भी हैं। मैं आपके माध्यम से तमाम किसानों को यह कहना चाहता हूं कि 74 घंटे के अंदर कॉल सेंटर के अलावा आप मेल कर सकते हैं। उसके अलावा कृषि विभाग के कर्मचारी या जिला प्रशासन के कर्मचारी को लिखित के अंदर उसकी इत्तला दे सकते हैं और उनको 7 दिवस के अंदर वह इत्तला बीमा कंपनी को देने का प्रावधान है। जो को-आपरेटिव लोन है, उसके संबंध में भी मेरा यही निवेदन है कि 31 मार्च तक का जो हमने वापस लेने का फैसला किया, उसके अंदर भी राहत पहुंचाकर हम उसको भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमित चाचाण। नीचे बैठिए प्लीज। I will not allow it. आप पार्टी से बाहर हैं। पार्टी वाक आउट भी अवोइड कर रहे हैं। दो बातें होती हैं क्या?

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में पाला पड़ने से फसल खराब हुई थी और आज सुबह से अतिवृष्टि होने के साथ-साथ ओलावृष्टि काफी गांवों में हुई है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उनकी गिरदावरी करवाकर, जो भी उन किसानों को नुकसान हुआ है उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिन से जिस तरह के मौसम खराब की वजह से गंगानगर जिले में और सादुलशहर तहसील में जो फसल का नुकसान हुआ है पकी पकाई फसल का, मैं सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि उसका सर्वे करवाकर, उसकी गिरदावरी रिपोर्ट मंगवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, पाला पड़ने के दौरान जो गिरदावरी हुई थी, तब सरकार ने यह कहा था कि क्रोप कटिंग के बाद में दोबारा से गिरदावरी करवाएंगे। उसकी भी अभी भरपाई नहीं हो पा रही है। आपके माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि सरकार इस मौके पर या तो किसानों का आबियाना माफ करे या आबियाना पर किसानों को ब्याज माफ करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने अभी जो अपना वक्तव्य दिया, उसके अंदर 17 जनवरी को जो पाला पड़ा, उसके अंदर बाड़मेर जिले का नाम भी नहीं है, जबकि बाड़मेर जिले के अंदर 17 जनवरी से पहले भयंकर पाला पड़ा था। अरंडी की पूरी फसल चौपट हो गयी थी। उसका नाम नहीं है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि 6 मार्च, 5 मार्च, 4 मार्च को और अभी 16, 17, 18 मार्च को भयंकर बरसात हुई है, उस बरसात के कारण ईसबगोल की पूरी फसल पकी हुई चौपट हो गयी है और जो निकाली हुई थी, वह भी पानी में बह गयी है। जीरे की फसल खराब हो गयी है। इसका पूरा आकलन करके किसानों को मुआवजा दिलावें और विशेष पैकेज दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी में पाला पड़ने से भारी नुकसान हुआ है। लगभग पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। जो गिरदावरी हुई थी, वह कम हुई थी। जिला कलेक्टर को हमने निवेदन किया, उन्होंने फिर निर्देश दिए हैं फिर भी कुछ कमी रह गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र के समस्त काश्तकारों को, जिनकी पाला पड़ने से फसल खराब हुई है, उचित मुआवजा दिया जाए और जल्दी से जल्दी दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी-भी जो 08/03/2023 को हमारी गिरदावरी हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बैठिए। सारे सदन की भावना है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, बर्फ गिरी या बरसात हुई, आज भी बरसात हो रही है, आप इसका काग्निजेंस लेकर तीव्र गति से गिरदावरी करें। गिरदावरी का काम है, एसडीआरएफ का पैसा देना है, उसका काम है। इसके अलावा भी कोई विशेष पैकेज देने का हो तो उसके संबंध में आपका, सरकार का ध्यान रहे और लोगों की जो मंशा है, उसका ध्यान रखें। इसमें कोई बात कहनी है तो आप बताएं।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राजेन्द्र जी राठौड़ ने एक बहुत गलत बात कही। इन्होंने कहा कि सरकार ने आदेश दिये हैं कलेक्टर्स को कि 33 परसेंट से कम खराबा दिखाए, उपज जो हैं। यह बिलकुल गलत बात है। सरकार के ऊपर यह गलत आरोप लगे हैं। अभी मुख्य सचिव ने मीटिंग ली है, जिसके अन्दर कलेक्टर्स से सूचना मिली है, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, बारां, धौलपुर में खराबा हुआ है। पदमाराम जी की बात सही है। माननीय सदस्यों की चिन्ता बिलकुल सही है कि इनको स्पेशल पैकेज मिले। हमारा मंत्रिमण्डल है, मुख्य मंत्री जी से सलाह करके ही हम लोग कोई जवाब दे सकते हैं। हमारी मंशा यही है कि एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार किसानों को स्पेशल पैकेज के तहत, अधिक से अधिक किसानों को मिले। मैं उप नेता जी को कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी बात कहें।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): मोदी जी तो अडानी जी का ही जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय मंत्री जी, हो गया।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): संसद बंद पड़ी है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। मंत्री जी, बैठें। माननीय मंत्री जी, धन्यवाद।

विधायी कार्य। विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर, विधेयक, 2023, टीकाराम जूली।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर, विधेयक, 2023

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर, विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने बिल पर रेस्ट्रिक्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से मैंने पूछा, उनका समय उस हिसाब से होगा। बाकी सदस्य भी, तीनों बिल पर जिन्होंने अमेंडमेंट दिया, एक बिल पर बोलने की प्रिफरेंस ले लें अपनी। यह विश्वविद्यालय का बिल है, इसको हम दो बजे पास करने की कार्यवाही करेंगे जिससे दो बिल हम आगे ले सकें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, जिस बिल पर अभी आपने व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम कोशिश करेंगे कि इस विश्वविद्यालय के बिल को डेढ़ बजे ही हम पूरा कर दें। अध्यक्ष महोदय, जनमत जानने हेतु संशोधन देते हैं, यह उनका अधिकार है, उनकी रक्षा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

अध्यक्ष महोदय, आज सदन बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यलाय, जयपुर, विधेयक, 2023 पर चर्चा कर रहा है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में सरकार ने लिखा है, विशेष योग्यजन की समस्याओं, पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करवाकर ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि, इस क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अध्यापन की उच्च संस्थाएं।

अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष पहले, 2022-23 में राजस्थान की विधान सभा में इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बजटीय घोषणा हुई थी। निश्चित तौर पर जब दिव्यांग की बात चलती है तो उस व्यक्ति का चेहरा दिलो-दिमाग में आता है जिसके पास पुरुषार्थ हमसे ज्यादा है। सृष्टि के रचयिता ने शरीर के अंग में कोई कमी करके उसको भेजा, फिर भी वह सामान्य के रूप में इस संघर्ष में हमसे हमारे साथ जुड़ना चाहता है।

(समय: 12.32 बजे)

(श्री जे.पी. चंदेलिया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, ऋग्वेद में भी ऋषि अष्टावक्र की चर्चा हम सुनते हैं। 03 दिसम्बर को पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे फोर डिस्एबिलिटी मनाती है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिव्यांग शब्द, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2015 में मन की बात में जब वह अपनी बात कह रहे थे तब उन्होंने दिव्यांग शब्द की चर्चा की, उसके बाद विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द आया।

सभापति महोदय, दिव्यांगों को समान व्यक्ति के रूप में अवसर मिले, सुगम्य भारत अभियान, भारत सरकार ने 2015 से प्रारम्भ किया। दिसम्बर, 2021 तक मैं भारत सरकार के दिव्यांग उत्थान काम को देखता हूं, 19 लाख 67 हजार दिव्यांग को 1,182 करोड़ उपकरण एवं सहायता के लिए दिए। 1 लाख 4 हजार छात्रवृत्ति 402 करोड़ की दी। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, अब तक का सबसे अधिक बजट दिव्यांग कल्याण के लिए 2023-24 में भारत सरकार ने 155 करोड़ रखा। यह भारत सरकार थी जो राइट आफ परसन विद डिस्एबिलिटी एक्ट लेकर आई। उस एक्ट के अनुसार नौकरियों में आरक्षण तीन परसेंट से बढ़ाकर चार परसेंट किया गया। नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में पांच परसेंट आरक्षण का अधिकार दिया गया।

सभापति महोदय, बाबा आमटे के नाम से अगर दिव्यांग विश्वविद्यालय खुले, किसी को क्या एतराज। एक वर्ष पहले 2022-23 के पैरा 58 में इसी सदन में जब मुख्य मंत्री जी घोषणा कर रहे थे, उसी साल क्या इस सरकार को यह एक्ट लाना नहीं चाहिए था? इस सरकार द्वारा घोषणा करके फिर भूल जाना, मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं, अगर सरकार अपने कार्यकाल में बाबा आमटे नाम के दिव्यांग विश्वविद्यालय में पठन-पाठन का काम चालू कर दे तो सदन जो सज़ा देगा, वह सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है।

सभापति महोदय, दिव्यांगजन के लिए जामडोली, जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय तथा उसके साथ नेत्र विकास संस्थान जोधपुर, जोधपुर संस्थान को कालेज का दर्जा देने के लिए पिछले बजट में, मंत्री महोदय, 15 करोड़ का प्रावधान किया गया। मैं जानना चाहता हूं, यह सदन जानना चाहता है, पिछले वर्ष की बजटीय घोषणा, साढ़े सात करोड़ की घोषणा, जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के लिए। जोधपुर, जहां से मुख्य मंत्री निर्वाचित होकर आते हैं, आपने अगर फूटी कौड़ी इसमें खर्च की हो तो मुझे बताएं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, यह सबको मालूम है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। विश्वविद्यालय स्थापना के लिए यूजीसी के मापदण्ड बने हुए हैं। दिव्यांग विश्वविद्यालय के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् के मापदण्ड बने हुए हैं। मंत्री महोदय, क्या यह सम्भव है कि आपने जो राशि पिछले साल रखी उससे भारतीय पुनर्वास परिषद् और यूजीसी के मापदण्ड के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित हो सकता है? मंत्री जी, आपका तर्क आएगा, निश्चित तौर पर एक वर्ष में कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो सकता तो आप मुझे रोड मैप बता दें। आप पिछले वर्ष के बजट में घोषणा कर रहे हो। जब आपके पास साढ़े सात महीने बचे हैं, आचार संहिता से दूर खड़े हो आप, आप अपना रोड मैप सदन को जरूर बताएं कि आप इस विश्वविद्यलाय को कब तक स्थापित करना चाहते हैं। ईआरसीपी का सच निकलकर सामने आ गया न कि 2051 तक पूरी करोगे, इसमें भी जब आप रिप्लाई करो तब वर्ष बता देना।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान प्रस्तुत विधेयक के पेज 47, वित्तीय ज्ञापन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें लिखा है, भवनों के संनिर्माण और आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए अनुमानित लागत 8 करोड़ 73 लाख। क्या मजाक है? 8 करोड़ 73 लाख के अन्दर राजस्थान की सरकार दिव्यांग विश्वविद्यालय बना देगी? रिकरिंग कॉस्ट में 5 करोड़। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप इस विश्विद्यालय की जगह, इसमें कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं, आप बाबा आमटे के नाम से दिव्यांग विद्यालय नाम लिख दो तो कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि 8 करोड़ के अन्दर दिव्यांग विश्वविद्यालय, क्या दिव्यांग विद्यालय भी नहीं बनता।

सभापति महोदय, देखिए क्या मजाक हो रहा है? मंत्री जी, 2023-24 बजट पैरा 74 के अन्दर, जयपुर स्थित बाबा आमटे विश्वविद्यालय के अन्तर्गत, मतलब विश्वविद्यालय तो बन ही गया इनके हिसाब से, वाह क्या कहना। Centre for Excellence in Assistive Technology के लिए 25 करोड़ की घोषणा। विश्वविद्यालय 8 करोड़ से बनेगा और उसमें एक सेन्टर बनेगा 25 करोड़ से, यह बजटीय घोषणा, यह थोथी बातें कब तक चलेंगी? अब यह कहने से काम नहीं चलेगा, आपने यह नहीं किया, हमने यह नहीं किया। हमने नहीं किया तो यहां बैठे हैं। आप चार-साढ़े चार साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करो, मंत्री महोदय।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, आपने किया क्या है, Centre for Excellence in Assistive Technology में आपने 25 करोड़ रुपये की राशि रखी है, यह उलटे बांस बरेली को। मैं अपनी बात निश्चित समय में समाप्त करूं, अध्यक्ष जी की जो भावना है, उसके अनुसार ही समाप्त करूंगा।

2023-24 के पैरा 74 के कालम दो में मुख्य मंत्री जी ने क्या घोषणा की, आप कैसे मजाक विकलांगों के साथ कर रहे हो? मैं वह सारी रिपोर्ट छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं। राजस्थान में विकलांगों की क्या स्थिति है? राजस्थान में विकलांगों की साक्षरता कितनी गिरी है? राजस्थान में विकलांगों के विद्यालय में स्पेशल शिक्षक हैं, उनमें कितनी कमी है, उनका जिक्र करूंगा तो आप मुझे टोक देंगे। परन्तु इस बात का जिक्र जरूर करूंगा 2023-24 का और सदन का ध्यान भी चाहूंगा। बजट पैरा 74 (2) में मुख्य मंत्री ने कहा, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूं, इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान। जयपुर में विश्वविद्यालय 8 करोड़ 73 लाख में बनेगा और जोधपुर में उसी तर्ज पर बनेगा 25 करोड़ में।

माननीय सभापति महोदय, खाना सब लोग खाते हैं। मैं यह समझता हूं कि यह सारी बातें जो मैं कह रहा हूं अभी इसके अन्दर आपने सैक्शन 4 में विश्वविद्यालय की अधिकारिता मतलब, आप आर्डिनेंस जारी करके एफिलिएटेड महाविद्यालय भी आप इसमें जोड़ेंगे, तो कौनसा महाविद्यालय खोल दिया? आप क्यों मजाक करते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप हवामहल में चले जाएं, आमेर में चले जाएं तो मन में यह करुणा उठती है कि दिव्यांग वहां भीख मांगता मिलता है और इन्होंने यह घोषणा की थी अपने जन घोषणा पत्र में पेज 32 पर कि सभी सम्भागीय मुख्यालय में हम मूक बधिर विद्यालय खोलेंगे। मंत्री महोदय, आप बता देना कि कितनी जगह पर आपने खोला?

माननीय सभापति महोदय, आपने इसी विधेयक में धारा 7 (ix) में यह कहा और धारा-46 में यह कहा कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं से अपेक्षित फीस वसूल करेंगे, तो आप जरा यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 पढ़ लो। उसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि इनको मुफ्त में शिक्षा दी जायेगी। आज शिक्षा का स्तर कितना गिरा है, 2015 के बाद में 63 परसेंट शिक्षा का स्तर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गिरा है और अभी यूनिसेफ के जो चीफ हैं उनकी स्टडी आयी थी कि राजस्थान में 15 लाख दिव्यांगजन हैं जिनमें से 4 लाख विद्यार्थी हैं और मैं यह समझता हूं कि आप यह बतायें कि इन दिव्यांगजन को पढ़ाने के लिए कितने स्पेशल टीचर्स की आवश्यकता है और आपके पास कितने टीचर्स हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह 28 सरकारी विश्वविद्यालय इस समय काम कर रहे हैं और 52 निजी विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं तो इन 80 विश्वविद्यालयों में इसी तरह से कागज के टुकड़ों पर यह बाबा आमटे का दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा आप चाहे कर देना, पर मेरा यह सरकार पर आरोप है कि यदि सरकार गम्भीर होती तो पिछले साल की बजटीय घोषणा, इस साल अब बजट केवल 8 करोड़ 73 लाख नहीं रखती, इस साल बजट पूरा रखती। आपने यह ईंट लगायी हो पिछले साल की बजटीय घोषणा के अनुसार तो आप कहेंगे वह सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। कम से कम भगवान के लिए दिव्यांगजनों के साथ इस प्रकार का व्यवहार तो बंद करो।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि यह जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 पर हम चर्चा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह मैसेज देने की कोशिश की है इस सरकार ने कि हम दिव्यांगों के प्रति काफी सहानुभूति रखते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं और इसलिए विश्वविद्यालय हम खोलेंगे। यानी, एक साल पहले नींद में इन्होंने बजट में यह घोषणा की थी, फिर सो गये और फिर इस बजट को रखने के बाद फिर यह बिल ला रहे हैं बाबा आमटे विश्वविद्यालय का तो क्या एक साल तक कुम्भकर्णी नींद सो रहे थे?

माननीय सभापति महोदय, इससे यह लगता है क्या कि यह दिव्यांगों की सेवा करना चाहते हैं या उनके उत्थान की बात सोचते हैं? यह विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन यह भी बताना होगा इस

(श्री मदन दिलावर)

राजस्थान की जनता को कि कितने विद्यालय, महाविद्यालय इस राजस्थान में दिव्यांगों के चल रहे हैं? मेरी मोटी-मोटी जानकारी के अनुसार सारे छोटे-मोटे विद्यालय और महाविद्यालयों को जोड़ भी लें तो एक दर्जन से ज्यादा कहीं पर भी नहीं हैं। अब उसमें क्या कहना चाहेंगे? इसके बावजूद भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन निजी शिक्षण संस्थानों में, वहां पर ठीक प्रकार की सुविधाएं भी नहीं हैं। जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको भी पर्याप्त अनुदान सही समय पर नहीं दिया जा रहा है। उनके कर्मचारियों को वेतन भी इतना न्यून दिया जा रहा है कि जो विशेष शिक्षक हैं, वे उस वेतन में नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि उसमें उनका परिवार नहीं चल पाता है। माननीय सभापति महोदय, जब वहां पर शिक्षक नहीं पढ़ायेगा तो फिर उनकी पढ़ाई कैसे होगी? उनको इतना मानदेय देना चाहिए कि उनका परिवार चल जाये और जब परिवार नहीं चलता है तो मजबूरीवश वह यह कोशिश करता है कि ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, पूरी अधिकारी लॉबी खाली है।

श्री सभापति: बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। आप लोग आगे आ जायें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): तो विशेष शिक्षक यह कोशिश करता है कि इससे तो बढ़िया है कि मैं कहीं पर मजदूरी ही कर लूं और पढ़ाने की बजाय मजदूरी करना बेहतर समझता है और इसीलिए यह जो विशेष विद्यालय दिव्यांगों के हैं, यह नहीं चल पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, दिव्यांगों को नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया है पर वह कहां पर मिलता है? किसको मिलता है? यदि मिलता भी है तो केवल आर्थोपैडिक दृष्टि से जो विकलांग हैं उन्हीं लोगों को मिलता है जबकि विकलांग 21 प्रकार के होते हैं यानी, दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है। उस 21 प्रकार के दिव्यांगजनों में जो कमी है, उसके आधार पर सबको लाभ मिलना चाहिए था लेकिन वह नहीं मिल रहा है। आज यदि हम गणना करेंगे तो पाइंट जीरो जीरो वन परसेंट भी नेत्रहीन नहीं मिलेंगे। पाइंट जीरो जीरो वन परसेंट भी मेंटल रिटार्डेड लोग नहीं मिलेंगे। पाइंट जीरो जीरो वन परसेंट भी पूरे बहरे नहीं मिलेंगे, केवल आर्थोपैडिक दृष्टि से जो विकलांग हैं और उनसे भरकर, शेष दिव्यांग लोगों को तरसना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री मदन दिलावर)

दिव्यांगों के लिए इस सरकार ने यह घोषणा कर दी कि जो दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं उनको सबको एक हजार रुपये अतिरिक्त दिया जायेगा। यह घोषणा एक साल पहले की गयी पर कितने को मिला? उनके नियम ही जारी नहीं किये, आदेश ही जारी नहीं किये और अब जो मैंने सुना है कि वे दिव्यांग को, उसको एक हजार रुपया अतिरिक्त मिलेगा जो सौ प्रतिशत दिव्यांग होगा। यानी, सौ प्रतिशत दिव्यांग का मतलब, जो मर गया होगा यानी, जो मर गये हैं लोग, उनको यह पेंशन के अतिरिक्त एक हजार रुपये देना चाहेंगे क्योंकि मर गया, उसकी तो पेंशन ही बंद हो गयी। वह तो मर गया, उसकी तो पेंशन ही बंद हो गयी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, पूरी सरकार गायब है। सत्ता पक्ष के बहुत कम माननीय सदस्य बैठे हुए हैं।

श्री सभापति: बैठे हुए हैं। मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उसको कहां से देंगे इसलिए यह पेंशन ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के इतने कम माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बुलवाइये। आप बैठें, आप बैठें। आ रहे हैं। बुलवाओ उनको। आ रहे हैं। आप बैठ जाओ। आप बोलिये। आप बोलिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाइये।

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): केवल चार ही बैठे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, आप सदन को आर्डर में लाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह मजाक नहीं है क्या? बिल सरकार का है। दिव्यांग का बिल है और ट्रेजरी बेंचेज को देखिये आप कि एक, दो, तीन।

श्री सभापति: आप बैठें। आ रहे हैं, आ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, हम भी यदि अभी बाहर चले जायें तो? हम सम्मान कर रहे हैं। हम भी यदि बाहर चले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जायें तो अभी आपको कोरम की घंटी बजानी पड़ेगी। मैं बाहर चला जाऊं सबको लेकर तो अभी आप कोरम की घंटी बजाओगे।

श्री सभापति: आ गये। प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मजाक बना रखा है। दिव्यांगों पर बात कर रहे हो। यह सदन की गम्भीरता है? शेम-शेम। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): एक भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बोलिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, आप सदन को आर्डर में लाइये।

श्री सभापति: आप प्लीज बोलिये। हां, आप बोलिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, दिव्यांगों के लिए सरकार ने यह घोषणा की है जो दिव्यांगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है कि हम आपके लिए उत्थान के काम कर रहे हैं और यह कहा गया कि इनको बी.पी.एल. के समकक्ष मानकर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, पर आज तक एक को भी बी.पी.एल. के समकक्ष भौतिक रूप से नहीं माना गया है। यहां सदन के पटल पर मान लिया होगा मंत्रीजी ने, लेकिन फील्ड में नहीं माना जा रहा है। न उनको किसी प्रकार की सुविधा दी जा रही है जबकि यह सरकार की घोषणा है। आस्था कार्ड जिसके पास होगा उसको यह सुविधाएं देंगे लेकिन यह नहीं मिल रही हैं। केवल आदेश करने से काम नहीं चलता है, उसकी क्रियान्विति भी करवानी पड़ती है लेकिन यह सरकार सक्षम नहीं है। इनके मन में दिव्यांगों के प्रति पीड़ा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, डेढ़ लाख प्रमाण-पत्र दिव्यांगों के धूल खा रहे हैं। दिव्यांगों के प्रमाण-पत्र इनको बनाने थे, लेकिन वे कागज धूल खा रहे हैं। इन्होंने यह कहा था हम एक-एक व्यक्ति को छांट-छांट करके, सर्वे करके उनको प्रमाण पत्र बनाएंगे लेकिन आज भी दिव्यांग घसीटता हुआ, किसी आदमी के सहारे चलता हुआ, किसी के कंधे पर बैठकर चलता हुआ, आज कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इस यूनिवर्सिटी के बिल पर बोलिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या आप इसी तरह से विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं? यह क्या

(श्री मदन दिलावर)

दिव्यांगों का अपमान नहीं है? इस प्रकार से कहकर फिर उनको लाभ नहीं देना, उनको सुविधाएं नहीं देना, यह उनका अपमान है।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह सरकार दिव्यांगों का अपमान करना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, 8 करोड़ रुपये में हम बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, केवल 8 करोड़ रुपये में। 8 करोड़ रुपये में तो एक अच्छी सी.एच.सी. भी नहीं बनती है, जिसमें पांच-सात कमरे होते हैं, तो फिर यह क्या करना चाहते हैं? विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं? जहां पर महाविद्यालय नहीं, जहां पर विद्यालय नहीं, जहां इनके पास कोई ढांचा नहीं है और मुझे तो जो मोटी-मोटी जानकारी मिली है कि अभी तो इन्होंने जमीन को भी आइडेंटिफाई नहीं किया है कि कहां पर बनाएंगे। प्राइवेट विश्वविद्यालय तो बन जाता है कम्प्लीट जब बिल लाते हैं। यहां तो कुछ भी नहीं है, तो बिल लाये और घोषणा हो गयी पहले। इसलिए मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि भगवान के नाम पर इस प्रदेश के दिव्यांगों का अपमान मत करिये अन्यथा भगवान आपको माफ नहीं करेगा।

श्री सभापति: थैंक यू माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि 21 कैटेगरी के जो दिव्यांग हैं उन सभी दिव्यांगों को जो लाभ सरकार की तरफ से तय किये गये हैं, उनको वह लाभ क्यों नहीं मिल रहे हैं? आज भी तीन या चार प्रकार की कैटेगरी के ही लाभ उनको मिल रहे हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्री वासुदेवजी देवनानी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मेरी प्रार्थना है कि उनको लाभ मिले और बीपीएल के समकक्ष सारी सुविधाएं मिलें। सदन में कहने से काम नहीं चलने वाला है, फील्ड में भी जाना चाहिए, फील्ड में काम होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। मुझे आशा है, सरकार इस 8 करोड़ के बजट को कम से कम दो सौ करोड़ करे, तब जाकर विश्वविद्यालय बनेगा, नहीं तो नहीं बन पायेगा। यह सरकार का नाटक है। मात्र 8 करोड़ रुपये रख कर दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाना और बाबा आमटे जैसे अच्छे आदमी का नाम जोड़ कर उनको अपमानित करने का षड्यंत्र हो रहा है। यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 पर चर्चा हो रही है। सरकार दिव्यांगों के प्रति कितना सम्मान रखती है और कितना विश्वास रखती है, उसका हाल ट्रेजरी बैंचेज खाली हैं, उससे पता चलता है। न तो यहां पर सरकार है, न विधायक हैं यानी इस प्रकार का मखौल बना दिया है। यह तो दिव्यांगों के प्रति अपमान है। केवल मैसेज देने के लिए विधान सभा में इस तरह का विधेयक लाना चाह रहे हैं आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी सहानुभूति लेना चाह रहे हो, लेकिन जनता जागरूक है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय,...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप बैठिए। ये किस हैसियत से खड़े हुए हैं?

श्री सभापति: बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपको क्या अधिकार है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वसुन्धराजी 10 साल मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठी थीं लेकिन वह तो विधान सभा में नहीं बैठतीं। उनको शर्म नहीं आती है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह नाटक मत करिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। बैठिए आप। Let him continue. आप बोलिए प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इस सरकार की दिव्यांगों के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। अभी साल भर तो इनको हो गया तब जाकर ये विधेयक लाये हैं तो क्या छह महीने में विश्वविद्यालय स्थापित कर देंगे? क्या इस बात की कोई कल्पना की जा सकती है? छह महीने में तो ये जमीन ढूंढेंगे। कोई हल ढूंढेंगे। यानी छह महीने के अन्दर विश्वविद्यालय नहीं बन पायेगा। यह तो केवल आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बड़े-बड़े उद्देश्य इसमें बताये गये हैं। परिवार चिकित्सा, व्यावसायिक

(श्री वासुदेव देवनानी)

परामर्श, पुनर्वास, मनोविज्ञान, इस प्रकार का आप लाना चाह रहे हैं। उसके लिए आपने मात्र 8 करोड़ 73 लाख ही रखा है। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि 8 करोड़ में तो एक विद्यालय तक नहीं बनता है। विश्वविद्यालय बनाना है तो 25-50 करोड़ रुपये की व्यवस्था करते। आपके पास पैसा है नहीं। 200 करोड़ से कम तो विश्वविद्यालय बन नहीं सकता, लेकिन आप 25-50 करोड़ तो रखते। केवल 8 करोड़ रुपये रखकर आपने इसकी एक तरह से बेइज्जती की है। वैसे भी इस सरकार का विश्वविद्यालयों के प्रति सकारात्मक सोच नहीं है? राजस्थान में 52 विश्वविद्यालय प्राइवेट भी हैं, जो बने हुए हैं, आज सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत यह है कि उनमें 25 परसेंट प्राध्यापक ही रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अजमेर विश्वविद्यालय की बात करता हूं, 48 में से 32 पद खाली। इसी प्रकार का हाल राजस्थान विश्वविद्यालय का भी है। यानी आप उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के प्रति गम्भीर नहीं हैं। आप विश्वविद्यालयों को दे क्या रहे हो? राज्य पोषित विश्वविद्यालय। कहीं एक लाख, कहीं दो लाख, कहीं तीन लाख का प्रावधान करके केवल बजटीय औपचारिकता आप निभा रहे हो। न तो आप विश्वविद्यालयों को पैसा दे रहे हो, न पद दे रहे हो। किस बात का विश्वविद्यालय चला रहे हो? यही हश्र कहीं इस विश्वविद्यालय के साथ भी नहीं हो जाये।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा यह कहना है कि सारे विश्वविद्यालय जयपुर या जोधपुर में ही किये जा रहे हैं, बाकी तो कोई स्थान है ही नहीं। आज अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो। केवल एक ही एमडीएस विश्वविद्यालय है। सारे विश्वविद्यालय जोधपुर ले जाओ, जोधपुर ले जाओ। जोधपुर को स्टेट बना दो न। आप राजस्थान स्टेट के मुख्य मंत्री हो, आपको सारे संभागों पर समान रूप से विचार करना चाहिए। आपको इस प्रकार के मामले में कोई विश्वास नहीं है। मेरा आपसे स्पष्ट है कि आज इस प्रकार की जो स्थितियां बनीं हैं उसमें घोषणा करके आप भूल जाते हो।

माननीय सभापति महोदय, सरकार का पठन-पाठन में कोई विश्वास नहीं है और आपने भारतीय पुनर्वास परिषद् के मापदण्ड पढ़े हैं क्या? आपने कभी पढ़े ही नहीं। उसमें क्या-क्या चाहिए, मैं पूरा बताऊंगा तो समय लगेगा। आपने चार मिनट बोलने के लिए ही कहा है मुझे। आप केवल औपचारिकता करके, यहां से पारित करवाकर फिर भूल जाओगे। आपने कई विश्वविद्यालय

(श्री वासुदेव देवनानी)

खोले। जहां 30-30 पद स्वीकृत हैं, वहां एक भी पद की नियुक्ति नहीं हुई। आप उनमें कब नियुक्ति कर दोगे? इसके लिए विशेष टीचर्स की आवश्यकता रहेगी। वह कहां से आयेंगे? इसका कोई जबाव नहीं है। टीचर्स ही नहीं हैं तो विश्वविद्यालय के लिए प्रोफेसर्स कहां से आयेंगे? इसकी कोई चिन्ता नहीं है। इस प्रकार की स्थिति बनी है। जिस प्रकार से आप मखौल उड़ा रहे हो, यह ठीक नहीं है। केन्द्र सरकार लगातार दिव्यांगों के प्रति समर्पित और संवेदनशील है। यदि सम्मान दिया है तो केवल केन्द्र सरकार ने दिया है। स्कालरशिप आ रही है तो वह केन्द्र सरकार से आ रही है। आप क्या कर रहे हो? आपने इस प्रकार की स्थिति बना दी। आप फिनटेक का यहां पर लाये और बिना पास कराये तथा बिना यूजीसी के मापदण्ड तय किये आपने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का हश्र आप दिव्यांगजन के लिए भी कर रहे हो। दिव्यांग और बाकी विश्वविद्यालयों के प्रति आप गम्भीर नहीं हो। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको कम से कम तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये ताकि सभी बातों पर विचार किया जा सके और हम ढंग से दिव्यांगों की सेवा कर सकें, उनके प्रति संवेदनशील रह सकें, नहीं तो यह सदन और जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। आप दिव्यांगों का अपमान करोगे तो उनकी आह आपको लगेगी और उससे आपकी सरकार धराशायी हो जायेगी। आप कहीं के नहीं बचोगे, इसलिए अभी भी सोच लो, विचार कर लो कि यह विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए पूरी योजना बनाइये। इस प्रकार का विश्वविद्यालय स्थापित करने का दूसरा किसी का मत हो नहीं सकता। आप बहुत लेट आये हैं। अभी भी इस पर पुनर्विचार करो। सारे प्रावधान करो, अच्छे ढंग से विश्वविद्यालय खोलें। उसके लिए सौ-पचास करोड़ रुपये का प्रावधान रखेंगे तो वास्तव में दिव्यांगों का कल्याण हो सकेगा, अच्छी शिक्षा दी जा सकेगी, अच्छा पुनर्वास हो सके, चिकित्सा हो सके और व्यावसायिक परामर्श हो सके। उनके लिए पुनर्वास, मनोविज्ञान का डिपार्टमेंट हो ताकि सभी लोग आपको भी साधुवाद दे सकें। यह जल्दबाजी में लाया गया विधेयक है। मैं मांग करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ताजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 पर बोलने का

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार लगातार विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए विधेयक भी लेकर आ रही है, विधेयक लाना और किसी भी विश्वविद्यालय को शुरू करना और उसमें मूलभूत सुविधा छात्रों को उपलब्ध करवाना, निश्चित तौर पर यह सभी स्टूडेंट्स का सपना होता है। जैसा कि गत बार भी हम लोगों ने देखा कि राजस्थान में 29 कृषि कालेजों की घोषणा की गयी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि समय पर परीक्षा के भी लाले पड़ गये। इस विधेयक को लाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था कि हम पुनर्वास के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय को शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान का एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करेंगे, निश्चित तौर पर वह हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक को एक वर्ष बाद लाकर इस विश्वविद्यालय को शुरू कर रहे हैं और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगी कि आपने 25 करोड़ का बजट का जो प्रावधान रखा, निश्चित तौर पर पैरा संख्या 34 पर बिन्दु संख्या 74, यह राजस्थान के हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस प्रस्तुत विधेयक में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था होनी चाहिये, साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी का प्रावधान भी अगर हम रखेंगे तो हमारे दिव्यांग भाइयों को बहुत अच्छा लगेगा और उनके हितों की रक्षा होगी।

(समय: 13.00 बजे)

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी इस विधेयक के पक्ष में कि कहीं-न-कहीं यह भी प्रावधान हम लोग करें कि मिनिमम स्कालरशिप का प्रावधान रखा जाये, उसमें जो विद्यार्थी हैं उनको आर्थिक सहायता मिलती है, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही उनके लिए बहुत सारे प्रावधान कर रखे हैं लेकिन फिर भी वह अधिकारियों के इर्द-गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, तो यह आर्थिक सहायता का प्रावधान इसमें किया जाये।

इसके साथ ही, जो कुलपति की स्थायी नियुक्ति का प्रावधान रखा जायेगा, उसको विश्वविद्यालय की कैटेगरी, जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है, उसी को आरक्षण का प्रावधान इसमें दिया जायेगा तो निश्चित तौर पर इन दिव्यांग भाइयों और बहनों को अच्छा लगेगा।

साथ में, मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगी कि दिव्यांगों को जो राजकीय कार्य हेतु जाने के लिए सहयोग के रूप में, क्योंकि हम सब जानते हैं, वह दिव्यांग हैं, कहीं-न-कहीं चलने-फिरने में भी उनको प्रॉब्लम आती है, अगर ऐसे

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

में एक सम्बन्धित व्यक्ति को साथ में रखने का प्रावधान होगा तो निश्चित तौर पर सरकार का इस विधेयक को लाने के पीछे जो कारण है, वह सही तरीके से सही मायने में धरातल पर उतरकर आयेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहूंगी कि विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी भी तरह का कोई भी शुल्क दिव्यांग बंधुओं से नहीं लिया जाये। साथ ही साथ, जो वार्षिक बजट, छात्रों की जो उपलब्धता होती है, उसके अनुसार नियमित रूप से प्रतिवर्ष उनको बजट का आबंटन किया जाये। यह भी मैं कहूंगी और मैं यह मांग रखती हूं कि इसमें प्रावधान किया जाये क्योंकि हम विश्वविद्यालय बनाते हैं, विश्वविद्यालयों की क्या हालत होती है, पूरे राजस्थान में हम लोग देखते हैं कि कहीं बैठने को कमरे नहीं होते, कहीं हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं होती, तो यह सारे प्रावधान हमें करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस विधेयक में आपने चिकित्सा का जोड़ा है, लेकिन सभी महाविद्यालयों में, जो दिव्यांग महाविद्यालय हैं, उसमें एक अलग से डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जाये, एक चिकित्सक और साथ ही साथ जो डायटिशियन की नियुक्ति भी अगर इसमें करेंगे तो दिव्यांग भाइयों-बहनों के लिए बहुत अच्छी सुविधा वहां पर स्थानीय स्तर पर मिल सकेगी। सरकारी नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर नियुक्ति केन्द्र, जो हमारा है और नियुक्ति आवेदन विश्वविद्यालय स्तर पर नि:शुल्क किया जायेगा। अगर यह प्रावधान इस विधेयक में रखेंगे तो उन विद्यार्थियों के लिए यह बहुत अच्छा होगा और आगामी वर्षों में जो हमारे प्रस्तावित महाविद्यालय हैं, अगर उनको ज्यादा से ज्यादा हम पहले जिला हैडक्वार्टर पर खोलेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमारा वैसे ही हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक पाइंट और रखना चाहूंगी कि इस विधेयक में हम लोग यह भी प्रावधान करें कि बजट नियंत्रण हेतु राज्य स्तर पर अगर कमेटी का गठन किया जाये और भवन निर्माण के दौरान गुणवत्ता हेतु विशेष कमेटी अगर बना दी जायेगी तो इसमें भी पारदर्शिता रहेगी, जिससे कि हमारे बोर्ड के जो सदस्य हैं, विश्वविद्यालय के अलावा, वित्त विभाग और विकास बोर्ड के जो सदस्य हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाये और दिव्यांग महाविद्यालयों में कौशल विकास के लिए भी इस विश्वविद्यालय के अंदर एक अलग से पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाये ताकि हम उन

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

दिव्यांग बंधुओं को, इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बंधुओं को कहीं न कहीं लाभ दे सकें, बहनों को लाभ दे सकें। मैं इस बात के लिए मांग करती हूं कि इस विधेयक को 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देर आये दुरूस्त आये, विशेष योग्यजनों के लिए आपने उनकी समस्याओं, पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करवाकर ज्ञान का प्रसार अभिवृद्धि, इस क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अध्यापन की उच्च संस्थाओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आप यह विधेयक लेकर आये हैं। इस बात के लिए तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, पर जैसे मेरे साथियों की चिन्ता है, यह विधेयक तो आ गया, यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी बने, उसके लिए वित्तीय प्रावधान बढ़ाये जायें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ इस विश्वविद्यालय में आने वाले विशेष योग्यजन कैसे तय होंगे, इस बात की बड़ी चिन्ता रहती है। माननीय सभापति महोदय, जब गांव में कोई आदमी विकलांग है तो उसको यह कह देते थे कि तू तो 40 प्रतिशत है ही नहीं, तू तो 33 प्रतिशत है, 32 प्रतिशत है, 30 प्रतिशत है। यह बड़ी भारी चिन्ता उसको है। उसको विकलांग प्रमाण-पत्र 40 प्रतिशत से कम का देने का प्रयास रहता है। जिस तरीके से दिव्यांग का यहां आकर हरैसमेंट होता है, उसमें सुधार की जरूरत है। बाकी सरकार जिस मंशा के साथ में यह लेकर आयी है, उनका भला करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि यह तो ठीक है, पर आज जो मजाक दिव्यांग के साथ हो जाती है कई बार, उसमें बहुत जरूरी है।

अभी स्कूटी की बात चल जाये कि आपको दिव्यांग को स्कूटी देनी है तो उसको कहेंगे कि, ला तेरा ड्राइविंग लाइसेंस दिखा। विकलांग का ड्राइविंग लाइसेंस किस बात का बनेगा? पहले आप उसको स्कूटी देओगे तो कुछ चलाना सीखेगा। ड्राइविंग लाइसेंस पहले ही मांगकर खड़े हो जाते हैं। ऐसी चीजें हैं, जो नीचे के धरातल पर दिक्कत हैं, उन दिक्कतों को दूर करते हुए आप यह विधेयक लेकर

(श्री बलवान पूनियां)

आये हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के दिव्यांगों को एक हौसला होगा, उनकी बुद्धि आगे बढ़ेगी, उनके ज्ञान की रोशनी बढ़ेगी, उनको प्रमाण पत्र मिलेंगे, उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा, शोध के काम होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव इस प्रस्ताव के साथ वापस लेता हूं कि दिव्यांग विश्वविद्यालय के लिए मैं MLA लैड से 10 लाख रुपये भी दूंगा।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि जो काम हम सबको बहुत पहले कर लेना चाहिये था उसमें हम लेट है और हम ही नहीं, पूरा राष्ट्र ही लेट है। पूरे भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, दो जगह पर ही इस तरह के विश्वविद्यालय हैं और अब उसी कतार में हम भी शामिल होने जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, दिव्यांगों का जहां तक सवाल है, कई बच्चे इस तरह की दिव्यांगता को प्राप्त होते हैं कि परिवार के लोग भी उनको अपने साथ रखकर पालन-पोषण नहीं कर पाते। हममें से जो भी इन दिव्यांगों के लिए बने हुए विद्यालय या छात्रावास में जाता है, उसको यह अनुभव होगा कि वह बच्चे किस तरीके से अपने वार्डन से जुड़ जाते हैं, किस तरीके से अपने टीचर से जुड़ जाते हैं और गांव के लोग, कस्बे के लोग या जो भी वहां विजिट करते हैं, जब उनके लिए तोहफा लेकर जाते हैं, उनके चेहरे पर जिस तरह से उल्लास के भाव होते हैं, वह आपको भी भावुक कर देगा। समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो उनकी सेवा में अपना योगदान करते रहते हैं, संस्थाएं भी करती रहती हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के जो भी प्रभारी मंत्री हैं, जिस जिले में जब भी गये हैं उन्होंने इस बात का प्रयास किया है कि दिव्यांगों के लिए जो व्यवस्था की गयी है, उस व्यवस्था को देखें। उस व्यवस्था को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इसमें सुधार करें। कई जगह पर उन बच्चों के लिए अगर खेलने या मनोरंजन की जो सुविधाएं होनी चाहिये, वह नहीं होती हैं, तो वह भी प्रयास किये गये हैं कि स्थानीय निकाय के माध्यम से या और दूसरे माध्यम से व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी मुझ से पूर्व कामरेड बलवान पूनियां

(श्री संयम लोढ़ा)

ने बात कही कि 10 लाख रुपये विधायक कोष से वह देने की घोषणा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने यह बात रखी कि यह जो प्रावधान 8 करोड़ समथिंग का किया है, आधारभूत ढांचे के लिए, रेकरिंग और एक्सपेंडिचर तो अलग है, वह राशि बहुत कम है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करूंगा कि पूरे सदन के 200 विधायकों के 10-10 लाख रुपये आप आसन से व्यवस्था दें कि इस पुनीत और पवित्र कार्य के लिए इस संस्था को दिये जायें, जिससे 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि इस इंस्टीट्यूशन को और अधिक बेहतर चलाने के लिए प्राप्त हो सकेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सरकार इतनी कंगाली में चली गयी क्या? सरकार कह दे कि हम कंगले हो गये, हम दे देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कौन कंगला है और कौन दिलदार है, वह भी मैं बताऊंगा। यह तो इसलिये कह रहा हूं कि हम सबमें भी यह भाव आये कि इस पुनीत कार्य में हम भी सीधे तौर पर भागीदार बनें। सरकार तो सक्षम है ही, जब उसने जमीन की व्यवस्था की है, उसने यह कार्य करने की घोषणा की है वरना देश के इतने राज्यों में यह संस्था क्यों नहीं खुल पायी? अब आप कंगले की बात करते हो तो मैं आपको बता देता हूं। भारत सरकार नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाती है। पिछले साल में बजट का जो प्रावधान रखा था, क्या उस प्रावधान को इस साल नहीं घटाया?

श्री सभापति: आप इस विश्वविद्यालय तक ही सीमित रहिये। (व्यवधान) आप इस बिल तक ही सीमित रहिये, प्लीज। आज समय की थोड़ी कमी है।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, 10 लाख रुपये मेरे भी फण्ड के ले लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): +++ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इन विकलांगों से रिलेटेड है। यह आपकी जानकारी में होना चाहिये। अब मैं आपको निवेदन करूंगा भारत सरकार ने NSAP ने 80 प्रतिशत से ज्यादा जिसकी विकलांगता है, उसको पात्र माना है। कंगले तो वहां बैठे हुए हैं। उन कंगलों को अक्ल दो कि इसको घटाकर 40 या 50 प्रतिशत पर लावें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करूंगा कि गलतियां लगातार हम करते आ रहे हैं। हमने उच्च शिक्षा पर भी चर्चा बहुत

(श्री संयम लोढ़ा)

बार की है और अब फिर यह जो कुलपति की नियुक्ति की आपने व्यवस्था रखी है, जो सर्च कमेटी बनायी है, जो कुलाधिपति को अधिकार दिया है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप कामन यूनिवर्सिटी एक्ट लाइये और कुलपति की नियुक्ति का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकार को अपने पास रखना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के बोर्ड आफ मैनेजमेंट का सदस्य हूं, जिसको इन्होंने पिछली बार बन्द कर दिया था। इस सरकार ने शुरू करने की कोशिश की, क्या हुआ? टीचर्स की भर्ती निकाली, कुलाधिपति ने रोक दी। बोर्ड आफ मैनेजमेंट की मीटिंग है, कुलाधिपति ने रोक दी। अगर टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? इसलिए, मंत्री जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि यह कुलपति की नियुक्ति का आपने जो प्रावधान किया है यह पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार में होना चाहिए। राज्य सरकार को ही इस कुलपति की नियुक्ति करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी विनती करूंगा, आपने इस एक्ट में यह नहीं बताया कि आप कौन-कौनसा पाठ्यक्रम चलाने वाले हैं। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि टीचर्स का अभाव है। जब घोषणा इतनी पहले हो गयी, इतने दिनों के बाद जब आप बिल ला रहे हैं तो कम से कम इसका जिक्र तो आपको करना चाहिए कि आप कौन-कौनसा पाठ्यक्रम यहां पर चलायेंगे। क्या डीएड बौद्धिक दिव्यांगता का पाठ्यक्रम होगा? क्या बीएड बौद्धिक दिव्यांगता का पाठ्यक्रम होगा? क्या श्रवण बाधित दिव्यांगता डीएड का पाठ्यक्रम होगा? क्या श्रवण बाधित दिव्यांगता बीएड का पाठ्यक्रम होगा? क्या डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होगा?

इसके अलावा चूंकि आप रेगुलर यूनिवर्सिटी के रूप में चलाना चाहते हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, भूगोल है, इन सबकी पढ़ाई की क्या व्यवस्था होगी? यह तो आपको खुलासा करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह जो यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, तो क्या इसमें दिव्यांगों को एडमिशन के अंदर आरक्षण होगा कि नहीं होगा? वह भी आपको स्पष्ट बताना चाहिए। क्योंकि आप इसमें रेगुलर स्टडी भी कराने वाले हो। यह सारी चीजें आप करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद दूंगा,

(श्री संयम लोढ़ा)

मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें इस सरकार के माध्यम से उस बोध से जोड़ने का काम किया। इस काम से सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का पूरे राजस्थान में प्रसार होगा।

माननीय सभापति महोदय, जो जनमत जानने का प्रस्ताव मैंने दिया है, वह प्रस्ताव अपना वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। सुश्री दिव्या मदेरणा (अनुपस्थित), श्री पुखराज गर्ग (अनुपस्थित)। माननीय मंत्री महोदय।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं दिव्यांग भाइयों की जो बात है, उसको 4 लाइनों के माध्यम से कहना चाहूंगा, कि हे हमराही, माना कुछ कमी रही मेरे रहबर की, नसीब ने कुछ ठोकर मारी है, मैं हैरान, परेशान नहीं हूं, फिर भी जिंदगी से उदास नहीं हूं, हारा नहीं हूं। मैं इंसान हूं। शक्ति मेरी आत्मा की रग-रग में बसी है। आत्मा कहां कभी विकलांग होती है? होती है तो लोगों की मानसिकता।

हे दुनिया वालों, मुझे मेरी क्षमताओं के लिए जानो। मेरी दिव्यांगता को मेरी लाचारी, पहचान न बनाओ। माना कुछ शरीर से दिव्यांग हूं, पर विचारों से विकलांग कदापि नहीं हूं। किसी का मोहताज नहीं हूं। रखता हूं परिश्रम, कोशिश को सदा बुलंदी पर, हर मुश्किल असंभव कार्य को कर जाता हूं। कभी गिराओगे तो कभी खुद उठ भी जाओगे। कभी लड़खड़ाओगे तो खुद संभल भी जाओगे। जब तुम थामोगे हौंसलों का दामन तो एक दिन शिखर पर तुम चढ़ भी जाओगे।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार दिव्यांगों के लिए प्रदेश का पहला और देश का तीसरा विश्वविद्यालय का विधेयक लेकर आयी है। यह विश्वविद्यालय लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं देख रहा था कि सामने से जो माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे थे, उप नेता, प्रतिपक्ष का तो फिक्स है, कमियां निकालना और यह बात भी अब कहने लग गये कि पिछले 5 साल की और इस 5 साल की बात नहीं करें। मैं पिछले 5 साल की और इस 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं। माननीय उप नेता महोदय, मैं 75 साल की बात कर रहा हूं। पिछले 75 वर्षों में किसने इन दिव्यांगजनों की सुध ली? किसने इन पर ध्यान दिया?

(श्री टीकाराम जूली)

अभी आप लोग डिमांड तो बहुत रख रहे हैं कि इनके लिए स्पेशल टीचर्स कहां से आयेंगे? इनके लिए आपने अब तक क्या किया है? स्पेशल टीचर्स कहां से आयेंगे, यह संस्थान खुलेंगे तभी तो भविष्य में आयेंगे। माननीय उप नेता महोदय, आज जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं प्रदेश में हैं, देश के अंदर हैं, उनकी बेस्ट जो स्कीम हैं, वह राजस्थान के अंदर चल रही हैं। आपने कई बातें कहीं।

मैं कहना चाहूंगा कि आपने पूछा कि जोधपुर में अभी कितने बच्चे आप लोगों के यहां पढ़ रहे हैं? जोधपुर नेत्रहीन कालेज में हमारे 40 दिव्यांग छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। आपने यह भी कहा कि 8 करोड़ में कौनसा विश्वविद्यालय बन जायेगा? 8 करोड़ का नहीं है, यह 72 करोड़ रुपये का विश्वविद्यालय बन रहा है। 8 करोड़ रुपये में शुरुआत तो होगी, नींव तो भरेंगे, तभी तो ऊपर लैंटर आयेगा। एक शुरुआत हमने की है।

देवनानी जी और दिलावर साहब तो कह रहे थे कि जमीन ही पता नहीं है कि नहीं है? आप लोगों ने कभी जामडोली जाकर देखा नहीं। जहां हमारा यह सेंटर चल रहा है, वहां आप कभी नहीं गये। आप जाकर देखते तो आप यह बात ही नहीं करते। हमने इसकी जमीन भी चिह्नित कर ली। पूरा स्ट्रक्चर भी हमने तैयार कर लिया। हमारे माननीय सदस्य जो रामगंज मण्डी से आते हैं, उन्होंने कहा कि जो आप अतिरिक्त पेंशन हजार की दे रहे हो, वह तो मरे हुए को दे रहे हैं। क्या शब्द आप यूज करते हैं? किस प्रकार की भाषा आप बोलते हैं?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): दिव्यांगों को पेंशन ...

श्री सभापति: आपको जो बोलना था बोल दिया आपने, अब उनको बोलने दो। माननीय सदस्य, आपने बोल दिया।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप बैठिये।

श्री सभापति: आप बैठिये। बैठिये, प्लीज बैठिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हमको बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप बैठिये, बैठिये।

श्री सभापति: प्लीज बैठिये। लैट हिम कंटीन्यू।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आप खुद इस विभाग के मिनिस्टर रहे हैं। उस समय आपने क्या काम किये? आपने हजार रुपये उस समय क्यों नहीं जोड़े? आप उस समय जोड़ जाते तो हमें जोड़ने नहीं पड़ते। आप लोगों का जो रिपोर्ट कार्ड है न, वह जीरो है। मैंने सारा देख लिया विभाग के अंदर।

आपने कहा कि इनकी कोई मदद ही नहीं कर रहे हैं। पहली बार इतिहास में सबसे अधिक दिव्यांगजनों को अगर छात्रवृत्ति मिल रही है तो आज की तारीख में मिल रही है। आज की तारीख में सबसे अधिक संख्या है। छात्रवृत्ति हम दे रहे हैं, कृत्रिम अंग दे रहे हैं, उपकरण दे रहे हैं, स्कूटी योजना हमने चलाई है। 2 हजार स्कूटी पिछली साल की बांटी हैं। 5 हजार इस साल की बंटने लग रही हैं। कल भी हमारी स्कूटियां अजमेर में बंटी हैं। 170 स्कूटी कल मालविया जी बांटकर आये हैं। रेगुलर पूरे प्रदेश में हमने इनका ध्यान रखा है।

देवनानी जी ने भी वही बात कही है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाये। अभी शुरुआत होने दीजिये, फिर करेंगे इनकी सारी व्यवस्थाएं। आपने कहा छात्रवृत्ति नहीं बढ़ायी है, हमने 40 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये और 50 से बढ़ाकर 600 रुपये इनकी छात्रवृत्ति की है।

हमारी माननीय सदस्या चन्द्रकान्ता जी ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। उन्होंने जो-जो डिमांड रखी हैं, आलरेडी सारी हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, हम प्रक्रिया भी ऑनलाइन रखेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी भी बनायेंगे। डिजिटल रूप से इनको पढ़ाने का काम भी हमारा रहेगा। कौशल का भी हमारा काम रहेगा।

मैं बलवान पूनियां जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 10 लाख रुपये की सहायता की बात की। आपने एक बात कही, 10 लाख की बात जैसे ही कही और संयम जी ने उस चीज को अच्छा बताया, तो आपने कहा कि कोई कंगले हैं क्या? सरकार कंगाल है क्या? आप किसी की मदद यही सोचकर करते हैं क्या कि वह कंगाल है? यह मेरी समझ में नहीं आता कि हर बार जो आपकी मंशा है, किस प्रकार की आपकी सोच है इन लोगों के प्रति, यानी कोई किसी की मदद करे तो वह कंगाल है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्रीजी, आप तो इन सारी बातों का लब्बोलुबाब यह बता दो कि आप इस विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य कब प्रारम्भ कर दोगे? वो रोड मैप बता दो, सारी कमियां हमारे में ही हैं। अगर आप अपने कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय में एक कक्षा किसी की लगा दो, कॅरिकुलम बना लो, सिलेबस बना लो तो मुझे आकर नीचे बैठा लेना।

श्री सभापति: मंत्रीजी को जवाब पूरा करने दीजिए।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उप नेताजी, क्योंकि आपको इस प्रकार से लगता है, जब आप लोग सरकार में थे, आप लोगों ने कोई काम समय पर पूरे किये नहीं। आपके कामों की शुरुआत हुई नहीं यह अशोक गहलोत की सरकार है, बजट घोषणा होते ही काम शुरू हो जाता है। हमारी बजट घोषणा थी, आज बिल भी आकर पारित हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): शुरू कब कर देंगे विश्वविद्यालय को? पिछली बार की बजट घोषणा है आपकी, पिछली बार की बजट की घोषणा है, आज तो एक्ट लेकर आए हो।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): शुरू करने की भी डेट है। माननीय उप नेता महोदय, शुरू करने के लिए ही एक्ट आया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, एक साल बाद एक्ट ला रही है, सरकार गम्भीर है?

श्री सभापति: कम्प्लीट करने दीजिए उनको अपना वक्तव्य।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यह ऐसी पिछली सरकार रही जिन्होंने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को पास होने के बाद भी बंद कर दिया। अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी इन लोगों ने बंद कर दी। ये खुद तो शुरू करते नहीं हैं, जो हमारी सरकार शुरू करती है उसको बंद करने का काम ये करते हैं। मैं आपको वो मौका छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपके लिए वो मौका छोड़ेंगे नहीं। शुरू करेंगे, पूरा करेंगे, दोबारा हमारी सरकार आएगी, हम इसको दिव्यांगों के लिए कम्प्लीट करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, ये खासा कोठी में विश्वविद्यालय शुरू कर रहे थे। हमसे बात करते हैं? खासा कोठी में विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, विश्वविद्यालय और खासा कोठी में? शर्म करो, शर्म। विकलांगों के साथ तो मत करो कम से कम।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं बताऊंगा इनको, क्योंकि इनको प्रोब्लम हो रही है।

श्री सभापति: आप इनकी बातों पर मत जाइए, अपना जवाब कम्प्लीट कीजिए। माननीय सदस्य, आपसे भी निवेदन है कि जब मंत्रीजी बोल रहे हैं तो सिस्टम नहीं है। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सच सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने लगातार इतनी असत्य बातें कहीं, मैंने बीच में इनको टोका नहीं।

आपने शुरू में कुछ बातें कहीं कि आपने दिव्यांगों के लिए क्या किया? आपने मोदीजी की नाम बदलने वाली, क्योंकि उन्होंने 'निर्मल भारत' का 'स्वच्छ भारत' कर दिया, 'राजीव गांधी सेवा केन्द्र' का 'अटल सेवा केन्द्र' कर दिया, जो 'नि:शक्त जन' थे उनका नाम उन्होंने 'दिव्यांग' कर दिया। मैं इस चीज को गलत नहीं ठहरा रहा हूं। सिर्फ नाम बदला है, उनके लिए किया क्या है? कौनसी उन्होंने स्कीम चला दी, कौनसा उन्होंने दिव्यांग जनों की मदद करने के लिए अभियान चलाया है? सिर्फ और सिर्फ नाम बदलकर एक इस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं कि ये कुछ कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने दिव्यांग जनों को जो किया है, हमने आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 4 परसेंट किया है। प्रमोशन पहले नहीं होता था, हमने 4 परसेंट प्रमोशन दिया है। हमने आयु की सीमा के अंदर 5 साल की छूट दी है। हमने अंकों में 5 परसेंट की रियायत दी है।

माननीय सभापति महोदय, आप कह रहे थे, 1000 रुपये अलग से आर्थिक सहायता, ऐसे विकलांग हैं जिनको सहारे की जरूरत होती है, उनको हम 1000 रुपये की अलग से सहायता देते हैं। बीपीएल के समान सुविधाएं, यह कोई छोटा निर्णय नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय है जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिया है।

स्कूटी का जैसे मैंने अभी आपको बताया, 7 हजार स्कूटी हम बांट चुके हैं अब तक और बंटने लग रही हैं, 5 हजार अगली साल की हम और तैयारी कर रहे हैं।

आप कह रहे हो न कि इसमें आप क्या करेंगे, सांकेतिक भाषा के डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज पाठ्यक्रम की मान्यता भारतीय पुनर्वास परिषद् से प्राप्त हो चुकी है। पाठ्यक्रम का संचालन हम इसी सत्र 2023-24 से शुरू कर देंगे। पूरे देश के अंदर अलवर जिले को दिव्यांग जनों के लिए अच्छे काम के लिए सशक्तीकरण के लिए पूरे देश में फर्स्ट अवार्ड मिला है, अलवर को मिला है, राजस्थान को मिला है।

(श्री टीकाराम जूली)

माननीय सभापति महोदय, हमने दो कालेजों की स्थापना कर दी। बौद्धिक दिव्यांग पुनर्वास गृह के लिए काम चल रहा है। आप जाकर देखिए, लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से वहां पर काम होगा। बौद्धिक दिव्यांग शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र में विशेष शिक्षा के 35 प्रशिक्षणार्थियों हेतु डीएडएचआई का पाठ्यक्रम हमने शुरू कर दिया है। ये ऐसी चीजें हैं जो पहली बार शुरू हुई हैं, पहले कभी हुई नहीं। आप पूछेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य रूप से उद्देश्य शिक्षण-प्रशिक्षण और अनुसंधान है क्योंकि अब तक अनुसंधान कहीं होता नहीं था, शिक्षण-प्रशिक्षण की तो बात जरूर होती थी लेकिन अनुसंधान का पहली बार काम सरकार कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है पुनर्वास, उन दिव्यांग जनों को इस प्रकार से सक्षम बनाना, आज वो यहां पर अनुसंधान करेंगे, यहां पर शिक्षा प्राप्त करेंगे, यहां पर डिग्री प्राप्त करेंगे, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा भी की है, स्पेशल की जो सीटें हैं वो भी बढ़ाएंगे, तो उन लोगों का उसमें चयन होगा। उनको हमेशा यूं ही नहीं रखेंगे। वो सक्षम बनेंगे, हम उनको सक्षम बनाना चाहते हैं। उनको एक्सीलेंट प्रोफेशनल्स के रूप में तैयार करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनके लिए, स्पेशली इनके लिए की जाएंगी। पारम्परिक शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से संदर्भित दिव्यांगता पुनर्वास, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, समुदाय आधारित पुनर्वास, मनोविज्ञान पुनर्वास, वाक् चिकित्सा, पुनर्वास चिकित्सा, व्यवसाय परामर्श और पुनर्वास, योग और पंचकर्म, इसके साथ-साथ समाज शास्त्र, सामाजिक कार्य प्रबंध इत्यादि का ध्यान भी इसके अंदर हम रखेंगे।

मैं यह कहना चाहूंगा हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आप इसके अंदर कौन-कौनसे पाठ्यक्रम संचालित करेंगे? हम इसके अंदर डीएड बौद्धिक दिव्यांगता के संचालित करेंगे, बीएड बौद्धिक दिव्यांगता के करेंगे, डीएड श्रवण बाधित दिव्यांगता के संचालित करेंगे, बीएड श्रवण बाधित दिव्यांगता के करेंगे, डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के भी शुरू करेंगे, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जिनकी दिव्यांग जनों को लगातार जरूरत पड़ती है। आपने यह भी पूछा कि रेगुलर कोर्सेज भी करेंगे या नहीं करेंगे? वो विषय भी इसके अंदर रहेंगे। हिन्दी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, इतिहास रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा, राजनीति शास्त्र रहेगा, समाज शास्त्र रहेगा, समाज कार्य रहेगा, मनोविज्ञान रहेगा। इस प्रकार के काम हैं जो हम इसके अंदर करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सदन से यह बात आई कि दिव्यांग जनों को स्पेशल प्राथमिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, वो प्राथमिकता हम देंगे। मुख्य रूप से आज के परिवेश को देखते हुए हमारी यूनिवर्सिटी की जो

(श्री टीकाराम जूली)

कल्पना की है और इसका रोडमैप पूछ रहे थे, वो मैं बताना चाहूंगा। पूर्णतया आधुनिक, वाई-फाई, इंटरनेट, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट एलईडी टीवी, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास रूम, मल्टी मीडिया, मॉडल, ये सारी चीजें हम इसके अंदर लेकर आएंगे। मॉडर्न कम्प्यूटर लैब हम इनके लिए इसके अंदर लेकर आएंगे। पूरी बिल्डिंग बाधा रहित रहेगी, कहीं भी उनको बाधा नहीं आएगी आने-जाने में, इस प्रकार का इसका परिसर हम तैयार कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि हम इसको जॉब रिलेटेड तैयार कर रहे हैं, दिव्यांग जनों को आने वाले समय में जॉब मिले और वे आत्मनिर्भर हों। कौशल की ट्रेनिंग इसके अंदर दी जाएगी। ब्रेल लाइब्रेरी, आडियो बुक्स इसके अंदर रहेगी। यहां पर प्लेसमेंट सेल बनाएंगे, रोजगार मेलों का आयोजन भी हम इसके अंदर करेंगे। फिजियोथैरेपी की सुविधा भी रहेगी, इस प्रकार से सारी चीजें रहेंगी।

माननीय सभापति महोदय, आप यह समझ लें कि गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पेंशन अब हर वर्ष हजार रुपये कर दी है और हर वर्ष 15 परसेंट बढ़ाई जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं कल गांव के अंदर दौरे पर गया था। लोगों ने धन्यवाद दिया कि अशोक गहलोत को धन्यवाद देना कि जिन्होंने हमारी पेंशन 500 की, उन्होंने हमारी पेंशन 750 रुपये की, अब 1000 कर दी और हर साल 15 परसेंट बढ़ेगी तो 5 साल में 2000, यूं इशारा करते हैं कि कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी बड़ी बात है, उस व्यक्ति ने बुजुर्गों का, दिव्यांग जनों का, महिलाओं का, सबका सोचा है। आप लोगों ने तो नहीं किया। आप लोगों के समय में जो आप भारत सरकार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। भारत सरकार ने 80 परसेंट का तो एक राइडर अलग लगा दिया और बीपीएल के जो दिव्यांग हैं या सीनियर दिव्यांग हैं, उन्हीं को पेंशन देती है। मात्र 25 हजार लोगों को ही भारत सरकार पेंशन दे रही है। राजस्थान सरकार दे रही है सवा 6 लाख से अधिक लोगों को। अन्तर देख लीजिये, दिन-रात का अन्तर है। बातें बहुत बड़ी करते हैं, बातों में तो कोई कमी नहीं है। हमारे यहां एक कहावत है, "बातों की बिसर पर ब्याह नहीं बिगड़ने देते हैं", लेकिन धरातल पर लेना-देना कुछ है नहीं। मन की बात होती है, काम की बात होती नहीं है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 52 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 52 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 52 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री टीकाराम जूली प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 पारित किया गया।

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023, श्रीमती शकुन्तला रावत।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आदरणीय सभापति महोदय, जब इस बिल का अमेंडमेंट आया, उसमें हम पढ़ रहे थे तो इसमें यह लिखा है कि कोविड के कारण कुछ परिस्थितियां ऐसी बनीं जिसके कारण हम अवधि बढ़ाकर 3 से 5 साल कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने जो ऋण लिए हुए हैं वे नहीं चुका पा रहे हैं और अलग-अलग समस्याएं आ रही हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हम अवधि को 3 से 5 वर्ष कर रहे हैं।

इतने लोगों ने प्रश्न लगाये अलग-अलग, यह बजट सत्र चल रहा है, मैं पहली बार की विधायक हूं तो ज्यादा सीखने का मौका मिला, लेकिन जितने प्रश्न लगे और जितने जवाब उनमें मिले, सब में यही कहा गया कि कोविड चल रहा था और उसकी वजह से यह राशि हम व्यय नहीं कर पाये। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर हम उठाकर देखें तो उसमें हर मंत्री ने यह बात कही है कि जो राशि तय की गयी थी या जो बजटेड राशि थी या जो प्रबन्धन किया राशि का, हम उतना आबंटन नहीं कर पाये, क्योंकि कोविड चल रहा था। जब अभी तक हमारी सरकार कोविड से नहीं उबर पायी है तो ये छोटे लघु उद्योग, एमएसएमई कैसे उठ पाएंगे? दो साल की इस अवधि को पांच साल नहीं, छह वर्ष करें।

आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगी कि जब आप यह संशोधन लाये तो इस संशोधन में बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं न कहीं मिसिंग हैं। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जमीन होती है। जब

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

हम कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम एक लैंड को, जमीन को लेने के लिए जाते हैं। जब लैंड को लेने के लिए जाते हैं तो उसमें स्माल सेक्टर बिजनसेज को कोई भी प्रावधान नहीं है कि उन्हें उसमें कोई छूट, रियायत मिले। हम सब जानते हैं कि ये स्माल इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्रीज कोई बहुत बड़े बिजनस हाउसेज से नहीं आते हैं।

किन्हीं के पैरेंट्स जीवन-भर काम करते हैं, नौकरी करते हैं और उनके बच्चे यह सोचते हैं कि नहीं, हम अपना कोई बिजनस चालू करेंगे। राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं आती हूं, यहां भी बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे उद्योग हैं, मार्बल इंडस्ट्री को ले लीजिये, हैंडीक्राफ्ट्स को ले लीजिये, पेंटिंग्स को ले लीजिये, आर्ट को ले लीजिये। ऐसी कितनी चीजें हैं, जो हम इसके अन्दर सोचते हैं कि हम छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं। जब हम महिलाओं के लिए सैनिटेशन की इतनी बातें करते हैं, बहुत अलग-अलग चीजें आयी हैं, कितना प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिये था कि अगर वे आज सैनिटरी नैपकिंस की छोटी यूनिट्स भी लगाना चाहें तो उन्हें भी अगर लैंड चाहिये हो तो उसमें हम उन्हें क्या रियायत दे सकते हैं। करीबन अगर हम उस लैंड पर ही 30 प्रतिशत की छूट दें तो कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री को हम बढ़ावा देंगे। इन्हें यह मौका देंगे कि वे अपने उद्योग हेतु भूमि खरीद सकें।

दूसरा, एक विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, वह बिजली कटौती का है। बिजली कटौती इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है, गांवों में, क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं कि हम इन लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, तो बिजली के बिल के लिए, जो स्टार्टिंग का बिल हो इन इंडस्ट्रीज के लिए, उसमें एकदम कटौती होनी चाहिये, उन्हें रियायत मिलनी चाहिये। करीबन 40 परसेंट का अगर आप उन्हें अनुदान दें तो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत रियायत मिलेगी।

आदरणीय मंत्री महोदय, एक बात और मैं आपसे आज कहना चाहूंगी कि हम जब राजस्थान की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो वाकई में हम देखते हैं कि युवा पढ़-लिख गया है। हर किसी ने भले ही आईटीआई की हो, भले ही ग्रेजुएशन की हो, लेकिन जब हम नौकरी की बात करते हैं तो युवा कहते हैं कि हमने इतना पढ़ लिया है लेकिन हमारे लिए नौकरी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

ने भी बहुत अलग-अलग स्कीम्स निकाली हैं, जिससे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज आगे बढ़ सकें।

मैं राजस्थान सरकार से भी यह निवेदन करूंगी कि कितने गांव, कितने छोटे-छोटे कस्बे हैं जहां स्किल्ड लेबर की आज भी कमी है। कितनी चीजें लुप्त हो चुकी हैं। नाथद्वारा में पेंटिंग्स इतनी बड़ी हो सकती हैं कि उस इंडस्ट्री को अगर डवलप करें, ऐसे कालेजेज बनाएं, ऐसे पेंटर्स जो पुराने हैं उन्हें हम इकट्ठा करें कि वे इस स्किल को आगे दें, तो यह स्किल कहीं न कहीं आगे जायेगी और युवाओं को बहुत मौका मिलेगा कि वे अपने इस बेस को, अपनी इस स्किल को बढ़ाकर कुछ काम आगे कर सकें। हमारा जो फोकस है उसे हम स्किल्ड लेबर पर लेकर आएं, आज भी अनआर्गनाइज्ड सेक्टर 98 परसेंट है, सिर्फ 2 परसेंट इंडस्ट्रीज आर्गनाइज्ड सेक्टर में आती हैं, बाकी सभी इंडस्ट्रीज अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में आती हैं। इन अनआर्गनाइज्ड सेक्टर की इंडस्ट्रीज में आज भी स्किल्ड लेबर की कमी है। राजसमन्द में अगर आप जाएंगे तो आप यह पाएंगे कि वहां पर उन लोगों के पास स्किल्ड लेबर नहीं है। एक तरफ तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास स्किल्ड लेबर उपलब्ध नहीं है। कहीं न कहीं अगर हम कुछ ऐसे संशोधन कर सकें कि स्किल्स को हम बढ़ा सकें तो बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा यह।

आदरणीय सभापति महोदय, महिलाओं के लिए भी इसके अन्दर अगर हम कोई संशोधन लाएं कि महिलाएं छोटे-छोटे गांवों में, मैं एक उदाहरण आपको दूंगी कि अगर हम ऐसी एग्जीबिशंस करें, तहसील मुख्यालय पर एग्जीबिशंस करें जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहन मिले। वे अपने घर का भले ही अचार हो, पापड़ हो, मुखवास हो, मठड़ियां हों, ऐसे नाश्ते, इन्हें भी यदि हम बढ़ावा दें तो ये भी कहीं न कहीं जाकर एक्सपोर्ट क्वालिटी की बन सकती हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, जयपुर का ही एक उदाहरण दूंगी कि एक छोटी कचोरी यहां पर मिलती थी जो पहले 25 पैसे में मिलती थी और आज वह महिला कहां पर पहुंच गयी है, वह एक्सपोर्ट करती है और 5 रुपये में एक बेचती है।

श्री सभापति: हो गया, थैंक यू।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मुझे 15 मिनट का बोला गया है पर, आदरणीय सभापति महोदय, मैं उतना समय नहीं लूंगी। आज मुझे पहली बार यह मौका मिला है।

श्री सभापति: आपका 5 मिनट का है। Only 5 minutes have been allocated to you.

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): I have been told 15 mintues.

श्री सभापति: That is over!

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): Okay. I will just take one more minute, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप कन्क्लूड कर दीजिये, कोई बात नहीं।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल। लेकिन आप बार-बार ऐसे बोलकर मुझे कन्फ्यूज करते हैं। आज बोलने वाले भी कम हैं पर, in last one minute I will conclude it. I will just take one minute. जो पाइंट मैं आपके सामने बताना चाहती हूं कि महिलाएं हैं वे अपने घरों में बहुत सारी चीजें कर सकती हैं तो उनको कहीं न कहीं प्रोत्साहन की आज भी कमी है।

(समय: 13.41 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

अगर रीको लैंड के द्वारा उनको भी हम यह मौका दें, हम उनको प्रोत्साहन दें, उनको हम रियायत दें तो कहीं न कहीं हम उनको एक मौका देंगे कि वे भी सक्षम बनें, इंडिपेंडेंट बनें और आगे जाकर अपने परिवार को एक सहयोग दे सकें।

आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को एक और सुझाव देना चाहूंगी कि जब वे अमेंडमेंट करें तो ऐसा कुछ करें कि जो तहसील मुख्यालय हैं, मेरे राजसमंद क्षेत्र में राजसमंद पंचायत तहसील और रेलमगरा तहसील है, तो ऐसे तहसील मुख्यालय पर अगर हम इण्डस्ट्रियल एरिया को चयनित करते हैं तो जो ये छोटे-छोटे लघु, माइक्रो उद्योग हैं भले ही वे घरों से होकर तहसील तक पहुंच सकते हैं तो उन लोगों को भी लैंड की उपलब्धि बहुत अच्छे से मिल सकती है।

सभापति महोदय, बहुत सारी बातें कहनी थीं लेकिन क्योंकि समय नहीं है पर एक बात आपको और कहूंगी कि कहीं न कहीं लेबर, बिजली और लैंड, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं जब हम एमएसएमई इण्डस्ट्री की बात करते हैं। इन तीनों के बारे में अगर कोई भी प्रावधान नहीं लाये तो इस

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

अमेंडमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि इस विधेयक को छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): धन्यवाद, सभापति महोदय। सभापति महोदय, एमएसएमई एक्ट, 2023 जो 2019 के एक्ट की धारा 6 और धारा 7 में वैसे तो एक लाइन का अमेंडमेंट है कि तीन वर्ष की जगह केवल पांच वर्ष करना चाहिए। मंत्री महोदय भी हंस रही हैं कि हां, बिलकुल एक लाइन का है। लेकिन, सभापति महोदय और मंत्री जी, आप भी, आप तो हमारी बड़ी बहन हैं और वरिष्ठ भी हैं। इस विधान सभा में जब कोई बिल आता है तो उस बिल के सारे प्रोविजनों को यदि हम एक साथ नहीं लायें और एमएसएमई या उद्योग को पूरा कन्क्लूड करके यदि बिल में न लायें तो मैं समझता हूं कि उस बिल को लाने का जो हमारा उद्देश्य है, वह व्यर्थ है।

सभापति महोदय, यह तीन से पांच वर्ष क्यों करना पड़ा, क्योंकि किसी भी स्टेट की यदि हमको फाइनेंशियल नब्ज देखनी है तो उस स्टेट के उद्योगों की स्थिति को देखना जरूरी है और उसके बिना उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को हम नहीं नाप सकते कि क्या है। हमारे यहां के लोग तो बहुत फेमस रहे हैं, देश-विदेश में जाकर राजस्थान के उद्योगपतियों ने अपना नाम कमाया है। सभापति महोदय, आपके क्षेत्र पर तो विशेष मेहरबानी रही है, जिसके लिए कहते थे कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। इस प्रकार पूरी दुनिया में राजस्थान के उद्योगपतियों ने अपना नाम रोशन किया। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को पूछना चाहूंगा कि इस तीन को पांच वर्ष करने की जरूरत केवल कोविड के कारण ही पड़ी या इसके पीछे और भी कुछ कारण हैं? कोविड तो चला भी गया और कोविड के बाद आपने 11.4 परसेंट की ग्रोथ रेट भी ली है जो इण्डिया में हाईएस्ट है तो फिर केवल 3 से 5 वर्ष करने का कोविड ही ऐसा क्या कारण रहा? कुछ और जो कारण मैं आपको बताना चाहता हूं इनको आपने इसमें शायद इनकारपोरेट नहीं किया।

सभापति महोदय, राजस्थान के इसी सदन में आपने 13 हजार हैक्टेयर पर लगभग 150 नये इण्डस्ट्रियल एरिया की घोषणा की। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि घोषणा करने के बाद रीको ने केवल बिल्डर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार बिल्डर केवल अपना मकान

(श्री अशोक लाहोटी)

बनाता है और बेचता है, उसी प्रकार रीको ने केवल घोषणा की और प्लाटिंग की तथा बेच दिया पर सुविधा के नाम पर वहां जीरो है। मंत्री महोदय, आप चाहें तो घूम कर देख लो कि 150 इण्डस्ट्रियल एरिया में कितने इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप हुए हैं, कितने में सड़क बन गई, कितने में इन्फ्रास्ट्रक्चर बन गये, कितने में एसटीपी, ईटीपी प्लांट लग गये, कितने में पानी की व्यवस्था हो गयी और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट की तो आपने कहीं पर भी व्यवस्था नहीं की।

सभापति महोदय, राजस्थान में उद्योग के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण रहा है, वह देखें तो हमारे पास तीनों कम्पोनेंट बिजली, रॉ-मैटेरियल और लेबर, तीनों इण्डिया में हमारा सबसे ज्यादा है। फिर सबसे ज्यादा एमएसएमई जो हमारे यहां पर खतम हो रहा है कि एमएसएमई को आपको लैंड 25 परसेंट पर देनी चाहिए पर आप इण्डिया में लैंड सबसे हाईएस्ट रेट पर दे रहे हो। मैं मोरबी का उदाहरण दूंगा कि राजस्थान से रॉ-मैटेरियल जाता है, टाइल्स बनकर बिकने के लिए राजस्थान आती है और दस हजार फैक्ट्रियां गुजरात में चल रही हैं, पर आज तक चाहे सरकार हमारी रही हो या आपकी रही हो, राजस्थान के अधिकारी, सरकार और पक्ष-विपक्ष ने मिलकर इस बात पर कभी चिन्तन नहीं किया कि वे दस हजार यूनिट पूरे राजस्थान के बीकानेर जिले और शेखावाटी के आसपास के क्षेत्र में क्यों नहीं आ सकती, जहां पूरा रॉ-मैटेरियल है? आज तक इस बारे में कभी कोई प्रभावी काम नहीं हुआ।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सांगानेर, जहां से मैं विधायक हूं, सभापति महोदय, वहां पर रंगाई, प्रिंटिंग-छपाई का 300 वर्ष पुराना उद्योग है और उसी के कारण जयपुर को क्राफ्ट सिटी का अवार्ड मिला। आज उसके साथ-साथ लगभग पूरी दुनिया में दस लाख कुर्ती प्रतिदिन यहां से डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपोर्ट की जाती हैं। सभापति महोदय, लगभग-लगभग राजस्थान में 11 प्रतिशत एक्सपोर्ट केवल टैक्सटाइल का है, जिसमें सांगानेर का बहुत बड़ा योगदान है। मंत्री महोदय, सांगानेर क्षेत्र में लगभग 3 हजार यूनिट लगी हुई हैं जिनमें 890 बड़ी यूनिट हैं और बाकी छोटी यूनिट हैं, जिनको हम चाहे हाथकरघा कहें, एमएसएमई कहें, लघु उद्योग कहें या कुछ भी कहें पर इस तरह की यूनिट्स वहां पर काम कर रही हैं। वे निजी भूखण्डों पर कर रही हैं और आज से नहीं, 300 सालों से चल रहा है। मैं सदन में यह मांग करता हूं कि उन भूखण्डों को इण्डस्ट्रियल का दर्जा दिया जाए, जिससे उनको आये दिन आने वाली परेशानी को रोका जा सके। उनको

(श्री अशोक लाहोटी)

परेशान किया जाता है। कभी पोल्यूशन के नाम पर, कभी सरकारी विभाग के दूसरे अधिकारी परेशान करते हैं इसलिए वहां पर इण्डस्ट्रीज का दर्जा दिया जाए, वहां के पूरे एरिया में मिक्स लैंड यूज किया जाए। जब तक आप यूडीएच के साथ को-आर्डिनेट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा।

सभापति महोदय, सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवायी जाए जिससे इंटरनेशनल मार्केट में बांग्लादेश से कम्पीट कर सकें। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि सांगानेर खुली जेल में लगभग 26 बीघा जमीन है, उस 26 बीघा जमीन का कोई ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। आप इसमें दिल्ली हाट की तरह सांगानेर हाट डवलप करें और डवलप करके उसमें अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एक हाट बाजार बनायें जिसमें वहां पर एग्जिबिशन सेंटर बने, कांफ्रेंस हॉल बने, कन्वेंशन सेंटर बने, आडिटोरियम बने, ओपन एयर थियेटर बने, जिससे यहां के इस उद्योग को चार चांद लगाकर हम पूरी दुनिया में इसको वायबल कर सकें, कम्पीटिशन में उतार सकें।

सभापति महोदय, मंत्री जी ने 2 जनवरी को इस सदन में एक स्टेटमेंट दिया था और यह कहा था कि पिछली सरकार ने जो रिसर्जेंट राजस्थान किया था, जो एमओयू किये थे वे जल्दबाजी में किये थे, इसलिए वे एमओयू 15 प्रतिशत ही धरातल पर आ पाये। आप ही ने कहा था, मंत्री जी, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जो आपने घोषणा की है कि दस लाख करोड़ के 4192 एमओयू आपने किये हैं, आपके नेतृत्व में वे सारे एमओयू राजस्थान में फलीभूत हों और वे सारे एमओयू यहां राजस्थान में कम्प्लीट हो जाएं। लेकिन, मंत्री जी, जो मैं आज कह रहा हूं उस पर ध्यान दें कि क्या आपने कभी चैक किया कि जिन कम्पनियों के साथ आपने एमओयू किया, उनकी नेटवर्थ क्या है? जितने का एमओयू उन्होंने आपके यहां पर किया है उतनी तो उन कम्पनियों की नेटवर्थ ही नहीं है। मान लिया कि नेटवर्थ नहीं है और फिर भी आप कहते हो कि वे लगाएंगे, तो फिर उन कम्पनियों का ट्रेक रिकार्ड तो चैक कर लो कि कितनी बार बैंकरप्ट हुई हैं, उन कम्पनियों पर कितना लोन चल रहा है, उन्होंने कोई फाइनेंशियल डाकूमेंट साथ में दिया है क्या, उन्होंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट दिया है, कोई गारंटेड दिया है कि हमने इतने लाख करोड़ के, इतने हजार करोड़ के एमओयू किये और यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको फाइनेंस करेगा।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर तो एमओयू

(श्री अशोक लाहोटी)

आये, मंत्री जी, आपने हाथ मिलाया, किसी और मंत्री ने कह दिया, अधिकारियों ने उनका गला दबाया और हाथ पकड़कर साइन करवा लिए, पर उस एमओयू का हाल वही होगा। यह मैं पक्ष-विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आपने बताया कि जो हमारे समय एमओयू हुए वे 15 प्रतिशत ही कारगर साबित हुए, तो आप बतायें कि छह महीने और बचे हैं, अभी तक आपने जितने एमओयू साइन किये, उनमें कितने में इण्डस्ट्रीज लग गईं, कितना एम्प्लायमेंट मिल गया, कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट आ गया या अभी तक बाकी पड़ी है या लैंड का चिन्हीकरण ही चल रहा है?

सभापति महोदय, राजस्थान के लिए उद्योग की हम बात करें तो राजस्थान के लिए अभी एक रिसर्च आया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन राजस्थान है। हमारे पास सबसे बड़ी औद्योगिक भूमि है, हमारे पास रेलवे कॉरिडोर है, हमारे पास फ्रेट कोरिडोर है, हम हर तरह से सक्षम हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा राजस्थान के हर जिले में नये तरीके का उद्योग है। आप क्लस्टर बनायें, इंडस्ट्री लगाने के लिए उनको छूट दें। सबसे बड़ी बात हमारे पास लैंड साइज बहुत बड़ा है, इस लैंड साइज का उपयोग करें। इंडिया में जो इंडस्ट्री, रेड कैटेगरी की, ओरेंज कैटेगरी की, पूरे इंडिया में और कहीं नहीं लग सकती, आप उसके लिए हमारे जो रेगिस्तानी इलाके हैं, उनको वहां लगाने की छूट दें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि लाखों, करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट आयेगा, क्योंकि जहां लैंड कम है, वहां रेड और ओरेंज कैटेगरी को इन्वेस्टमेंट के लिए सब्मिशन नहीं दे सकते हैं। ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, इनके यहां तो दूर-दूर तक धोरे हैं बोर्डर तक, आप पाकिस्तान बोर्डर पर ही छूट दे दें, लोग लगाने के लिए आ जायेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसमें छूट दें।

सभापति महोदय, हमारे यहां हमको विरासत में पर्यटन मिला है, खनिज मिला है, हैण्डीक्राफ्ट है, कपड़ा है, कागज है, ज्वैलरी है, सीमेंट है, एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, तेल, पेट्रो कैमिकल्स हैं, हर्बल है, मूर्ति है, ब्लू पोटरी है, हैण्डमेड पेपर है, हर जिले में धार्मिक पर्यटन है। यदि हम इन सबको उद्योग के साथ जोड़ें तो हमारी औद्योगिक क्षमताएं दस गुना बढ़ जायेंगी। मैं कह रहा हूं कि हमारी जीडीपी भी बढ़ी है और हम ग्रोथ रेट में भी आगे चल रहे हैं, लेकिन मुझे यह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि एनसीआर की फैक्ट्रियां बन्द

(श्री अशोक लाहोटी)

हुई, चाइना में फैक्ट्रियां बन्द हुई, पूरी दुनिया में सारी स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट लग गई कि उन फैक्ट्रियों को हम यहां पर लायें।

मंत्री जी, हम आकलन करें, इंडस्ट्रीज हरियाणा गईं, पंजाब गईं, नोएडा गईं, हम राजस्थान में कितनी लाने में सक्षम हुए? हमारे पास तो सब कुछ है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां को मजबूत करें। हम यदि ठीक से इन्फ्रास्ट्रक्चर दें और ठीक से रियायतें दें, ठीक से बिजली की व्यवस्था करें। आज हो क्या रहा है, बार-बार हम सबको पढ़ने को मिलता है, सर्कुलर निकलता है कि तीन घंटे उद्योग बन्द रहेंगे। राजस्थान की 13 हजार फैक्ट्रियां बन्द, राजस्थान के बड़े उद्योग शटडाउन में चल गये। उनको दी हुई छूट वापस ले ली। बिजली की 15 प्रतिशत छूट को कम करके 10 प्रतिशत कर दिया। हम एमएसएमई एक्ट को 3 वर्ष से 5 वर्ष कर दें, 7 वर्ष कर दें, 10 वर्ष कर दें, इसलिए यह बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। उद्योगपति कभी भी छूट नहीं चाहता है, वह यह चाहता है कि जो सुविधाएं कह रहे हैं वे दे दें। यदि आपने सुविधा दे दी तो एक साल में लगा देगा। वह आपसे लैंड खरीद चुका है, उसके ब्याज लग रहा है, वह तीन साल में पूरा क्यों नहीं करेगा? वह तो एक साल में कर देगा, वह ब्याज थोड़े ही भरेगा। वह मजबूरी में पांच साल मांग रहा है, क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट चक्कर कटवाते हैं। हमने जो वादे किये हैं, उन्हें पूरा नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, एक बात और मंत्री जी के ध्यान में दिलाना चाहूंगा। मंत्री महोदय, आज इतने कम इन्फ्रास्ट्रक्चर के बाजवूद, राजस्थान की स्थिति आपको एक मिनट में बताता हूं। हम इंजीनियरिंग सेक्टर में पूरे देश के प्रपोर्शनेट में 14.75 परसेंट, हैण्डीक्राफ्ट में 11.67 परसेंट, टैक्सटाइल मार्केट में 10.86 परसेंट, मैटल में 10.01 परसेंट, केमिकल एंड अलाइड में जो हमारा सबसे वीक सेक्टर था, उसमें 9.51 परसेंट, स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, आर्टिकल उसमें हम 8 परसेंट, जैम एंड ज्वैलरी में 7.71 परसेंट, एग्रो और फूट इंडस्ट्री में 8.9 परसेंट और अदर में 20.58 परसेंट, यह हमारा रेशो है, पूरे इंडिया के एक्सपोर्ट में हमारा यह रेशो है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम एग्रो की बात करें। राजस्थान में सबसे ज्यादा अपार सम्भावनाएं एग्रो में, आज तक हमने क्यों नहीं रेल कोरिडोर में रेल साइडिंग वेयरहाउसिंग तक डवलप नहीं

(श्री अशोक लाहोटी)

किया? हमने आज तक यहां साइलो नहीं किये, हरियाणा जैसे छोटे स्टेट ने साइलो डवलप कर दिये, लेकिन राजस्थान की एग्रो पालिसी में आज भी साइलो नहीं हुए।

आज भी शहरों में इंडस्ट्रीयल एरिया आ गये हैं। सभापति महोदय, हजारों इंडस्ट्रीज में अवैध गोदाम बन गये हैं। मैं मांग करता हूं सदन में आप उनको लीगल वेयर हाउस बनाने की परमिशन दें। आप उसमें रेजीडेंशियल की परमिशन दें, कामर्शियल की दें, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल एरिये में लैबर को रहने के लिए जगह भी मिलेगी और आज वैसे भी वे अवैध चल रहे हैं। मैंने पिछली बार भी एक कहानी बताई थी कि लोग रीको की जमीन पर 10-10 लाख रुपये किराया उठा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं यही कहते हुए धन्यवाद दूंगा कि हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पर हमको ध्यान देना चाहिए और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए। आपने अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, विधेयक संख्या-5, राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति जी, ईज आफ डूइंग बिजनस के अन्तर्गत राजस्थान सरकार 04 मार्च, 2019 एमएसएमई फैसिलिटेशन, एसटेब्लिशमेंट एंड आपरेशन एक्ट लेकर आई थी और आज उसमें पुन: एक लाइन का संशोधन लेकर आई है कि समय सीमा 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष की जाती है।

माननीय सभापति जी, इसमें छूट दी गई है, 3 साल से 5 वर्ष की समय सीमा बढ़ाई गई है और 5 वर्ष तक सेल्फ सर्टिफिकेशन के बाद में कई अनेक तरह के विभागों से भूमि सम्बन्धी, राजस्व सम्बन्धी, नगरपालिका, बिल्डिंग बायलॉज अनेक तरह की छूट इसमें दी जाती है।

सभापति जी, इस प्रस्तुत विधेयक, सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से एमएसएमई एक्ट के अन्तर्गत राजस्थान में 16 हजार 828 आवेदन प्राप्त हुए और सभी 16 हजार 828 लोगों को अभिस्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं, लेकिन प्रस्तुत विधेयक के साक्ष्य में कुछ जिज्ञासाएं, शंकाएं, सच्चाई सदन के सामने व्यक्त करना चाहूंगा।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय सभापति जी, एमएसएमई भारत अर्थव्यवस्था की आधारभूत धुरी है जिस पर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था चलायमान है। देश की जीडीपी में 30 प्रतिशत योगदान एमएसएमई करता है और निर्यात को भी शामिल कर लें तो यह 46 प्रतिशत हो जाता है। भारत 100 रुपया कमाये तो उसमें 30 प्रतिशत हिस्सेदारी एमएसएमई की होगी और कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी एमएसएमई ही है।

भारत सरकार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत, इन्वेस्ट इंडिया, स्किल इंडिया, वोकल फोर लोकल जैसे अभियान चला रही है। ऐसे समय में सुनने में अच्छा लगता है, कानून बनाना आसान है कि हमने 3 साल को 5 साल बढ़ा दिया, समय दिया है, कोरोना में दो साल बीत जाने के बाद हमने समय बढ़ाया है, लेकिन प्रश्न यह है कि अभिस्वीकृति प्राप्त उद्योग एक्ट में उल्लेखित छूट का लाभ उठा पा रहे हैं क्या? हम अनेक तरह की छूट पांच साल की समयावधि तक प्रदान करते हैं, लेकिन क्या हमारे एमएसएमई उस छूट का फायदा उठा पा रहे हैं? सरकार या विभाग उनकी मदद कर रहे हैं?

माननीय मंत्री जी, मैं इस बात से असहमत हूं। आप इस बात को समझिये, नगरपालिका, नगर निगम और यूआईटी एक्ट में दी गई छूट नहीं दी जा रही है। आज भी उद्योगों को वास्तविक मदद नहीं मिल पा रही है और 90ए में बिल्डिंग बायलॉज, भवन योजना करवाना जरूरी है और सम्बन्धित अधिकारी सीज करने की कार्यवाहियां करते हैं। क्या इस समय सीमा में भी सरकार एक्ट में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्योगों पर कोई अधिकारी, निरीक्षक कार्यवाही करता है तो उस पर भी कार्यवाही करने का प्रावधान में लेकर आयेंगे? या ऐसा संशोधन करेंगे कि पांच साल की समय सीमा से पहले कोई अधिकारी उन पर इस तरह की कार्यवाही करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी? क्या इसमें एमएसएमई को सस्ती बिजली देने का प्रावधान लेकर आयेंगे? क्या एमएसएमई वाटर मैनेजमेंट एसटीपी, ईटीपी में भी...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह पांच साल करने का है, वे डिमांड पर डिस्कशन कर रहे हैं। स्पीकर साहब कई बार कह चुके हैं, बिल पर डिस्कशन होना चाहिए। बिल पर डिस्कस करें।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री बिहारीलाल (नोखा): इस एक लाइन के संशोधन के बाद, जो सरकार की भावना है, सरकार जो करना चाह रही है, उसमें कितना योगदान हो, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, कन्वर्जन चार्जेज में छूट की बात करें तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जो 7 अक्टूबर, 2022 को घोषित की गई, के प्रावधानों में कन्वर्जन चार्ज में छूट सम्बन्धी नोटिफिकेशन योजना लागू होने के 6 महीने बाद भी जारी नहीं हो पाया है। जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर भी अभी तक राज्य सरकार का फाइनेंस नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, इसलिए नये उद्यमी जो कन्वर्जन करवाना चाह रहे हैं, उनमें भ्रम एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है।

माननीय सभापति जी, स्टाम्प ड्यूटी छूट में स्थिति देखियें। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 में वाणिज्यिक व्यावसायिक परिसर में स्पेस लेने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान था। अभी तक 2022 की पालिसी में उसको नियमित नहीं किया गया है, आगे नहीं बढ़ाया गया है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में होने वाली कामर्शियल सर्विसेज, जो स्कीम में कवर हैं, उनको स्कीम की स्टाम्प ड्यूटी छूट नहीं मिल पायेगी। इसमें एक चीज और शामिल करनी चाहिए। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी भी शामिल की जाये, इसके लिए कई उद्यमी बार-बार आग्रह करते हैं।

माननीय सभापति जी, अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में बात कही। राजस्थान सरकार द्वारा एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट हेतु बजट में पूंजीगत लाभ 50 लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया गया है, लेकिन नये सम्बन्धित बढ़े हुए लाभ के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यह मात्र बजट घोषणा ही नहीं रह जाये। इसमें नोटिफिकेशन कब तक आ जायेगा ताकि इससे उद्योगपतियों को कुछ उम्मीदें बंधें। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2022 के प्रावधानों के अनुसार योजना में आने के 6 माह बाद भी, अभी तक प्रभावी नहीं है, तो इसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाये।

माननीय सभापति जी, इसी के साथ मैं बीकानेर की कुछ बातें सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, बीकानेर में नमकीन व एशिया की सबसे बड़ी वूल मंडी है। वूल मंडी के रूप में विख्यात है और जिले में 14 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बीकानेर में ऊन आधारित उद्योग, वूलन यार्न, गलीचा उद्योग,

(श्री बिहारीलाल)

(समय: 14.00 बजे)

खाद्य आधारित उद्योग, नमकीन, बड़ी पापड़, मंगोड़ी, मिठाई, दूध आधारित उद्योग, स्नैक्स, कृषि आधारित उद्योग, दाल मिल, तेल मिल, आटा मिल, मूंगफली, खनन आधारित उद्योग, पीओपी, सिरेमिक, विभिन्न क्ले, आभूषण निर्माण, सोलर उद्योग, उस्ता आर्ट, पर्यटन उद्योग, अनेक तरह के उद्योग बीकानेर में हैं और लगभग 22 हजार छोटे-बड़े उद्योग धन्धे हैं, जिनमें 58 हजार लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यह बीकानेर की समृद्ध परम्परा है कि आर.के. दमानी, मूंदड़ा परिवार, टीटी बनियान, बिनानी सीमेन्ट जैसी ख्यातनाम हस्तियां पूरे देश में प्रतिनिधित्व करती हैं, बीकानेर का नाम रोशन करती हैं। इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर सीमान्त और मरुस्थलीय जिले को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिये ताकि उद्योग के लिए उद्यमीजन आगे आयें और बीकानेर में ड्राई पोर्ट की स्थापना की घोषणा सरकार ने कर दी, लेकिन एयर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण मैट्रो सिटी से बीकानेर जुड़ नहीं पा रहा है। माननीय सभापति जी, अभी एकमात्र फ्लाइट दिल्ली के लिए है और दूसरी मैट्रो सिटीज सूरत, मुम्बई, कोलकाता, अहमदाबाद जहां बीकानेर के अनेकों उद्यमी हैं और वो उद्यमी भी बीकानेर से एयर कनेक्टिविटी की वजह से नहीं जुड़ पाये हैं तो हमारे माननीय कलेक्टर ने जो एक एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए चार करोड़ रुपये वन भूमि में जो नोटिस भेजा है कि चार करोड़ रुपये जमा करायें। राज्य सरकार को कलेक्टर ने प्रस्ताव भेजा है वह जल्दी से स्वीकृत कर दें तो वन भूमि में हमारे एयरपोर्ट का विस्तार हो सके तो हमारा यह बीकानेर मैट्रो सिटी से जुड़ सके।

माननीय सभापति, बीकानेर की सिरेमिक की बात आयी। गुजरात का मोरबी जो पूरी दुनिया में सिरेमिक हब के रूप में जाना जाता है और मोरबी में दस हजार यूनिट्स हैं सिरेमिक की और सारा रॉ-मैटेरियल बीकानेर से जाता है। बीकानेर में इतने संसाधन हैं, इतनी सम्पदा है कि इस मोरबी का पूरा उद्योग बीकानेर से रॉ-मैटेरियल से चलता है। जब केन्द्र की सरकार ने गैस पाइपलाइन की व्यवस्था कर दी है तो राज्य सरकार उसको आगे बढ़ाते हुए इसमें सिरेमिक हब बनाने में बीकानेर में योगदान करे और बीकानेर बहुत बड़ा मोरबी से भी उच्च दर्जे का सिरेमिक हब बन सकता है, अनेकों रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

सोलर उद्योगों का हब बीकानेर बनता जा रहा है। जैसा कि बिजली

(श्री बिहारीलाल)

मंत्री जी यहां बैठे हैं तो बीकानेर में सोलर से सम्बन्धित स्किल इंस्टिट्यूट खोला जाना चाहिये, जिससे स्किल्ड होकर बीकानेर के नौजवान सोलर उद्योग में रोजगार पा सकें। बीकानेर के वूलन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में चोखला ऊन की पर्याप्तता न के बराबर है जबकि चोखला ऊन के लिए बीकानेर के गलीचे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि चोखला भेड़ को बचाने के लिए और चारे के लिए राजस्थान कैनाल के दोनों तरफ दो सौ मीटर की एक ऐसी हरित पट्टी डवलप की जाये ताकि भेड़पालन के लिए पशुपालकों को बहुत बड़ी मदद मिले और बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मण्डी है, उसमें चोखला भेड़ का पालन संरक्षित किया जा सके।

माननीय सभापति जी, बीकानेर उस्ता आर्ट अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है, जिसके संवर्द्धन, उन्नयन पर भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। बीकानेर का जवाहरात उद्योग, जड़ाऊ जवाहरात का उद्योग भी जयपुर जैम्स एंड ज्वैलरी की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिये, ताकि दस हजार से ज्यादा लोगों को बीकानेर में रोजगार मिल सके।

बीकानेर के करणी एरिया में एसटीपी का इश्यू माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है और कई बार इस पर भी चर्चा हुई है और साथ में ही हमारा कृषि का विश्वविद्यालय है वहां भी छात्र उस गन्दे पानी की वजह से अपनी क्लासों में नहीं बैठ पाते, बिना मास्क के पढ़ाई नहीं कर पाते। इस समस्या को भी दूर करें।

माननीय सभापति जी, बीकानेर के लिए कहा जाता है 'ऊंट, मिठाई, स्त्री, सोनो, गहणो सा, पांच चीज फिरती फिरें, वाह बीकाणा, वाह'। तो बीकानेर की इन कुछ समस्याओं की तरफ मैंने माननीय मंत्री जी का, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, तो निश्चित तौर पर इस पर भी संज्ञान लेंगी और इस बिल का जो हमने संशोधन दिया है जनमत जानने का तो हम जनमत जानने के लिए इसको परिचालित करने का आग्रह करते हैं। धन्यवाद, सभापति जी।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, इस बिल की मुख्य रूप से अभी सारी बातें आ गईं और इस बिल के उद्देश्य में लिखा हुआ है कि 2019 का जो मूल अधिनियम था उसको संशोधित करने के लिए आज यह संशोधन बिल लेकर आये हैं। उसका कारण इन्होंने यह बताया कि, 'सम्पूर्ण देश में महामारी कोविड-19 के प्रकोप के कारण भिन्न-भिन्न उत्पादक चैनल बन्द हो गये और अर्थव्यवस्था की वृद्धि धीमी हो गयी थी और अधिनियम में उपबंधित छूटों के होते हुए भी सीमित संख्या में विनिधानकर्ताओं ने राज्य में किसी प्रकार के उद्यमों की स्थापना की पहल नहीं की। अत: अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने विनिधानकर्ताओं को, उन्हें भी सम्मिलित करते हुए कार्यस्थल पर कोविड-19 के विपरीत प्रभाव के कारण उद्यम स्थापित नहीं कर सके, अग्रसर करने के क्रम में, राज्य सरकार ने विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छूट की कालावधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का विनिश्चय किया है।' इसलिये इस संशोधन बिल को माननीय सभापति महोदय, यहां सदन में लाया गया है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी राजस्थान बेरोजगारी के मामले में 28.5 प्रतिशत की बेरोजगारी दर के साथ में पूरे भारत में नम्बर 2 पर है। आप इस प्रकार के बिल तो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन क्या इस प्रकार के बिल लाने से राजस्थान की बेरोजगारी दर कम हो जायेगी? क्या यहां के लोगों को रोजगार मिल पायेगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं छोटा-सा निवेदन इस बात का करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा बेरोजगारी को चाहे खतम करें, चाहे रोजगार के साधन हम लोग उपलब्ध करवा सकें, उसमें जब तक जहां उद्योग लगे वहां अगर स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलेगा, उसका कारण मैं बताता हूं कि जहां हम लोग मैटेरियल वहां का काम में लेते हैं, लैंड वहां की प्रोवाइड कराते हैं, रोड्स वहां के हम लोग देते हैं और सारा का सारा इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश होने में जितने संसाधनों की जरूरत होती है वहां उस स्थानीय क्षेत्र के काम में लेते हैं। मेरा सरकार के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि यह इसके साथ में एक संशोधन, एक विधेयक ऐसा लाया जाये जहां-जहां यह उद्योग स्थापित होता है वहां उद्योग स्थापित करने के लिए 75 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिले, उस 75 प्रतिशत में 25 प्रतिशत क्राइटेरिया है वह वहां के जो खनन प्रभावित क्षेत्र हैं जिन लोगों ने जमीनें दी

(श्री अविनाश)

हैं, वहां के लिए रिजर्व रखें। 25 प्रतिशत उस विधान सभा क्षेत्र के लिए और 20 से 25 प्रतिशत उस जिले के लिए रिजर्व रखें। उससे यह जो बेरोजगारी की दर जो मैंने आपसे निवेदन की, उसमें भी कमी आयेगी और आज चूंकि टैक्नोलोजी का जमाना है, एजुकेशन का जमाना है, इसमें सारे लोग चाहे आईटीआई हों, चाहे आईआईटी हों चाहे डिप्लोमा हो, किसी क्षेत्र में हो, जो उनके हिसाब से जिनकी योग्यता है, हम लोग यह कहते हैं कि योग्यता के आधार पर अगर उनको नियुक्ति दी जाये तो मुझे लगता है कि राजस्थान में बेरोजगारी की दर भी कम होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जहां भी उद्योग लगें वहां सरकार इस प्रकार का एक संशोधन बिल लेकर आये, जहां स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिले और यह जो मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव किया है, मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय, राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में रहने वाले उद्योगपति सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में यदि रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं तो राजस्थान के मूल निवासी आज भी पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उद्योग यदि किन्हीं ने लगाये हैं तो राजस्थान के निकले हुए लोग और विशेषकर जहां से आप भी आते हैं, सभापति महोदय, वह शेखावाटी का इलाका है लेकिन हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि वह उद्योगपति राजस्थान को छोड़कर के देश के अन्य हिस्सों में क्यों चले गये, विदेशों में क्यों चले गये? क्या राजस्थान के अन्दर हमारे यहां कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी रही, हमारे यहां भू-भाग की कमी रही या अन्य कोई कमी रही, जिसके कारण उनको जाना पड़ा?

सभापति महोदय, मेरा मानना है कि सरकारों की उदासीनता के कारण और उद्योगपतियों को मिलने वाली जो फैसेलिटीज हैं और विशेषकर

(श्री अभिनेश महर्षि)

जो लघु उद्यमी हैं, छोटे-छोटे उद्यमी हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई का, उनके दादा-परदादा जो गाढ़ी कमाई का हिस्सा बचा करके अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो छोटे-छोटे उद्योग लगाने का काम करते थे, उनको सही तरीके से पूरी फैसेलिटीज नहीं मिलने के कारण उनको बाहर जाना पड़ा और उसी का कारण है, सभापति महोदय, कि आज भी हिन्दुस्तान में बेरोजगारी के आंकड़े यदि हम देखते हैं तो दूसरे नम्बर पर राजस्थान आता है जबकि राजस्थान हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश हमारे यहां पर है जहां माइन्स हैं, मिनरल्स हैं, जहां टूरिज्म के अन्दर इतना बड़ा क्षेत्र है, जहां हमारे यहां रिफाइनरी भी लग गई। राजस्थान बहुत रिच है, इन आल सेन्स राजस्थान समृद्ध प्रदेश है लेकिन फिर भी उद्योग-धन्धों के मामले में यदि हम बात करें तो आज भी जो आंकड़ा हमें प्राप्त करना चाहिये था, वह प्राप्त नहीं कर सके।

यह जो बिल का अमेंडमेंट है, इसके अन्दर निश्चित रूप से चाहे कारण कोई भी रहे हों, उनको तीन साल से पांच साल करने की बात कही है लेकिन यह अमेंडमेंट सफिशिएंट नहीं है, सभापति महोदय। इस अमेंडमेंट के अन्दर और भी बातें जो लघु और मध्यम हमारे उद्यमी हैं उनके लाभ के लिए और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए भी हम कुछ बिन्दु इसके अन्दर शामिल कर पाते तो निश्चित रूप से हम उद्योगों को बढ़ावा दे पाते, छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा दे पाते।

मेरे रतनगढ़ क्षेत्र में भी रीको इंडस्ट्रियल एरिया है और वह सुदूर रेगिस्तान का इलाका, हमने बार-बार वहां पर मांग की। वहां पर रीको का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, सुविधाओं के अभाव के कारण वहां पर कोई नया उद्यमी जाना नहीं चाहता है। जमीन बहुत महंगी है, वहां पर छोटी-छोटी जो समस्याएं हैं रीको उनको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है। हमारे यहां से रेलवे लाइन निकल रही थी, रेलवे लाइन के अन्दर जो पहले उनके भू-भाग को अधिग्रहित कर लिया था उसके बाद में जब रेलवे लाइन वहां से हटी तो उनको वापस अलाटमेंट होना चाहिये था। कई बार कहने के बावजूद भी उन छोटे-छोटे उद्योगपतियों को भी वह भू-भाग अलोटमेंट नहीं होता है। वहां पर सड़क की समस्या है। जहां भी रीको इंडस्ट्रियल एरिया लगे हैं या जहां भी छोटे-छोटे उद्योग और लगाने जा रहे हैं, उनको सबसे पहले पानी और बिजली सही समय पर मिले। माननीय उद्योग

(श्री अभिनेश महर्षि)

मंत्री महोदया, आप इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारी भावना के अनुरूप वह हो सकेगा। उसके लिए ऐसा कर दीजिए कि उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। यदि कोई लघु उद्योग लगाना चाहता है, तो जैसे आप टैक्स में छूट देते हैं, उसी तरीके से उनको बिजली, पानी सही तरीके से मिले और सुरक्षा की दृष्टि से उनके पूरे उपाय किये जा सकें, यह भी इस अमेंडमेंट में आप शामिल कर देते तो निश्चित रूप से आपकी भावना सही तरीके से पूरी हो जाती।

एमएसएमई के लैंड अलाटमेंट का मामला है, निश्चित रूप से सभी छोटे-छोटे उद्योग लगाने वाले लोगों की भावना जन प्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे तक आती हैं कि हमें लैंड में बहुत बड़ा पैसा देना पड़ता है, उसमें सरकार उनको छूट दे। मैं तो यह कहता हूं कि छोटे उद्योग लगाने वालों को 20 परसेंट पर जमीन अलाटमेंट करनी चाहिये, जिससे उनको बढ़ावा मिल सके।

हम लोग जब भी कोई कान्क्लेव करते हैं, समिट करते हैं या इन्वेस्ट समिट करते हैं, उसमें ताबड़तोड़ एमओयू होते हैं, लेकिन वह एमओयू कभी 10 परसेंट, 15 परसेंट, 20 परसेंट भी धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। जो भी एमओयू करें, उन एमओयू की सब बातों को पहले से एग्जामिन करा लें। मैं एक बार मुम्बई गया, मुम्बई में कई उद्योगपति मिले। उन्होंने कहा कि सरकार बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। एमओयू करने के बाद जब हम सरकार से मिलते हैं तो एकल खिड़की की बात करने वाली सरकार या छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सरकार का चेहरा बदल जाता है। ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं कि इस बिल के माध्यम से छोटे-छोटे अमेंडमेंट और होने चाहिये। हम बिल लेकर आते हैं, बिल पर बहस होती है, इस सदन का समय भी जाया होता है। कोविड में जो हमारे छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगाने वाले लोगों को बड़ी भारी परेशानी हुई, लेकिन उस परेशानी में खाली इतना अमेंडमेंट कर देना काफी नहीं है कि तीन साल से पांच साल किया जाता है। बाकी सारी चीजों पर भी सरकार विचार करके कोई कमेटी का गठन करके विचार करके जन प्रतिनिधियों को, छोटे उद्योगपतियों को शामिल करके उस पर कोई निर्णय लेना चाहिये।

जहां एक तरफ भारत सरकार इन एमएसएमई के लोगों को बहुत बढ़ावा दे रही है। अनेक-अनेक प्रकरणों के माध्यम से वह इनको छूट देकर

(श्री अभिनेश महर्षि)

आगे बढ़ाने का काम करती है, तो राजस्थान सरकार की भी ड्यूटी बनती है, राजस्थान सरकार की कथनी और करनी में भी अंतर नहीं रहना चाहिये। ऐसी स्थिति में जो यह अमेंडमेंट आप लेकर आये हो, यह सफिसिएंट अमेंडमेंट नहीं है। इसमें और भी सारी बातों को जोड़कर, इसमें आगे बढ़ना चाहिये।

यही बात कहते हुए मैं इसे तीन महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं। कोई कमेटी का गठन करके, सब लोगों को शामिल करके, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और जब तक आप एमएसएमई सेक्टर को मजबूत नहीं करोगे, तब तक जो उद्देश्य आप लेकर चल रहे हो, वह कथनी और करनी में अंतर राजस्थान के विकास की गति में बाधा डालेगा। यही बात कहते हुए मैं इसे तीन महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 हम लेकर आये हैं।

सूचना

विधान सभा के समक्ष एकत्रित चिकित्सकों पर लाठी चार्ज

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के सामने प्रदेश के चिकित्सक अपनी बात कहने आये हैं। उन पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ है। आज भी वह लगातार धरने पर बैठे हैं। चिकित्सक हमारे समाज का सबसे प्रबुद्ध अंग हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जरा मंत्री जी को कहिए कि कितने लोगों को चोट आई, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर वह लोग बैठ गये हैं। मैं समझता हूं इस बारे में हम सबको चिंता करनी चाहिये। सभापति महोदय, पिछले दो दिन से राजस्थान में निजी चिकित्सकों ने पूरी सेवाएं बंद कर रखी हैं। कई लोगों की असमय मौत हो जायेगी, मैं इसमें कोई माइलेज नहीं लेना चाहता, चूंकि आप आसन पर विराजे हैं, इसलिए पूरी घटना क्या हुई, कैसे हुई और किस प्रकार हम उनसे वार्ता करके इस बात को रोक सकें, इसके बारे में जरूर संज्ञान लेना चाहिये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मात्र एक छोटा-सा संशोधन हम लेकर आये हैं। जिस उद्देश्य से हम यह संशोधन लेकर आये हैं निश्चित तौर से इस संशोधन को करने मात्र से ही लघु और सूक्ष्म उद्यमियों की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो आपने तीन वर्ष की सीमा को बढ़ाकर पांच वर्ष किया है, मैं इस विधेयक के मार्फत आपसे मांग करना चाहती हूं कि इसमें यह जोड़ा जाये कि तीन वर्ष की सीमा को बढ़ाकर पांच वर्ष किया जाए, मार्च, 2023 से ही उसकी तारीख को निश्चित किया जायेगा तो निश्चित तौर पर उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हम सबने देखा है, हमारे दो वर्ष कोरोना काल में निकल गये। इस सीमा को दो वर्ष बढ़ाने का जो आपका उद्देश्य है, वह उद्देश्य पूरा हो। दो वर्ष तो वैसे ही हमारे निकल गये।

अभी सम्माननीय माननीय सदस्य बोल रहे थे कि एकल खिड़की पर ही हमारे उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप लोग लगे हुए हैं। मेरे से ज्यादा हमारे एमएसएमई के उद्योगपतियों की समस्या को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं 10 साल तक रामगंज मण्डी से विधायक रही हूं। वहां पर हमारी कोटा स्टोन की छोटी-छोटी इकाइयां लगी हुई हैं। धनिये की प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई हैं। हम यह विधेयक लेकर आये हैं, लेकिन इस विधेयक में हमें यह भी जोड़ना चाहिये, इसमें एनओसी का जो प्रावधान है, सभी लाइसेंस को एक में ही मर्ज किया जाये, क्योंकि उद्यमी जब उद्योग लगाता है तो उसे 8-9 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। फैक्टरी का लाइसेंस, ईएसआई का लाइसेंस, पीएफ का लाइसेंस, एक्सप्लोजिव लाइसेंस और पोल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस भी उसे लेना पड़ता है। इस तरह से 8-9 लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर इसको एक में मर्ज करेंगे तो हमारे उद्यमी को बहुत बड़ा लाभ होगा। इससे वह जो अधिकारियों के चक्कर काटते हैं और बिना पैसे के एनओसी नहीं मिलती। मैं खुद इस बात की भुगत भोगी हूं मैं बता सकती हूं कि अधिकारियों के लगातार चक्कर काट कर, पैसा खर्च करके ही उद्यमी को इसकी एनओसी जारी की जाती है। इस प्रावधान को हम इसमें जोड़ें, इतना सा मेरा आपसे निवेदन है।

साथ ही साथ, यह भी निवेदन है कि हम इसमें गजट नोटिफिकेशन

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जारी करें। बिना गजट नोटिफिकेशन हम समझ सकते हैं कि एक उद्यमी को कितनी बड़ी परेशानी होती है। उनकी पीड़ा को हम जानें। साथ ही साथ इस विधेयक के साथ हम अगर यह प्रावधान भी रख दें कि हमारी नगरपालिका की जो सीमाएं हैं, जैसे मैं आपको रामगंज मण्डी का उदाहरण देना चाहती हूं, हमारी 30-32 पंचायतें उससे जुड़ी हुई हैं पेरिफेरी एरिये में आती हैं। जब एक उद्यमी कोई उद्योग लगाता है तो चार लाख रुपये खर्च करके उसका भू-रूपांतरण होता है, क्योंकि पेरिफेरी एरिया है। अगर आप इस नियम को हटाते हो तो निश्चित तौर पर मैं आपको कहूंगी 5,000 बीघा जमीन का भू-रूपांतरण रामगंज मण्डी में हो सकता है और मात्र 25,000 में उस उद्यमी का काम चल सकता है। हमें विधेयक लाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिये और इन छोटे-छोटे प्रावधानों को अगर उस विधेयक में हम जोड़ते हैं, ऐसे नियम बनाते हैं तो हमारे उद्यमी और ज्यादा सफल हो सकते हैं।

साथ ही एक छोटा-सा सुझाव देना चाहूंगी कि हम रीको एरिया घोषित करते हैं, लेकिन मैं देख रही हूं, जैसे रामगंज मण्डी का ही उदाहरण लीजिए, फतेहपुर हमारा रीको एरिया है, आज 12-13 साल होने के बावजूद भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। जब नगरपालिका चार लाख रुपये उद्यमी से लेती है तो किस बात के लेती है? वहां बिजली की भी उन्हें सुविधा देनी चाहिये, वहां सड़कें बनानी चाहिये, पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। इस तरह की परेशानियों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। साथ ही साथ हमारे राजस्थान के छोटे-छोटे उद्योग हैं, जो हमारी रुग्ण इकाइयां हैं, उन्हें जीवित करने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिये। इस विधेयक में जोड़ना चाहिए। इसके लिए चाहे ऋण में आसानी करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि ऋण मिले। हमने कोरोना काल में देखा कि उद्योगों को 2 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर पैकेज देने का प्रावधान किया गया, लेकिन जब एक छोटा-सा उद्योग कोई बंधु लगाता है, कोई व्यापारी लगाता है तो उसे ऋण के लिए बैंकों के लगातार चक्कर काटने पड़ते हैं। वहां भी हमारा इंटरफेयर होना चाहिए। मैं यह मांग करती हूं कि संशोधन विधेयक को छह माह के लिए जनमत हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2. श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, सरकार एमएसएमई के बिल पर जो संशोधन लेकर आयी है, उस पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सरकार बिलों पर इतने छोटे-छोटे संशोधन लेकर आती है, उससे सदन का समय भी जाया होता है। मेरा इसके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि एमएसएमई हो या और कोई बिल हो, कोई-सा भी बिल जो संशोधन के लिए रखा जाये, उसमें वे सारे संशोधन लाने चाहिए जिनकी आवश्यकता है।

अभी राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि जब भी हम इस सदन में सत्र में कोई सवाल पूछते हैं तो मंत्री महोदय जवाब दे देते हैं और वे यह जवाब देते हैं कि कोरोना था, इसलिए हम पैसा खर्च नहीं कर पाये। इसमें हमारे पैसे का उपयोग नहीं हुआ, इसलिए योजनाएं फलीभूत नहीं हुई। अब कोरोना था, इसलिए आपने तीन वर्ष की छूट को बढ़ाकर 5 वर्ष किया है। जो सरकार स्वयं से, जो कि खुद सरकार है, वह सरकार अभी तक भी कोरोना का रोना रो रही है। आप यह जो संशोधन तीन साल से पांच साल तक बढ़ाने का लेकर आये हैं, क्या यह पर्याप्त है? मुझे लगता है कि यह तीन साल की बजाय सात साल, आपने दो साल बढ़ाये हैं, इसमें तीन साल और बढ़ाने चाहिए और पांच साल के लिए संशोधन लेकर आना चाहिए, तब जाकर एमएसएमई की छोटी इकाइयां हैं, उनको राहत मिल सकती है।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिये, कोई भी इंडस्ट्री किसी भी क्षेत्र में लगती है, उस इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले होना चाहिए कि उसके पास पूंजी हो। वह पूंजी कौन देगा? लोन के माध्यम से उद्यमी पूंजी लेने के काम की सोचता है, लेकिन लोन के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती है। उसको मान-

(श्रीमती अनिता भदेल)

मनुहार करनी पड़ती है, तब जाकर उसका लोन सेंक्शन होता है। छोटे-छोटे लोन, एक-दो लाख के लोनों के लिए उद्यमियों को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर उनकी पूंजी की व्यवस्था होती है। जितनी भी इंडस्ट्रीज लगती हैं उन सब इंडस्ट्रीज का जो बजट है, उस बजट का 40 परसेंट हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भूमि के क्रय के लिए जाता है।

रीको इंडस्ट्रियल एरिया के जो नये प्लाट अजमेर में काटे गये, मैंने पिछली बार विधान सभा में उनकी डीएलसी रेट के बारे में पूछा था। उनको कम करने के लिए निवेदन किया था, पर मुझे यह बताया गया कि हम उनको कम नहीं करेंगे। यदि कोई उद्यमी पूरे बजट की 40 परसेंट राशि भूमि पर खर्च करेगा तो उत्पादन तक इसकी इंडस्ट्री की क्या लागत होगी? हमारे संस्कारों में और कल्चर में नौकरी करना अच्छा उद्यम नहीं माना जाता है, स्वयं का व्यापार करना और स्वयं का उद्यम स्थापित करना माना जाता है। एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है, जो सेक्टर बेरोजगारी को खतम करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय साबित हो सकता है। यदि कोई सेक्टर रोजगार देने का काम कर रहा है, वह काम एमएसएमई कर रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए नई इंडस्ट्रीज लगें, उनको प्रमोट करने के लिए हमें कहीं न कहीं जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राहत पैकेज दिया, कोविड के समय उन्होंने बैंकों की किस्तों को स्थगित किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आपका संशोधन क्या है?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एमएसएमई को किस तरह से स्थापित किया जाये, वह संशोधन है, तो मैं इसके लिए सुझाव दे रही हूं। यह सुझाव गवर्नमेंट के लिए है कि वह इस प्रकार का राहत पैकेज देती कि एमएसएमई उभरकर आ जातीं। जो रुग्ण इकाइयां बन्द पड़ी हैं, वे वापस चालू हो जातीं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जैसे कोई बिल्डर काम करता है, वैसे ही रीको काम करता है। सिर्फ प्लाटिंग काटने का काम करता है। न वहां सड़क बनती है, न वहां स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होती है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं सबसे बड़ी समस्या अजमेर की बताना चाहूंगी। हमारा जो गेगल इंस्डस्ट्रियल एरिया है उसको बसे हुए आज लगभग 10-15 साल हो गये हैं, लेकिन आज तक भी वहां पर पेयजल के पानी की व्यवस्था नहीं है। जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे काम

(श्रीमती अनिता भदेल)

करेगी? माननीय सभापति महोदय, दूसरी सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। हमारे राजस्थान में औद्योगिक बिजली सबसे महंगी है। सबसे महंगी औद्योगिक बिजली होने की वजह से हमारे पाली और भीलवाड़ा की जो टैक्सटाइल यूनिट्स हैं, वे सारी की सारी गुजरात और महाराष्ट्र में शिफ्ट हो रही हैं। हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा यदि वे इंडस्ट्रीज बिजली के कारण से वहां पर शिफ्ट हो जायेंगी? बाजार में कम्पीटिशन करने के लिए आपको सस्ता प्रोडक्ट देना पड़ेगा। यदि आप सस्ता प्रोडक्ट नहीं देंगे, यदि आप बिजली की लागत उस प्रोडक्ट में जोड़ दें तो सबसे महंगा प्रोडक्ट राजस्थान में बनता है और बिजली के कारण उसकी लागत बढ़ जाती है। इसलिए कीमत कैसे कम की जा सके और कीमत कम करने के साथ में ही हम इसकी कटौती न करें क्योंकि कभी भी कोई भी बिजली की कटौती होती है तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज के एरिये को उसकी मार झेलनी पड़ती है कि पांच घंटे इंडस्ट्रीज बन्द रहेंगी, बिजली नहीं मिलेगी, छह घंटे इंडस्ट्रीज बन्द रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बोलना चाहूंगी कि बिजली की समस्या के लिए केन्द्र सरकार जो सोलर पालिसी लेकर आयी है, उस सोलर पालिसी से आपको सस्ती बिजली भी मिलेगी और आपको ऐवरी टाइम बिजली मिल सकती है। जो इंडस्ट्रीज हैं, वे इंडस्ट्रीज अपनी इंडस्ट्री के ऊपर ही यदि सोलर के माध्यम से बिजली लेना चाहते हैं तो उसमें आपने कैप लगा दिया कि आप इतने मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं ले सकते। यदि आप इतने मेगावाट से ज्यादा का वहां पर पैनल लगायेंगे तो आपको पैनल्टी देनी पड़ेगी, सरकार आपको पैसा नहीं देगी। ऐसी स्थिति में हम सोलर इंडस्ट्रीज को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं जबकि पूरे देश भर में हमारा प्रदेश सोलर एनर्जी के मामले में पहला स्थान रखता है।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर बेस्ड अर्थव्यवस्था है। एग्रीकल्चर बेस्ड अर्थव्यवस्था से हम कैसे एग्रो इंडस्ट्रीज की स्थापना कर सकें, कैसे हम राजस्थान में प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकें? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे देश में सर्वाधिक सरसों, बाजरा, ग्वार का उत्पादन होता है। गेहूं के उत्पादन में हमारा प्रदेश दूसरे नम्बर पर है। इसी तरह से हमारे प्रदेश में मिनरल्स और खनिज, जिसमें सीसा, जस्ता, अयस्क और बाकी के खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सीकर में सोने का भण्डार मिला है। यूरेनियम और थोरियम जैसे बहुमूल्य

(श्रीमती अनिता भदेल)

भण्डार हमारे यहां पर हैं। देश में प्राकृतिक गैस के प्रचुर मात्रा में जहां भण्डार मिले हैं, वह बाड़मेर में है। बाड़मेर में रिफाइनरी बन रही है। बाड़मेर के आसपास हमको डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर मिला है। डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के आसपास हमको इस प्रकार की इंडस्ट्रीज स्थापित करनी चाहिए कि हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे भी बढ़े।

माननीय सभापति महोदय, इंडस्ट्रीज की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो बिजली की समस्या, दूसरी समस्या कुशल श्रमिकों की है। कई बार शिक्षा की डिमांड पर बात करते समय मैंने यह बात की। क्या हम ऐसी योजना बना सकते हैं, क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं, क्या ऐसा प्लेटफार्म बना सकते हैं कि हमारे जितने इंडस्ट्रिलिस्ट हैं, उनको किस प्रकार के कौशल की जरूरत है? उनको किस प्रकार का कौशल चाहिए, उस प्रकार कोर्सेज को डिजाइन करके हम वे कोर्सेज हमारे कालेजों में चालू करें, ताकि हमको उस प्रकार के कोर्सेज के अकोर्डिंग, उस प्रकार के हमको कुशल श्रमिक मिल सकें।

माननीय सभापति महोदय, हमारी उद्योग मंत्री महिला हैं और महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। मुझे लगता है कि महिला एंटरप्रिन्योर बने, महिला उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़े। आपके समय में रहते हुए वह जितना बढ़ सकती है, शायद और दूसरे के समय में नहीं बढ़ सकती। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि महिला उद्यमियों के लिए विशेष राहत के पैकेज हमें देने चाहिए, जो महिला उद्यमी आगे बढ़कर आना चाहती है, प्रस्ताव लेकर आना चाहती है।

आपने एकल खिड़की की बात कही है, पर रामगंज मण्डी, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात की, हमको इतनी सारी परमिशन लेनी पड़ती है और बिना करप्शन के ये परमिशन नहीं मिलती। आपके पास जो व्यक्ति पहुंच गया, आपने उसको राहत दे दी परन्तु हर उद्यमी आप तक नहीं पहुंच सकता। हर उद्यमी की पकड़ आप तक नहीं हो सकती। इसलिए व्यवस्था हमारी ऐसी होनी चाहिए कि महिलाएं जो नीचे, आप टारगेट फिक्स कीजिए कि इतने प्रतिशत महिला उद्यमियों को ही हम ऋण देंगे, उनकी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि अनुसूचित जाति के लोग इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत कम आते हैं क्योंकि रिस्क लेने का उनका जो जज्बा है, मुझे लगता है कि वह कम है,

(श्रीमती अनिता भदेल)

क्योंकि पूंजी उनके पास कम होती है। उनको लगता है इतनी छोटी-सी पूंजी में भी यदि दांव खेल दिया और हम घाटे में चले गये तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे और हमको कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए एससी/एसटी के लिए जो इंडस्ट्रीज के पैकेज आपने दिये हैं वह बहुत कम हैं। मुझे लगता है कि एससी/एसटी के लोगों के लिए रीको इंडस्ट्रियल एरिया में जो भूमि की दर आपने डिसाइड की है, उसको बहुत कम किया जाना चाहिए। बिजली कम रेट पर उनको मिलनी चाहिए और साथ ही साथ उनको जो टैक्स के बारे में छूट मिलनी चाहिए, वह टैक्स की छूट उनको 100 प्रतिशत दी जानी चाहिए ताकि वह लोग भी इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ें, हमारे प्रदेश को रोजगार देने का काम करें, स्वयं भी सक्षम बनें और हमारे प्रदेश की बेरोजगारी भी खतम करें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। निवेदन करूंगी कि यह जो संशोधन बिल लेकर आये हैं, उसको 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्रीमती अनिता भदेल ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 में संशोधन है। श्रीमती अनिता भदेल।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्रीमती अनिता भदेल ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती शकुन्तला रावत। प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय सभापति महोदय, माननीय दीप्ति किरण माहेश्वरी, अशोक लाहोटी जी, अविनाश जी, अभिनेश महर्षि जी, बिहारीलाल जी, चन्द्रकान्ता जी, अनिता जी, सभी ने विचार रखे हैं। सभी ने अपनी-अपनी भावना से विचार व्यक्त किये। राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023, माननीय सभी सदस्यों ने कहा कि क्या कोरोना महामारी के चलते ही ऐसा हुआ? कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, उससे पूरा देश, पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड प्रभावित हुआ। जो छोटे, लघु, कुटीर उद्योग धंधे थे, जिनकी रोजाना की आय होती थी, वह बंद हो गयी। उस सोच को देखते हुए, राजस्थान का युवा, महिला किस तरीके से सबल बन सके, उस सोच के साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह एक्ट बनाया।

एमएसएमई, माननीय मुख्य मंत्री महोदय की जो बजट घोषणा थी, 23/02/22 के बिन्दु संख्या 167- पैरा सैकण्ड के माध्यम से कि जो भी लघु, कुटीर उद्योग धंधा अपना स्थापित करेगा वह विभिन्न तरीके के निरीक्षणों से मुक्त रहेगा। पहले तीन वर्ष लाए और आज का जो उद्देश्य है, सभापति महोदय कि 2019 के बाद 2022 में लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, अभी जैसा कि माननीय कई सदस्यों ने कहा कि 6 वर्ष बढ़ाया जाए, 7 वर्ष किया जाए, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2022 के लिए इसको पांच वर्ष किया। एक लाइन का विधेयक बताया गया लेकिन उस एक लाइन में गहराई कितनी है। उस शहर का, उस गांव का, उस ढाणी का युवा जो सपना देखता है कि मैं भी उद्योगपति बनूं, लेकिन कैसे बनूं? मेरे गांव में किस तरीके से कोई छोटी-सी कंपनी स्थापित करना चाहूं तो किस तरीके से मैं स्थापना करूं? कोई छोटी-सी कंपनी लगा सकता हूं, कोई छोटी-सी फैक्टरी लगा सकता हूं। पांच वर्ष के लिए उस पर कोई दबाव नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं होगी। 2019 के अंतर्गत

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक्नालेजमेंट सर्टिफिकेट। इसका आवेदन ऑनलाइन होता है। rajudhoygmitra.rajasthan.gov.in पर आवेदन करें। उससे इस तरीके का एक प्रमाण पत्र मिल जाता है, ऑनलाइन। माननीय सदस्या ने कहा कि मैं भुक्तभोगी हूं। अगर भुक्तभोगी हैं और मेरे विभाग के किसी अधिकारी ने या कर्मचारी ने किसी तरीके की अगर आपसे या किसी से भी मांग की है, आप नाम लिखकर दीजिए, मैं चैलेंज करती हूं उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। आप लिखकर दीजिए। लिखित में दीजिए।

वन स्टाप शाप, सोमवार को और बृहस्पतिवार को उद्योग भवन में 14 विभाग के अधिकारी बैठते हैं। महीने के पहले बृहस्पतिवार को मैं स्वयं रहती हूं और 125 से ऊपर समस्याओं का समाधान जो भी कोई आता है वहां पर, उसका समाधान करके, ऑनलाइन उसको प्रमाण पत्र देते हैं। आप एक बार आजमा कर देखिए। लेकिन आजमाना नहीं है। ऑनलाइन आवेदन में किसी तरीके का कोई हो तो आप हमें बताइए।

यह एक्ट लाने से राजस्थान राज्य का आर्थिक, सामाजिक स्वरूप बदलेगा। राज्य की छवि एक आदर्श निवेश के रूप में स्थापित होगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का एक अलग स्थान होगा। पूरे राजस्थान का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर एमएसएमई एक्ट के तहत किसी न किसी ने आवेदन नहीं किया हो। मेरे पास सारे जिलों की लिस्ट भी है। ये जब तीन वर्ष का एक्ट लाए, उस दिन से ही इस पर आवेदन आना शुरू हो गया। आवेदन आने के साथ-साथ अपना लघु और कुटीर उद्योग धंधा वह स्थापित कर सकता है लेकिन खुद व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए, खुद का एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसी नीति पूरे भारत देश में कहीं पर भी नहीं है। पहला राज्य है राजस्थान जहां पर एमएसएमई की नीति राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय लेकर आये हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय...

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): एक मिनट, माननीय सदस्या, आप बोलना, आपको छूट दी जायेगी। लिखित में दीजिये आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सारे व्यापारियों को आपसे मिलवा देंगे।

श्री सभापति: बैठिए आप। अलाउ नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): व्यापारियों को मिलवाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक कागज दीजिए, अधिकारी का नाम दीजिए, कार्यवाही हो जायेगी।

श्री सभापति: मंत्री महोदया, आसन की तरफ, आप इन्वाइट मत कीजिए उनको। आसन की तरफ जवाब दीजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय सभापति महोदय, 7 हजार 871 इकाइयां उत्पादन में आ गयी हैं, जो छोटी-छोटी इकाइयां, छोटे-छोटे उद्योग धंधे स्थापित किये हैं। 5 वर्ष की अवधि तक वह युवा अपना उद्योग धंधा चालू करके दो पैसे का रोजगार करेगा। इसमें हस्तशिल्प को, खनन को, कृषि को, खाद्य प्रसंस्करण, धातु, शिल्प कला, फुटवियर, इस तरह के लघु और सूक्ष्म, मध्यम उद्यमों की गति तेज हुई है। इसमें भूरूपांतरण में छूट है, ट्रेड लाइसेंस में छूट है, बिल्डिंग प्लान अनुमोदन में छूट है, राजस्थान दुकान वाणिज्य प्रतिष्ठान के तहत छूट है, राजस्थान निकायों के विभिन्न प्रकार की एनओसीज से छूट है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की जो सोच है कि युवाओं को, महिलाओं को अपना उद्योग धंधा स्थापित करने में मदद मिले जिससे वह युवा, वह महिला सबल हो सके, अपने आपको साबित कर सके और समाज में एक स्थान बना सके।

राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय की एक-एक योजना, निवेश को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इस पर भी आप एमएलयूपीवाई में आवेदन करेंगे तो आपका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

उद्यम की स्थापना को सुगम बनाने के लिए, राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की एमएसएमई की नीति लाई गई है जिससे पांच वर्ष तक, युवा, महिला, अपना उद्योग धन्धा आराम से, बिना टेंशन से कर सके। रीको द्वारा जमीन दी जाती है। राजस्थान सरकार की तरफ से हैण्डीक्राफ्ट हेतु अलग से हस्तशिल्प नीति जारी की गई है। बिजली कर, स्टाम्प डयूटी, इन सभी करों से मुक्ति के लिए रिप्स के अन्तर्गत आने पर उन्हें यह पूरी छूट दी जाती है। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

माध्यम से सभी जगह रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। सभी स्कीम में महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी है।

सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि एग्रो में, वेयर हाउस में, यह सारी चीज़ें, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने विशेष पैकेज के जरिए घोषणाएं की हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा बार-बार बता रहे हैं। राजस्थान सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है, उसको लेने के लिए यह गिनती बढ़ती जा रही है।

दूसरा, छह साल, सात साल की मांग की, राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय तो हर मांग को, पक्ष हो विपक्ष हो, छात्र हो छात्राएं हों, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सबकी मांग पूरी करते हैं। बार-बार जिक्र किया जा रहा था गुजरात की मोरबी का। कौनसी मोरबी है? वह पुल टूटा था वही मोरबी है, कोई दूसरी मोरबी है?

श्री बलवान पूनियां (भादरा): वही था।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): वही है तो उसका भी उदाहरण देख लें कि किस तरीके का हुआ था, कैसा मैटेरियल काम लेते हैं और क्या दशा होती है। मैंने सोचा कोई दूसरा होगा।

हमारे एमओयू, एलओआई साइन हुए थे, उसके लिए कहा कि धरातल पर नहीं उतरे। सभापति महोदय, ऐसा पहली बार हुआ कि प्रत्येक ज़िले में रोड शो हुए। गांव का, ढाणी का, शहर का, चाहे छोटा उद्यमी है, चाहे लाख की चूड़ी बनाने का काम करे, चाहे हथकरघा का काम करे, चाहे प्रिंटिंग का काम करे, उन छोटे-छोटे उद्यमियों को लाभ देने का काम किया, ऐसा रोड शो हुआ। होटल्स को इण्डस्ट्रीज का दर्जा दिया गया। आप देखेंगे कि किस तरीके से होटल व्यवसायी हो, छोटे-छोटे रेस्टोरेंट खोलेंगे तो उन उद्यमियों को राज्य सरकार की तरफ से लाभ दिया जा रहा है।

अभी कहा गया कि गला दबाते हैं। भई, गला दबाने का काम तो कौन करता है, मेरे को तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार करती है। कौन-कौन से गले दबाए, जैसे कि क्या-क्या करते हैं, कौनसा चेहरा बदलते हैं। राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार का चाहे इतिहास उठाकर देख लें, कभी कोई चेहरा बदलने का, गला दबाने का काम नहीं किया। कोई आलोचना है, उसको भी सुनकर दूर करने का काम करते हैं। गला दबाने का, चेहरा बदलने का

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

काम किया तो किसने किया। काला धन लाने का चेहरा बदल गया, महंगाई को जड़ से खतम करने का चेहरा बदल गया, अग्निवीर का चेहरा बदल गया। देश की सेना से तो कम से कम ऐसा नहीं करते। चेहरा बदलने की बात करते हैं। चेहरा बदलना तो भारत सरकार का काम है।

राजस्थान सरकार का प्रत्येक जिला उद्यमियों से जुड़ा है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक ज़िले के यह आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक ज़िले के आंकड़े उद्योग के क्षेत्र में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में चाहे युवा हो, युवतियां हों, सभी को उसमें हिस्सेदारी मिल रही है। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट में उद्योग के क्षेत्र को जो स्थान दिया, बढ़ावा दिया वह सराहनीय है ताकि पूरे राजस्थान के हर वर्ग को रोजगार मिल सके, वह काम कर सके।

सभापति महोदय, छह वर्ष, सात वर्ष की बात करते हैं। सम्माननीय, आपकी मांग मैं सोचती हूं कि जायज है। एमएसएमई रिप्स, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना, अम्बेडकर योजना, हम इतनी सारी योजनाएं लाए। महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए छूट दी। एक छूट एमएसएमई की आप भी प्रधानमंत्री जी से मांग कर लीजिए, दस साल की, तो मैं भी आपको मान जाऊं। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोलने से ही काम चल सकता है। हमारी एमएसएमई पालिसी 2022 है, जो पांच वर्ष की है, बहुत ही सराहनीय है। पूरे राजस्थान के युवा, महिलाओं को उद्योग धन्धे में गति देने का काम किया तो राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने किया, यह बहुत ही सराहनीय है। यह कानून राजस्थान के गांव, ढाणी, हर इन्सान के हित का विधेयक है। यह पारित करने लायक है, जिससे सबको लाभ मिलेगा। मैं दो लाइन कहना चाहूंगी-

"सूर्य की चाहत है कि छटा से निकलते ही धरा के हर कोने को प्रकाशमान करूं,

राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की चाहत है कि राजस्थान के हर वर्ग का विकास करूं, विकास करूं।"

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप पारित कराएं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विधेयक, 2023 पर चर्चा कर रहे हैं। यह बिल कोविड से प्रभावित हुए एमएसएमई के उद्योग हैं, उन पर तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष की छूट है, उसके लिए लेकर आये हैं। मैं स्वागत करती हूं, छूट बढ़ानी चाहिए। कोविड से पूरी सरकार प्रभावित है, सब प्रभावित हैं, सबसे ज्यादा हमारे उद्यमी प्रभावित हुए थे। मैं यही चाहूंगी कि यह छूट पांच की जगह छह वर्ष की जाए।

उद्योग लगाने के लिए सबसे बड़ी समस्या, मेरे से पूर्व सभी सदस्यों ने भी रखी, वह समस्या जमीन की उपलब्धता को लेकर है। लघु एवं मध्यम उद्योगों को अपने निवेश का लगभग तीस प्रतिशत भूमि के ऊपर ही खर्च करना पड़ता है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भूमि आबंटन में चालीस प्रतिशत का अनुदान दिया जाए। अगर कोई निजी भूमि पर, औद्योगिक क्षेत्र से बाहर, लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उनको बिजली कनेक्शन बिना किसी चार्ज के दिए जाएं। बिजली के भारी भरकम बिल होते हैं, जिससे हमारे छोटे-छोटे उद्योग प्रभावित होते हैं। बिजली कटौती की समस्या सभी उद्यमियों के सामने रहती है।

इसी के साथ, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना सरकार लेकर आई थी, उसमें ब्याज छूट की बात सरकार ने कही थी, अभी तक धरातल पर वह छूट कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वह छूट धरातल पर नहीं उतरी है। यह सब मेरे सामने आया था, जब मैंने पता किया।

सरकार रिप्स योजना 2019 लेकर आई थी जिसमें 50 परसेंट सब्सिडी की बात की गई थी, वह 50 परसेंट सब्सिडी भी नहीं दी गई। व्यापारियों ने झांसे में आकर उद्योग तो लगा लिए, लेकिन सब्सिडी उपलब्ध नहीं करवाई, इस पर भी विचार किया जाए। व्यापारियों पर दबाव बनाकर, प्रत्येक ज़िले में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक ज़िले के अन्दर एमओयू किये गये थे, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। इस पर भी विचार किया जाए।

(श्रीमती संतोष)

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी, जो कृषि प्रधान क्षेत्र है। एग्रीकल्चर बेस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसके अन्दर विशेष संशोधन लेकर आए। जैसे धागा मिल है, सरसों तेल है, काटन मिल, चना, दाल, कृषि से सम्बन्धित उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए क्योंकि मेरा जो अनूपगढ़ क्षेत्र है वह आज के समय में सबसे बड़ा काटन बेल्ट है और पूरे गंगानगर जिले में एक भी काटन की स्पिनिंग मिल नहीं है, तो अनूपगढ़ के अन्दर एक काटन स्पिनिंग मिल की स्थापना भी की जाये। जो हमारा रीको एरिया है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था सुचारु रूप से वहां पर भी होनी चाहिए तब ही उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हमारे क्षेत्र का काटन का जो कच्चा माल है वह सारा का सारा या तो भीलवाड़ा जाता है या पंजाब की तरफ जाता है, तो वहां पर उस क्षेत्र के विकास के लिए वहां पर काटन स्पिनिंग मिल की स्थापना की जाये ताकि वहां के जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिले और क्षेत्र में भी एक अच्छा कार्य हो। इसी के साथ उद्योग स्थापित करने के लिए जो सबसे बड़ी बात आती है वह भूमि की उपलब्धता, बिजली की समस्या और कुशल श्रमिक की बात आती है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए आप एक ऐसा कोई पैकेज लेकर आएं जिससे कि जो महिला उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन मिले। बेरोजगारी कम करने के लिए सबसे बड़ा साधन एक यह है कि हमारे जो छोटे-छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाये, जिससे हमारे राजस्थान के अन्दर जो बेरोजगारी की समस्या है, उसमें भी निजात मिलेगी।

इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि उद्योग के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, भूमि की समस्या है, उसका समाधान किया जाये। एन.ओ.सी. और जो इनके नियम हैं उसमें भी सरलीकरण किया जाये, क्योंकि एक इसमें यह समस्या आती है कि पैसा लगाने के लिए जो महिला उद्यमी है या हमारे एस.सी., एस.टी. के जो उद्यमी हैं उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाये, क्योंकि कहीं भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसको भी इसमें शामिल किया जाये।

इसी के साथ युवाओं को उद्योग और व्यवसाय की जरूरतों के अनुरूप कौशलयुक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। औद्योगिक इकाइयों को, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 आप लेकर आये और इस विधेयक में, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि भादरा में रीको का बोर्ड तो लगा है, उससे पहले कभी रीको का बोर्ड ही नहीं लगा था, लेकिन मेरी यह मांग है कि उसको विकसित करने का काम सरकार करे और तुरंत प्रभाव से उसको विकसित करे। उसकी सारी की सारी प्लानिंग करके इसी साल उसको विकसित करवाये।

नम्बर दो बात, हनुमानगढ़ टाउन में जो रीको क्षेत्र है मैं आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर दस-बारह साल पहले रीको का बोर्ड लगा और उसके बाद बाकायदा आदेश हुआ। आदेश होने के बाद वहां पर एक माइनर निकल गया, क्षेत्र के किसानों ने जमीन नहीं दी। माइनर के बाद 754-K नेशनल हाईवे भी निकल गया। अब 754-K निकलने के बाद आपके रीको क्षेत्र में दो दिक्कत हो गयीं। एक तो वे किसान जो रीको को जमीन, पहले भी वे अवार्ड ज्यादा लेना चाहते थे, लेकिन उसके बाद फिर माइनर निकल गया तो माइनर निकलने के बाद 754-K निकल गया, तो मेरा यह निवेदन है कि किसानों को 754-K के हिसाब से मुआवजा दिया जाये ताकि उसके पास वाले किसान को मुआवजा ज्यादा नहीं मिले और दूसरे किसान को कम नहीं मिले। वहां पर भी अगर आप, अब 13 साल में कोई वजूद तो बचा नहीं रीको का, रीको ने काम ही नहीं किया और अगर आप उसको वापस भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, जगह दूसरी आइडेंटिफाई करो और वापस नहीं भी लो तो वहां पर जो किसान रीको में आये हुए हैं उनको आप पर्याप्त मुआवजा 754-K के अनुसार दें।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में दूध का बहुत बड़ा काम है और मुख्यमंत्री दुग्ध सम्बल योजना से किसान को फायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मध्यम व्यापारी हैं, जो मध्यम दूध के उद्योग हैं, जिन लोगों ने केन्द्र सरकार से सब्सिडी लेकर अपने उद्योग

(श्री बलवान पूनियां)

लगा रखे हैं वे आज पार्टिसिपेट सरकार के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको जो दूध लोग देते थे, उनकी इंडस्ट्री खतरे में है। एक तरफ आप मध्यम व्यापारी को मजबूत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वे फेल हो जायेंगे तो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मुख्यमंत्री दुग्ध सम्बल योजना से उनको भी जोड़ा जाये ताकि उनके उद्योग भी आगे चलें और मैं जो मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव था, उसको वापस लेता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल। एक मिनट, मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: हां, आप बतायें।

सूचना

सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाने से स्थानीय रोष

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सूरतगढ़ शहर पिछले दो दिनों से पूर्णतया

(श्री रामप्रताप कासनियां)

बंद है और यह जो जिलों की घोषणा की है, सूरतगढ़ हर दृष्टि से जिला बनने के लायक था, सरकार ने सिर्फ भेदभावपूर्ण तरीके से रामलुभाया कमेटी के अन्दर, वह सारे नोर्म्स जिला बनने की पूरा कर रहा है।

श्री सभापति: विराजिये। आपने सरकार के संज्ञान में ला दिया, अब आप विराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैंने चार वर्ष में लगातार (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये। श्री राजेन्द्र राठौड़। माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य विराजिये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक, 2023 के माध्यम से सरकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 में उप धारा (1) में सेक्शन (d) के बाद एक नया सेक्शन (e) इन्सर्ट कर रही है और यह नया सब सेक्शन 39 (1) (e) क्या है? मैं यह समझता हूं कि कई माननीय सदस्य यह सोचेंगे कि यह छोटा-सा संशोधन है।

जब से माननीय मंत्रीजी ने यह काम सम्भाला है, संस्थागत रूप से, वैधानिक रूप से इस प्रकार का कृत्य ये करते आये हैं कि सारी शक्तियां अपने पास केंद्रित करने का काम, मंत्री महोदय, लगातार आप कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर दोहरे मापदंड हैं। हम सब जानते हैं कि 73वें, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तता की बात उस समय, तत्समय की गयी थी और आज हालात क्या हैं? यह जो राजस्थान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नगरपालिका अधिनियम, 2009 है इसके प्रावधान, इसके दोहरे मापदंड, अगर मंत्री महोदय की आंख में किरकिरी कोई बन जाये और विशेष तौर पर प्रतिपक्ष के कोई सभापति और प्रतिपक्ष के कोई पार्षद तो इसी अधिनियम 2009 की धारा 39, उसमें धारा 24 और धारा 21 का बहाना बनाकर आप तुरंत निलम्बित करने का काम करते हैं। आज राजस्थान के अन्दर जिन सभापतियों को जनता ने चुना, डेढ़ दर्जन सभापति आज माननीय मंत्री महोदय की कलम के शिकार हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन लेकर आये हैं 39 (1) (e) में उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

'कि उसके निर्वाचन के पश्चात्, राज्य सरकार की जानकारी में यह आया है कि निर्वाचन की तारीख को वह, इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु धारा 21 के अधीन अर्हित नहीं था या धारा 14 या धारा 24 के अधीन निरर्हित था, और नगरपालिका के सदस्य के रूप में उसका निर्वाचन किसी निर्वाचन याचिका द्वारा प्रश्नगत नहीं किया गया है और निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा काल का अवसान हो गया है।'

यानी, एक ओर, माननीय सभापति महोदय, सिर्फ कोई प्रोग्रेसिव संशोधन होता तो मैं भी स्वागत करता। सिर्फ और सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों को चुन-चुनकर किस प्रकार अपदस्थ करें और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि, मंत्री महोदय, यह राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (1) के खंड (c) की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा:

'कोई सदस्य अपने निर्वाचन के पश्चात् राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 14, धारा 24 में वर्णित प्रावधानों के अधीन अयोग्य हो जाता है या धारा 21 के प्रावधानों की पालना पूरी नहीं करता है, उसे उक्त आधार पर हटाया जा सकता है।'

माननीय सभापति महोदय, जो प्रावधान पहले से हैं उन प्रावधानों पर एक और सेक्शन 39 सब सेक्शन (1) के (d) के बाद (e) और इन्सर्ट करके, यह एक हास्यास्पद संशोधन है, जिसको आज नहीं तो कल जब विधिवेत्ताओं के सामने यह जायेगा तो मजाक उड़ेगी।

आपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में क्या कहा? आपने कहा कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(समय: 15.00 बजे)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39(1) (ई) के संशोधन इसलिए हैं कि नामांकन के समय अगर कोई अभ्यर्थी नगरपालिका अधिनियम, 2009 के सेक्शन 14, 21 और 24 के प्रावधानों की अवहेलना करता है, तथ्य छिपाता है तो और आप सेक्शन "ई" के अन्दर हटाने का प्रावधान लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिन सेक्शन की चर्चा मंत्री महोदय ने की, मैं सदन का ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। जिन सेक्शन 14, 21 और 24 का उल्लेख करते हुए प्रावधानों के विपरीत जाने पर किसी चुने हुए सदस्य को हटाने का प्रावधान लेकर मंत्री महोदय लेकर आ रहे हैं, मंत्री महोदय, आपको ध्यान है, यह जो सेक्शन 14 है यह किसी व्यक्ति का किसी वार्ड के निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। हम सबको मालूम है कि अगर वह भारत का नागरिक नहीं है, अगर वह विकृत है और अगर उसे सक्षम न्यायालय ने उसे पागल घोषित कर दिया या वह निर्वाचन के सम्बन्ध में भ्रष्ट आचरण या अन्य अपराधों का दोषी हुआ या सेक्शन 14(2) के अन्दर उसका नाम कट गया तो उसका नाम इस नामावली में नहीं आ सकता। सेक्शन 24 के अन्दर पीपल रिप्रजेंटेशन एक्ट के अन्दर जो 19 डिस्क्वालिफिकेशंस दी गयी हैं, उनके आधार पर मुख्य रूप से सक्षम न्यायालय द्वारा छह महीने से ज्यादा सज़ा होने पर हटाने का प्रावधान है। सेक्शन 21 में प्रावधान है कि कोई रिजर्व सीट है, उस सीट पर उस कैटेगरी के अलावा दूसरा व्यक्ति यदि लड़ लेता है तो उसको हटाने का प्रावधान है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री महोदय, आपको मालूम है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 है, इसकी धारा 21 में इलेक्शन पिटिशन का प्रावधान है। उसमें यह लिखा हुआ है कि निर्वाचन की तिथि को निर्वाचित उम्मीदवार किसी सीट पर चुने जाने योग्य नहीं था, योग्य नहीं था लेकिन चुना गया और उम्मीदवार को उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसकी सम्मति से भ्रष्ट आचरण किया धारा 29 के अन्तर्गत, प्रेसाइडिंग आफिसर अनुचित तौर पर खारिज कर देता है या परिणाम अनुचित तौर पर प्रभावित करता है या याचिकाकर्ता के उम्मीदवार का विधि मान्य मतों का बहुमत प्राप्त हुआ है उसके बाद भी नहीं करता है तो उसको इलेक्शन पिटिशन डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर के न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। यह अधिकार सुरक्षित है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय, आप जरा मुलाहिजा फरमायें। उद्देश्य और कारणों का कथन आपने अगर पढ़ा होता तो शायद इस पर आप खुद ही सवाल करते क्योंकि आप विधि मंत्री भी हैं। इसमें लिखा है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के सेक्शन 14, 21 और 24 के प्रावधानों को पूरा नहीं करने वाला उम्मीदवार धारा 21 में जिला सत्र न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करके हटाया जा सकता है। मैंने इसको पूरा पढ़ा। मैंने धारा 31 आपको पढ़ कर बतायी। इस धारा के अन्दर वह बातें तो लिखी हैं लेकिन सेक्शन 14, 21 और 24 का कहीं प्रावधान नहीं है। I may be wrong; I want to be wrong. हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के उपखण्ड 1 में नया जो जोड़ रहे हैं। मैं सदन का ध्यान फिर 39 की उपधारा (1) में जो (सी) है, जिसको (ग) लिखा है, उसमें लिखा है कि उसने अपने निर्वाचन के पश्चात् धारा 14, 24 में वर्णित योग्यताओं के आधार पर पूर्ण नहीं की है और धारा 21 की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता तो उसको हटाया जा सकता है। अगर आपको इसमें नामांकन की बात लानी थी तो एक अमेंडमेंट उसमें ले जाते। काहे को इतना बड़ा अमेंडमेंट लेकर आये हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं इस प्रकार का अमेंडमेंट जब आता है निश्चित तौर पर मैजोरिटी है और आप प्रभावशाली भी हो, आपसे लोगों का काम भी पड़ता है। आपका जब काम नहीं होता तो शांति की जगह आप क्या-क्या पैदा कर देते हो, उस बात का जिक्र नहीं करूंगा। आपके प्रभाव को पूरे राजस्थान ने देखा है। जो आदमी अपने दूतों को वापस भेज दे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल मत करो, मंत्री महोदय।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 39 की उपधारा 1 (सी) में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि, incurred disqualifications तो सारी बात इसमें साफ आ ही गयी, incurred disqualifications, धारा 14, 21 और 24 ये सारी धारा आ गयीं। आप इसको लेकर क्यों आये हैं? यह मेरी समझ से परे है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 39(3) है और इसमें खण्ड (सी) और (डी) है। इसके अन्दर किसी को हटाना है तो उसका आप प्रस्ताव बनायेंगे। प्रस्ताव बनाकर उसको चार्जशीट देंगे और उसको सस्पैण्ड करेंगे। फिर आप जुडिशियल इन्क्वायरी दे देंगे। जुडिशियल इन्क्वायरी का हश्र वही होगा जो जयपुर ग्रेटर में मेयर के साथ आपने किया। मतलब आप इन प्रावधानों को तोड़-मरोड़ कर किस प्रकार बेजा इस्तेमाल करना चाहते हैं?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा, आपने सारी धाराओं का इस्तेमाल जयपुर ग्रेटर में मेयर के मामले में किया और उल्टे बांस बरेली का लौटे या नहीं लौटे? उच्च न्यायालय ने इनकी दलील को खारिज किया। वह आज कुर्सी पर है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को नहीं माना। मैं समझता हूं कि अगर हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, मंत्री महोदय, कभी आप उधर हैं और कभी हम इधर हैं, ये लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, इनके अन्दर लोकतंत्र की आत्मा बसती है। जनता ने वार्ड के अन्दर पार्षद को चुना। पार्षद ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए चेयरमैन को चुना और अचानक आप हटा देते हो, तो निश्चित तौर पर आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप जो धारा 39(ए) खण्ड (ई) में संशोधन के माध्यम से आरोप पत्र जारी करेंगे, मंत्री महोदय, इसके अन्दर जो न्यायिक जांच का प्रावधान है, उसमें एक संशोधन करना शायद भूल गये। धारा 39(1) (सी) में प्रावधान किया है लेकिन धारा 39(1) (ई) में जो नया इन्सर्ट कर रहे हो, शायद इसके अन्दर पर न्यायिक जांच की परिधि से बचना चाहते हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने नामांकन पत्र में बात कही है, rare to rarest होता है। नामांकन पत्र में कोई भी प्रत्याशी किसी बात को छिपाता है, नामांकन पत्र की स्क्रूटनी होती है। निर्वाचन अधिकारी के पास अधिकार है। उसको स्क्रूटनी के लिए 24 घंटे का समय दिया ही इसलिए जाता है। पिछले दरवाजे से लोकतंत्र की आत्मा को कुचल कर नामांकन के लिए जो निर्वाचन अधिकारी है, उसके अधिकार भी आप लेना चाहते हो।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 15 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें साफ लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने इलेक्टोरल में निर्वाचन नामावली के बारे में गलत जानकारी देगा तो उसको एक वर्ष की सज़ा और दो से पांच हजार रुपये का जुर्माना है। मैं समझता हूं, निश्चित तौर पर आपको इसके बारे में सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 6 क्या कहती है? आप तो खुद वकील हैं। "Notwithstanding the foregoing provisions of this section, the State Government may place under suspension a member against whom proceedings have been commenced under this section until the conclusion of

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

the inquiry and the passing of the final order and the member so suspended shall not be entitled to take part in any proceedings of the Municipality or otherwise perform the duties of a member thereof." आपने सस्पैण्ड कर दिया। उसका अधिकार खतम हो गया। वह नगरपालिका के अन्दर कोई काम नहीं कर पायेगा। उसके बाद धारा 39 (7) क्या कहती है- "Every final order of the State Government passed under this section shall be published in the Official Gazette and shall be final and no such order shall be liable to be called in question in any court." मैं समझता हूं जब इस प्रकार के सख्त प्रावधान पहले से हैं तो आप इस प्रकार का काम क्यों कर रहे हो? मैंने मेरी बात को प्रारम्भ किया। मुझे मालूम है इसलिए मैं कोई लम्बी बात नहीं कहूंगा क्योंकि पौने चार बजे मंत्री महोदय को हमें सुनना है। मंत्री महोदय की वही लच्छेदार बातें होंगी। मंत्री महोदय, कुछ तो देखो आप। हम किस प्रकार की परम्परा और मान्यताओं को करके जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक मामला दृष्टांत के रूप में बताना चाहता हूं। मेरे पास नौ मामले हैं पर एक मामला दृष्टांत के रूप में, आसन पर आप बिराजे हैं इसलिए आपके जिले का मामला आपके ध्यान में लाना चाहूंगा।

सभापतियों को, पर यह रींगस नगरपालिका के अध्यक्ष अशोक कुमार कुमावत, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया। माननीय सभापति महोदय, 17.11.1995 को तीन संतानें थीं, शिकायत हुई। नगरपालिका अधिनियम, 2009 के सेक्शन 24(17) के अनुसार अर्हता नहीं रखता था। शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग के पास हुई तो उन्होंने उपखण्ड अधिकारी को उसका जांच अधिकारी बनाया और जांच के बाद नोटिस देकर सारी चीजें तलब करने के बाद 02 मार्च, 2022 को यह जांच से प्रमाणित हो गया कि रींगस नगरपालिका अध्यक्ष के तीन संतान होना प्रमाणित हो गया और उसके बाद 09 मार्च, 2022 को जिला निर्वाचन अधिकारी ने सरकार को लिखा कि इनको अपदस्थ करो। इनकी जगह पर हरिशंकर को विजयी घोषित कर दिया। मंत्री महोदय पूरी फाइल पर विराज गये और ऐसे विराजे, और उधर से जब यह नहीं हुआ तो नगरपालिका अधिनियम, 2019 के सब-सेक्शन 31 में कोर्ट में इलेक्शन पिटिशन हुई और जिला सत्र न्यायाधीश, सीकर ने 27.07.2022 को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रींगस के चेयरमैन के इलेक्शन को नल एण्ड वाइड कर दिया। अपदस्थ कर उन्होंने कहा कि हरिशंकर, जो दूसरा था वादी, इसको विजयी घोषित किया जाये। आज तक आपने हरिशंकर को चार्ज नहीं दिया। मैं आरोप लगा रहा हूं कि आपके पट्टा अभियान में रींगस नगरपालिका में जीरो, क्या मोह है व्यक्तियों से? यह कानून राजस्थान की विधान सभा, लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में आप और हम मिलकर बनाते हैं। आप मैजोरिटी में हो इसलिए कानून पारित हो जायेगा पर इस कानून के पीछे हेतु क्या है? जब आपका आचरण ऐसा है, जयपुर ग्रेटर के मामले में आपने देख लिया, मतलब एक छोटे से मामले के अंदर मेयर को अपदस्थ करते हैं।

मंत्री महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं कि आग से मत खेलो। यह सत्ता बदलती रहती है। आप और मैं दोनों पक्ष और विपक्ष में दोनों में, अलग-अलग समय में हम भी उधर रहे, आप भी इधर विराजे। अपन एक-दूसरे को जानते हैं। मैं आपका मित्र हूं इसलिये कहना चाहता हूं कि विकास पुरुष बनो, यह बात तो ठीक है। चूरू नगर परिषद् का पैसा, 32 करोड़ रुपये आप इसलिये लेकर जाओ अपने कोटा के अंदर, अपनी वाहवाही करने के लिए पैसा लेकर जाओ और एक नहीं कई जगह का लेकर जाओ। चूंकि आप वहां के हैं इसलिये ठीक है, पर यह मत करो। शान्तीजी, आपके नाम पर राजस्थान की नगरपालिका क्षेत्र में अशांति, अशांति फैली हुई है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है कि इसको जनमत के लिए जारी किया जाये और जब जनमत के लिए जनता में जायेगा तो आपके खिलाफ इतने मत आयेंगे कि आप खुद ही कह दोगे कि मुझसे गलती हो गयी। अपनी गलती को सुधारो और इसको वापस लो। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री फूल सिंह मीणा (अनुपस्थित)। श्री कालूराम। श्री अविनाश। श्री कालूराम जी, आप बोल रहे हैं क्या?

श्री कालूराम (डग): मेरा नाम तो लघु, सूक्ष्म वाले में था, उसमें आपने नाम ही नहीं पुकारा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 पर आपने जो संशोधन किया, उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको सरकार अपने चहेते को रखने का जरूर काम करेगी। नगरपालिका में आपने जो संशोधन किया है, जो पहले संशोधन था उसमें क्या कमी आ गयी? इसमें आपको संशोधन करने की क्या जरूरत आ पड़ी?

(श्री कालूराम)

जिस प्रकार से आदमी चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के टाइम पर वह अपनी नगरपालिका हो या पंचायती राज हो, जो भी अपने घोषणा पत्र में लिखता है, अगर उसमें कोई गलती है तो उसी टाइम में 24 घंटे के अंदर उसका फार्म रिजेक्ट हो जाता है और अगर उसमें और कोई कमी रहती है, मान लो उसके तीसरी संतान है, चुनाव से पहले की तीसरी संतान है, तो उसको कोर्ट सुनती है। अगर चुनाव के बाद तीसरी संतान का मैटर आता है, या उसने कोई तथ्य छिपाया है, तो उसमें कमिश्नर को पावर रहता है। कमिश्नर तक उसको हटा सकते हैं। बाकी आप यह नये संशोधन लाये हैं, इसमें राज्य सरकार अपने हाथ में हटाने का काम धारा 39 (क) में नया नियम लाये हैं, उसने ऐसे सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का किसी भी रीति से अन्यथा दुरुपयोग किया, परन्तु हटाये जाने का कोई आदेश, राज्य सरकार द्वारा, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, जिसे या तो वह स्वयं करे या किसी ऐसे विद्यमान या सेवानिवृत्त अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर आप उसको हटाने का काम करेंगे। आप जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे और आप जिसको नहीं चाहेंगे उसको हटाने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज भी यही हो रहा है कि कोई भी नगरपालिका का आपका सभापति है या सदस्य है, अगर उसने कोई गलत तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ लिया है और उसकी फाइल आपके यहां चलती है तो आपका सदस्य तो वह लगातार चलता रहेगा और कोई आपका विरोधी है तो तुरंत हटाने का काम करेंगे। इस धारा के अन्तर्गत भी यही होगा कि जो आपके चहेते हैं, उन लोगों को आप पद पर बनाये रखने का काम करेंगे और अपने विपक्ष के लोग हैं, उनको तुरंत उससे बाहर हटाने का काम आप करने के लिए यह बिल लाये हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह धारा उन चुनाव लड़ने वाले सदस्यों के लिए, पार्षदों के लिए बिलकुल गलत है और जो भी सभापति इस पद पर रहेगा, उसको हटाने के लिए आप यह जो धारा लेकर आये हैं, या आप जो संशोधन लेकर आये हैं, इसको वापस लें, क्योंकि इसमें नगरपालिका के सदस्यों का कोई हित नहीं है। जिस प्रकार से जो पुरानी धाराएं थीं, उनको समाप्त करके आप नई धारा बनाकर लाये हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए 3 महीने या 6 महीने के लिए परिचालित किया जाये। इस बिल को वापस जनता के बीच में जनमत जानने के लिए भेजा जाये।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 लाया गया है। सरकार द्वारा छोटा-छोटा संशोधन लाया जाता है। इस बिल के लिए जब संशोधन करना है तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर इसमें और भी क्या संशोधन कर सकते हैं और उसको पूरा लाकर उसमें सुधार कर सकते हैं तो वास्तव में और भी कारगर साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, यह एक्ट इसलिये लाना पड़ा क्योंकि पंचायती राज एक्ट में यह संशोधन पहले ही हो चुका है। माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज, कोआपरेटिव व नगरपालिका एक्ट, तीनों ही एक दूसरे की कापी करते हैं। माननीय सभापति महोदय, कोऑपरेटिव में विधायक, मंत्री भी चेयरमैन हो सकते हैं। उसमें अलग से छूट दी गयी है। फिर नगरपालिका, पंचायती राज एक्ट में भी यही छूट लानी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, सरकार यह बिल पास करने के बाद जो-जो पार्षद मनोनीत किये गये हैं, क्या यह सरकार इस संशोधन के बाद में कोई पार्षद इस संशोधन को फोलो नहीं कर रहा है तो क्या उनको आप हटाकर दूसरा पार्षद मनोनीत करेंगे क्या?

माननीय सभापति महोदय, ऐसे छोटे-छोटे संशोधनों के लिए नगरपालिका या नगर परिषद्, वास्तव में इसके अंदर यह बिल लाने के लिए ऐसा बड़ा काम नहीं है। छोटे से संशोधन के लिए विधान सभा का समय भी जाया किया और छोटे से बिल को लाये। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा चल रही है। माननीय सभापति महोदय, सरकार यह जो संशोधन लेकर आयी है, नोमिनेट सदस्यों के लिए, यह तो ठीक है, पर अगर संशोधन ही लाना था तो नगरपालिका के अंदर कोई सुधार करने की व्यवस्था का संशोधन लाना चाहिये था।

सभापति महोदय, आज नगरपालिका में जितना भी निर्माण कार्य होता

(श्री रामप्रताप कासनियां)

है, उसकी गुणवत्ता बिलकुल ही नहीं है। सरकार को कोई ऐसा संशोधन लाना चाहिए कि निर्माण कार्य होने के 5 वर्ष तक उसकी एक चिटक भी नहीं उतरे। इस तरह का कोई संशोधन लाना चाहिए था। नगरपालिका के अंदर हालात बड़े विचित्र हैं। पूरे राजस्थान के अंदर न तो किसी सफाई व्यवस्था का ध्यान है, न कोई निर्माण कार्य की तरफ ध्यान है।

सभापति महोदय, यह जो सीवरेज है, मैं यह नहीं कहता इस राज की, उस राज की, किसी भी राज में सीवरेज की जो योजना बनाई गई है, एक भी शहर के अंदर सीवरेज योजना कामयाब नहीं है। इसके बारे में कोई आपको संशोधन करना चाहिए। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अरबों रुपये खर्च होने के बावजूद भी कोई परिणाम नहीं है। उलटा पेयजल के अंदर सीवरेज का पानी सम्मिलित करने का काम राजस्थान के अंदर हुआ है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते हुए सरकार सीवरेज स्कीम की तरफ ध्यान दे। शहरों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। पेयजल के अंदर गटर का पानी मिल रहा है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, वैसे तो किसी भी नगरपालिका में नोमिनेशन के टाइम पार्षद जो अपना एफिडेविट देता है, उसमें सारी सूचनाएं आ जाती हैं। उसके बाद अगर उसमें किसी प्रकार की लापरवाही होती है, गलत सूचनाएं अगर होती हैं तो उसके बाद में सरकार उसको हटाने के लिए प्रावधान लेकर आयी है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें यह कहा गया है कि हटाये जाने का कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक

(श्री अविनाश)

समझे, जिसे वह या तो स्वयं करे या किसी ऐसे विद्‌यमान एवं सेवानिवृत्त अधिकारी से जो राज्य स्तरीय सेवा की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे प्राधिकारी से जिसका वह निर्देश देकर करवाये। संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर दे दिये जाने के पश्चात् पारित कर दिया जा सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाने के लिए राज्य सरकार एक कमेटी का गठन करेगी जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी होंगे या रिटायर्ड अधिकारी होंगे, उनके मार्फत जांच कराने के बाद में उसके ऊपर कार्यवाही होगी। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि इससे पहले भी कई ऐसे प्रकरण हुए जिसमें किसी नगरपालिका में, चाहे वह चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ जांच हो, या किसी अनियमितता की जांच हो या भ्रष्टाचार की जांच हो, किसी भी प्रकार की जांच में वही आपके राजकीय कर्मचारी होते हैं, लेकिन हमने कई बार देखा कि सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है, नगरपालिका का कार्यकाल पूरा हो जाता है लेकिन वह जांच पूरी नहीं होती है। यह डीएलबी के बारे में कहना क्या है, दे-लेकर भागो। पैसा दिया, काम खतम। चाहे वह गलत है, चाहे सही है। वह सारा काम डीएलबी के माध्यम से हो जाता है। माननीय मंत्री महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा राजस्थान इस विभाग की कार्यशैली के बारे में जानता है। आपके विभाग का छोटे से छोटा बाबू, मैं चुनौती के साथ में कह सकता हूं कि, मंत्री महोदय, आज की तारीख में आपसे नहीं डरता।

माननीय मंत्री महोदय, मैं दावे के साथ में इस बात के लिए भी निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसा प्रावधान करें कि यह जो अधिकारी, कर्मचारी जांच करते हैं, उसकी एक निश्चित समय सीमा हो। निश्चित समय सीमा के बाद उसकी जांच रिपोर्ट आये और जांच रिपोर्ट के बाद उस पर कार्यवाही हो।

मैं समझता हूं कि पार्षद विकास की सबसे प्रथम कड़ी है। सबसे नीचे वाली कड़ी कोई होती है तो वह पार्षद होता है। अभी कुछ दिन पहले माननीय अध्यक्ष महोदय ठीक कह रहे थे कि चाहे वह ग्राम पंचायत का वार्ड मेम्बर हो, चाहे नगरपालिका का पार्षद हो, यह विकास की प्रथम कड़ी है। चाहे वह केन्द्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उनको अमलीजामा पहनाने का काम यह पार्षद ही करते हैं। इन पार्षदों के माध्यम से चाहे

(श्री अविनाश)

स्वायत्त शासन विभाग का भी आप प्रशासन शहरों के संग अभियान चला रहे हैं, इसमें पट्टे देने का काम आपने किया। पट्टे में आपने कीमत रखी 500 रुपये। मैं इस बात का स्वागत करता हूं लेकिन अगर वही पट्टे की कीमत 500 रुपये से बढ़कर 5 लाख हो जाये, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे?

जहां छोटी-छोटी नगरपालिकाओं के अंदर पट्टे बनाने के लिए 500 रुपये में आप देते हैं, लेकिन उसकी कीमत 500 से बढ़कर कभी लाख हो जाती है, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख रुपये तक बढ़ जाती है। जो ले-आउट है, उसमें 90 (ए) करने के लिए, पट्टे देने के लिए जो प्रक्रिया है, उसमें शामिल करने के लिए एक बीघा की कीमत लगभग 5-5 लाख रुपया हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, आपने 500 रुपया तो कर दिया लेकिन नगरपालिकाओं की इनकम खतम हो गयी। आज अगर नगरपालिका विकास का काम करवाना चाहे तो वह पैसे कहां से लेकर आयेगी? जिस नगरपालिका के पास निजी इनकम नहीं होगी, वह अपना विकास काम कैसे करायेंगे?

माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह संशोधन तो आप लेकर आये, वह तो ठीक है, लेकिन जो यह राजकीय कर्मचारी हैं, जिनकी आपने कमेटी बैठाई है, उसके ऊपर एक स्पष्ट निर्देश इस बात का जारी करें कि वह एक निश्चित समय सीमा के अंदर उस प्रकरण की जांच करे और जांच के बाद वह रिपोर्ट दे। माननीय मंत्री महोदय, होता क्या है कि यदि कोई भी प्रकरण ऐसा आता है तो आप विभाग से कार्यवाही कर देते हैं, चाहे वह सही हो या गलत हो। कार्यवाही हो जाती है लेकिन जब कोर्ट में सामने वाला पक्ष जाता है तो विभाग की कमजोर पैरवी के कारण अधिकांश मामलों में स्टे आ जाता है। आप एक ईओ का ट्रांसफर करते हैं, 3 दिन बाद में वह ईओ स्टे लेकर आ जाता है। लेकिन विभाग की किरकिरी कैसे होती है, कोर्ट के अंदर जो अपने अधिकारी हैं, जो अधिवक्तागण हैं, जो अपने विभाग की तरफ से हैं, वह पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा मानना ऐसा है कि इस प्रकार का एक स्पष्ट आदेश जारी करें ताकि यह जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान भी बरकरार रह जाये लेकिन जो गलती करते हैं उनके खिलाफ सज़ा का प्रावधान भी हो। उनकी जांच रिपोर्ट एक निश्चित समय सीमा के अंदर आ जाये, ऐसा निवेदन करता हूं।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम बात को कहते हुए मेरी बात को खतम करूंगा कि कोई भी सरकार हो, कोई भी विभाग हो, योजनाएं बड़ी अच्छी लाता है। उन योजनाओं की क्रियान्विति का काम सरकार का होता है, विभाग का होता है।

अभी जो कासनियां जी बता रहे थे कि सीवरेज का काम, मेरी विधान सभा में 47 करोड़ का सीवरेज का काम था, बहुत अच्छी योजना थी, जहां लोगों को सीवरेज का लाभ मिलना था, लेकिन कमजोर इच्छा शक्ति के कारण, जूनियर इंजीनियर की देखरेख के कारण जो काम हुआ था, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री महोदय, मैंने पहले भी विधान सभा में सवाल लगाया था, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक बार आप किसी उच्च स्तरीय टीम को यहां से भिजवा दें और जांच करवायें। उसके बाद में पता लगायें कि वाकई में जो 47 करोड़ का काम हुआ था, वह गुणवत्तापूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? डीपीआर के अनुसार हुआ कि नहीं हुआ?

हमें लोगों को सुविधा देने से मतलब था, लेकिन वह सुविधा, असुविधा में बदल गयी। पानी की पाइपलाइन के ऊपर डाल दिया। वाकई में आज गटर का पानी उस पानी की पाइपलाइन में मिक्स होता है। शहर के लोगों को उससे पानी पीना पड़ता है। आज सीवरेज के कारण गरीब लोगों के घर में दरार आ गयी। आज मैंने, आपके रैन-बसेरा के अंदर लोगों को रखा है लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, वह कितने दिन तक रहेंगे? क्या उसके ऊपर कोई विभाग कार्यवाही कर सकता है? मैंने उच्च अधिकारियों से इस बारे में निवेदन किया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए सीवरेज के काम की जांच करायें। बिना काम हुए अगर विभाग पैसा उठा लेता है या नगरपालिका के माध्यम से पैसे का भुगतान हो जाता है तो इससे बड़ी दुर्गति विभाग की और नहीं हो सकती। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपा करके जिनके खिलाफ कोई शिकायत है, कोई प्रकरण हैं, ईमानदारी से जांच करायें। यह सारे आपके अधीन ही कर्मचारी रहते हैं। जिसको भी आप लिखते हैं, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। कोई कार्यवाही नहीं होती है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल आप संशोधन का लेकर आये हैं, मैं इसको 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सरकार इस बिल के माध्यम से धारा 39 में संशोधन लेकर आयी है। 39(1) में (डी) के बाद (ई) का संशोधन लेकर आयी है। सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 का अधिनियम संख्या 7 में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया था, उसमें धारा 82 के अंदर यही शब्द जो संशोधन में इसमें प्रस्तुत किये हैं, वही उसमें थे। आज इस सदन में प्रस्तुत किया है। उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है।

उसी वक्त धारा 14 व 24 के तहत निरर्हता को छुपाने संबंधी कोई अपराध करता है तो उसी में रखा जा सकता था और इस सदन का कीमती समय जाया नहीं होता। धारा 35 के तहत किसी सदस्य द्वारा निरर्हता का उल्लेख किया हुआ है। निरर्हता की वजह से उस व्यक्ति को 6 वर्ष के लिए हटाया जा सकता है और चुनाव नहीं लड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है लेकिन 36 में उन्हीं निरर्हताओं की कालावधि को कम कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। आज जो संशोधन पेश किया है, उसके बजाय सरकार को चाहिए था कि आप 41 के अंदर, 39 की निरर्हताओं के कारण सदस्य की निर्योग्यता को कम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप 28, 28 और 35 की निरर्हताओं के तहत 36 में उसकी कालावधि को राज्य निर्वाचन आयोग क्यों कम कर रहा है और क्यों उसकी निरर्हताओं को हटा दिया जाता है या 6 वर्ष की बाउंडेशन को खतम कर दिया जाता है? जबकि निर्वाचन अपराध बिलकुल एक जैसे हैं, दोनों चीजें सेम हैं परन्तु उसकी कालावधि को कम कर दिया जाता है जबकि 41 में 39 के तहत हटाये गये, उनको कम नहीं किया जाता तो सरकार को इसके लिए भी संशोधन लेकर आना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धारा 13 के 5(ख) में यह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति नगरपालिका के किसी वार्ड का 'मामूली तौर पर निवासी हो', यह कैसी परिभाषा है, सभापतिजी, निवासी तो होता है लेकिन 'मामूली तौर पर निवासी', यह क्या शब्द है? इसके (क) में यह दिया हुआ है कि निरर्हता की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं हो। इस मामूली तौर के निवासी से इस धारा का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हुआ है। कोई भी व्यक्ति

(श्री बिहारीलाल)

15 दिन में पंचायत में नाम जुड़वा लेता है और ठीक 15 दिन बाद वही व्यक्ति नगरपालिका में नाम जुड़वा लेता है। 15 दिन पहले वो सरपंच का चुनाव लड़ता है, पंचायती राज का चुनाव लड़ता है, 15 दिन बाद नगरपालिका का चुनाव वह लड़ता है, इसका बहुत मिसयूज हुआ है इसमें संशोधन करके सख्त रूप से इसको बैन करें ताकि इसका मिसयूज न हो, सरकार इस पर संशोधन लेकर आये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जनमत जानने का प्रस्ताव परिचालित करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अधिनियम संख्या 18 की धारा 39 के संशोधन प्रस्ताव में सदस्यों को हटाये जाने की रीति में परिवर्तन किये जाने के लिए संशोधन प्रस्ताव लेकर आये हैं। इसमें नई धारा जोड़ी जा रही है कि अधिनियम की धारा 14 और 21 और 24 के अधीन डिस्क्वालीफाई करने की पावर है और प्रार्थी ने एक माह के समय में अपनी याचिका प्रस्तुत नहीं की तो उसको आप और समय देने का प्रावधान लेकर आये हैं। माननीय सभापति महोदय, ये छोटे-छोटे बिल लाकर निश्चित तौर पर सदन का समय जाया किया जा रहा है। इसी की जगह पर अगर नगरपालिका में जो सुधार के कार्य हैं, उन पर अगर कोई चर्चा की जाती, कोई प्रावधान लेकर आते तो ज्यादा अच्छा होता।

माननीय सभापति महोदय, सबको पता है कि राजस्थान के अंदर नगरपालिकाओं की क्या स्थिति है। नगरपालिकाओं को डवलप करने के लिए कोई बिल लेकर आते या नगरपालिकाओं के विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण हों, इस पर कोई बात रखी जाती तो और अच्छा होता। आज राजस्थान के अंदर ज्यादातर नगरपालिकाएं ऐसी हैं जहां पर सभी पद खाली हैं और कोई काम नहीं हो रहा है, तो इस पर अगर विचार किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। घटिया निर्माण की जो बात हम कर रहे हैं, सभी नगरपालिकाओं में यही स्थिति है। पूर्व सरकार द्वारा नगरपालिका बनाने की जो घोषणा की गई थी उस पर भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, उनको भी रोक दिया गया है।

(श्रीमती संतोष)

उस पर अगर कोई प्रावधान करते तो अच्छा होता। जैसे मेरे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के घड़साना में नगरपालिका की घोषणा की गई थी लेकिन उसको नहीं बनाया गया। इसी के साथ 40 हजार से ऊपर की जो जनसंख्या है, वहां पर नई नगरपालिका बनाने का प्रावधान लाते, जैसे मेरा क्षेत्र रावला और घड़साना के अंदर आता है तो और भी शायद अच्छा होता।

सबसे बड़ी बात, नगरपालिकाओं में गंदे पानी निकासी को लेकर समस्या है। सीवरेज की व्यवस्था को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, उसके समाधान के लिए अगर सदन में कोई बात रखी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। प्रशासन शहरों के संग में पट्टे दिए जा रहे हैं, कच्ची बस्ती के पट्टों को भी उसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए था क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका अनूपगढ़ के अंदर तीन से आठ और दस वार्ड नम्बर, पूरा का पूरा कच्ची बस्ती का क्षेत्र है, उनको पट्टे उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, तो इस प्रकार से नगरपालिकाओं के विकास की बात की जाती। नगरपालिका में निविदा के माध्यम से कार्यों को कई टुकड़ों में विभाजित करके शोर्ट टर्म, अल्प सूचना निविदा के माध्यम से काम करवाया जा रहा है जो कि नगरपालिका लेखा नियमों की अवहेलना है। अगर इस पर विचार किया जाता तो अच्छा होता।

नगरपालिका की सम्पत्ति का समय पर आडिट नहीं किया जा रहा है। ऐसी कई समस्याएं हैं जो नगरपालिका क्षेत्र को लेकर आ रही हैं, यदि उन पर विस्तार से बात होती, ऐसा कोई बिल लेकर आते जिससे उनमें सुधार हो सकता, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सकते, क्षेत्र के विकास के लिए कोई बात आती, नगरपालिकाओं में विकास की बात आती तो ज्यादा अच्छा होता। माननीय सभापति महोदय, निवेदन करूंगी कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। यह खेद का विषय है कि कानून 2009 में बनता है और 13-14 साल तक हमारे अधिकारियों को पता नहीं चला कि हमारे कानून में कितनी बड़ी खामी है। इस दौरान कई सरकारें भी बदलीं, तो फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है? मैं अपना संशोधन वापस लेने के साथ ही

(श्री गिरधारीलाल)

मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने इस तरह की खामियों पर ध्यान नहीं रखा, उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही का विधान लाया जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, धन्यवाद। यह संशोधन मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक आज जो पेश किया है, यह एक लाइन का विधेयक है और बहुत ही छोटा विधेयक है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जगह पर पार्षदों के अधिकार और वित्तीय अधिकार सम्बन्धी विधेयक आता तो शहरी निकायों का सुदृढ़ीकरण होता क्योंकि आपने उनकी शक्तियों का तो ख्याल ही नहीं रखा लेकिन उनको हटाने का जरूर ख्याल रखा। यह बहुत बड़ी विडम्बना है।

माननीय सभापति महोदय, आज हम जानते हैं कि कई पार्षद ऐसे हैं जो सभापति तो बन गये हैं, लेकिन उनके पति उसी नगरपालिका में काम करते हैं, इनके प्रति भी आप सोचते, इसके बारे में भी आप संशोधन लेकर आते तो इसमें भी काफी सुधार होता और वो मनमानी नहीं चलती। माननीय मंत्रीजी, आपको तो पता है कि मेरी अकलेरा नगरपालिका में क्या हाल है। आप स्वयं जानते हैं इस चीज को। मैंने भी कई बार आपसे निवेदन किया कि उसका ही पति, सभापति का पति वहां कार्यरत है, उसको नहीं हटाया जा रहा है। बार-बार उस नगरपालिका में भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंता हूं कि उक्त बिल राजस्थान में सरकार द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोंटने वाला बिल है। इस बिल के माध्यम से सरकार जनता द्वारा चुने गये जन-प्रतिनिधियों को पुराने कानून में समुचित प्रावधान होने के बावजूद भी नया कानून बनाकर जांच करवाकर पद से हटाने का अप्रत्यक्ष अधिकार अपने हाथों में लेना चाह रही है। मुझे सरकार की मंशा पर संदेह है कि सरकार जान बूझकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने वाले जन-प्रतिनिधियों पर दबाव बनाना चाह रही है। इस बात की क्या गारंटी है कि उक्त बिल के पश्चात् सरकार नेक

(श्री गोविन्द प्रसाद)

नीयत से काम करेगी? अपने चहेते अफसरों से जांच करवाकर अपनी मंशा के अनुरूप निर्णय करवाकर सरकार चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को हटाने का अमोघ हथियार अपने हाथ में लेना चाहती है जो सर्वथा अनुचित है।

मैं लोकतंत्र को कमजोर करने वाले इस बिल का विरोध करता हूं एवं सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर। (व्यवधान) श्री अशोक लाहोटी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक लाया जा रहा है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: क्या, बोल रहे हैं क्या मदन जी?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां।

श्री सभापति: यह पहला मौका है जब बोलने के लिए आप मना कर रहे हो। आप जैसा विद्वान यदि नहीं बोलेगा तो सदन आपके ज्ञान से वंचित रह जाएगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, जो यह विधेयक लाया जा रहा है, अपनी मंशा को पूर्ण करने के लिए और अपनी इच्छानुसार नगरपालिका को, नगर निगमों को चलाने के लिए लाया जा रहा है कि चाहे जब उनको हटाया जा सके, चाहे जब उनको दबा सके ताकि भ्रष्टाचार की गंगा की राशि है, वो ऊपर तक पहुंच सके। भ्रष्टाचारियों को पूरा संरक्षण देकर, उनको डरा धमकाकर कि आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा कर देंगे, ताकि हमारे जो जन-प्रतिनिधि हैं वो इससे डरे रहें। मैं समझता हूं कि यह घिनौना कृत्य है, इस प्रकार का कृत्य करने के लिए विधेयक लाना और इस सदन का उपयोग करना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और मैं इसको 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री सभापति: आप यदि नहीं बोलते तो सदन वंचित रह जाता इस ज्ञान से।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सदन का दुरुपयोग धारीवाल जी कर रहे हैं।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 आज हम लेकर आ रहे हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए इस विधेयक को हम लेकर आये हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 39 का संशोधन, अगर '(ड)' में हम लोग देखेंगे तो जहां तक मैंने भी दो दिन से इसका अध्ययन किया है और सभी पार्षदों, वकीलों से भी हमने बातचीत की, निश्चित तौर पर जहां तक मुझे लगता है, '(ड)' में "और निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा काल का अवसान हो गया है।" से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार परिसीमन काल के बाद ही कार्रवाई कर सकती है।

वह भी तब जब निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं की हो और साथ ही साथ, यदि न्यायालय में प्रस्तुत कर दी हो तो राज्य सरकार के अधिकार बिलकुल समाप्त हो जाएंगे, जबकि राज्य सरकार के अधिकार में निर्वाचन याचिका से कोई प्रभाव न पड़े और परिसीमा काल के अवसान आदि के स्थान पर "अधीन निरर्हित था" तक ही अगर हम संशोधन इसमें करते तो निश्चित तौर पर हमारा काम चल सकता था। माननीय सभापति महोदय, मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी, वैसे पूरी सरकार को आप चला रहे हैं, भले ही इस विभाग के आप मंत्री हों, लेकिन एक बार पार्षदों की इच्छा जानने का भी आप यदि प्रयास करते तो निश्चित तौर पर यह पार्षदों के ऊपर कलंक है। जब हमारे नियम, कायदे, कानून आपने पहले से बना रखे हैं, उसके बाद हम नियम में यह सब जोड़कर क्या कहीं न कहीं पार्षदों पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं? मेरा मानना है कि यह बिलकुल गलत है। अगर हमें संशोधन लाना था तो हम संशोधन लेकर आते, जैसा कि अभी रामलाल जी ने कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन उठाया था, मेरा इतनी बार बीओ चेंज किया, मैं भी आपको निवेदन करना चाहती हूं, बताना चाहती हूं सम्माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार नगरपालिकाएं हैं, चारों नगरपालिकाओं में, आखिर में क्या कारण है, क्यों नहीं हम नियम बना रहे हैं, इस विधेयक के साथ क्यों नहीं नियम लेकर आ रहे कि हम साल-भर में, दो साल में एक बार ईओ का ट्रांसफर करेंगे। आप बार-बार ईओ का ट्रांसफर कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आज पार्षद किसी भी तरह के थोड़े-से भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो लाखेरी में, कापरेन में, केशोरायपाटन में

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

लगातार चेयरमैन और ईओ के द्वारा मुकदमे दर्ज करवाये जा रहे हैं। ऐसा अगर हम नियम बनाकर विधेयक लेकर आते तो निश्चित तौर पर राजस्थान के निकायों में हमें और हमारे पार्षदों को अच्छा काम करने का मौका मिलता। विधेयक के साथ इस नियम को भी जोड़ते कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाएंगे। आज लाखेरी, पाटन और कापरेन की नगरपालिकाओं की बात बताती हूं। आप देखिये, बिना टेंडर के काम हो रहे हैं। सीसी सड़क पर सीसी सड़क बन रही है। डेढ़ करोड़ रुपये की एफडी अभी इसी महीने में, हमारी लाखेरी नगरपालिका का जो अपना खुद का निजी आय का पैसा था, उसे खुर्द-बुर्द कर दिया गया मात्र कर्मचारियों की पेमेंट के लिए।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हम आनन-फानन में निकायों की स्वायत्तता को समाप्त करने के लिए विधेयक नहीं लेकर आएं। सम्माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ साहब अभी बोल रहे थे, किस तरह से हमारे जयपुर (ग्रेटर) मेयर को लगातार टार्चर करते हुए हटाने का काम किया गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया। आज आप अधिकारी को पावर दे रहे हैं। आप जो यह विधेयक लेकर आये हैं, इसमें जो आप संशोधन कर रहे हैं, "39. सदस्यों का हटाया जाना - (1) राज्य सरकार, उप-धारा (3) और (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए नगरपालिका के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकेगी", यह तो आपके पहले भी था।

"परन्तु हटाये जाने का कोई आदेश, राज्य सरकार द्वारा, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और जिसे वह या तो स्वयं करे या किसी ऐसे विद्यमान या सेवानिवृत्त अधिकारी से, जो राज्य स्तरीय सेवा की रैंक से नीचे का न हो, या ऐसे प्राधिकारी से, जिसका वह निदेश दे, करवाये, और सम्बधित सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर दे दिये जाने के पश्चात्, पारित किया जायेगा।" सभापति महोदय, मैं कहूंगी कि हम अधिकारी पर विश्वास करें, मैं इस बात का आब्जेक्शन नहीं कर रही, लेकिन हम किसी अधिकारी के हाथ में शक्ति को सौंप दें, निश्चित तौर पर हमारे निकायों का यह हनन है।

आज मैं चाहूं कि कोटा में पार्षद् किसी भी तरह की आवाज न उठाएं आज हम देख रहे हैं, आज अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, मेरे मकान के आस-पास देख लें, नदी-नालों को बेच दिया, होटलें बन गयीं। ये हालात हो रहे हैं, तो हम पार्षदों की पावर को कम करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगी कि इस विधेयक को छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों के द्वारा इस संशोधन बिल पर अपने-अपने विचार रखे गये, लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि वस्तुस्थिति पर न बोलते हुए कोई तो सीवरेज पर बोल रहा है कोई पाइपलाइन पर बोल रहा है, कोई भ्रष्टाचार पर बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। एक लाइन का प्रस्ताव है कुल-मिलाकर। प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव सिर्फ इतना-सा है कि अगर कोई आदमी धारा 31 के तहत निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है और वह...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री जी धारा 31 निर्वाचन की नहीं है, रिट पिटिशन की है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): धारा 31 में निर्वाचित सदस्य को जो हटाने का प्रोविजन दे रखा है, यदि चुनाव याचिका के द्वारा वह हटता है तो ही एक रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। चुनाव याचिका कब पेश होगी, सिर्फ एक महीने के अन्दर-अन्दर। अब जब चुनाव होते हैं तो मोटे तौर पर हर आदमी जुलूस निकालने में और खुशी में इतना टाइम बिता देता है कि उसे वस्तुस्थिति का पता ही नहीं लगता कि किसके खिलाफ क्या शिकायत आयी है। एक महीने के बाद जब मियाद निकल जाती है, तब अगर किसी को पता लगता है कि साहब, यह डिस्क्वालिफाइड है 14 और 21 के तहत, तो वह ऐसे में किससे क्या कहे? अदालत में तो जा नहीं सकता।

क्या करेगा, क्या उपचार है उसका? नतीजा यह होता है कि पांच साल तक वह बना रहता है वहां पर। बात इतनी-सी है। इसे इधर-उधर कर-कराकर आप लोगों ने पता नहीं क्या-क्या कहा। राठौड़ साहब, आपकी जैसी शैली है, आपकी शैली के बारे में तो खैर सब ही जानते हैं, बूंदी की तरफ देखकर कोटा का सत्यानाश करने वाले लोगों में से हैं आप। आपने कह दिया कि चूरू का 32 करोड़ रुपया मैं कोटा ले गया। कम से कम इस सदन में तो सच-सच बोलो। हर आदमी जानता है इस बात को तो। ऐसे तो मत करो। आपने कहा, प्रावधान होने के बाद की स्थिति में क्वालिफाई नहीं होने या डिस्क्वालिफाई होने पर लागू होते हैं। प्री-इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन के मामलों में सरकार के पास अभी तक कोई शक्तियां नहीं हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सरकार शक्ति इसलिए लेना चाहती है कि एक महीने के अन्दर-अन्दर अगर वह डिस्क्वालिफिकेशन के काबिल था और डिस्क्वालिफाई नहीं हुआ, नामान्तरकरण उसका मंजूर हो गया, चुनाव जीत गया, तो चुनाव जीतने के बाद में अगर एक महीने के अन्दर-अन्दर याचिका दायर नहीं हुई तो फिर वह पांच साल बना रहेगा कि नहीं? उसका बना रहना क्या गलत नहीं है? गलत है या नहीं? इसीलिए यह शक्ति ली जा रही है। या तो याचिका कर दे। कोई दिक्कत नहीं है। याचिका पर कोई पाबन्दी नहीं है। याचिका का जब फैसला होगा, तब हो जायेगा, लेकिन कोई आदमी याचिका नहीं करता है तो कहां जाएगा वह? यदि कोई सबूत, शिकायतकर्ता के पास आदमी आ जाता है कि यह आदमी डिस्क्वालिफाई होने के काबिल था और इसको डिस्क्वालिफाई गलती से नहीं किया गया, तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहे? आप यह चाहते हो कि डिस्क्वालिफाई होने के काबिल आदमी सत्ता पर बना रहे? हमारे मनोहर थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सभापति पत्नी बनी हुई है और उनका हजबैंड वहां काम करता है, तो उसका मैं क्या करूं, क्या कर लेगा कोई? उसको पूरा अधिकार है तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट आप इस पर दे रहे हो जो समझ में नहीं आ रहा।

राठौड़ साहब, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसी आपकी आदत है कि घुमा-फिराकर बात को इस तरीके से कहना जिससे जो नहीं जानते हैं उनके बात समझ में आ जाए कि यह बात सही होगी। जयपुर ग्रेटर की मेयर के बाबत आपने क्या कहा? कि, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा और उसको वापस भेज दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है? क्या है बताइये? मैं बैठ जाता हूं, आप बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने बिना जांच के जयपुर की मेयर को निलंबित किया। म्युनिसिपल एक्ट 2019 के प्रावधानों में जुडिशियल जांच सम्पन्न हो। इससे पहले आपने निलंबित किया, उसके लिए उन्होंने आपके उस आर्डर को सैट-असाइड किया। मंत्री महोदय, आप जो बात कह रहे हो, आप सेक्शन 39 (1) (c) पढ़कर सुना दो और उसके बाद अमेंडमेंट लेकर आये हो, वह मैं मान जाऊंगा कि बिलकुल सही लेकर आये हो। यह मत सोचो कि आप ही पढ़े-लिखे हो, हम अनपढ़ हैं। हो सकता है हम कम पढ़े लिखे हों। हो सकता है, हम गांव के हों।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह फैसला...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह एक गलती हो सकती है कि मैं गांव का हूं, ये कोटा शहर के हैं पर क्या गांव के आदमी में अक्ल नहीं हो सकती? थोड़ा बहुत तो आप देखो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करवा ली जाए, ठीक है तो जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए, पर यह नहीं कहा कि उसको रेस्टोर कर दो। इस पर लगाये गये आरोप गलत हैं, यह नहीं कहा। वहीं बात है कि आपने जिस तरीके की पिक्चर फ्रेम करने की कोशिश की उसमें तो यह था, यह तो निर्दोष थीं और इसको तो गलत तरीके से किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, मैं टोकना नहीं चाहता, हाईकोर्ट का फैसला आपको मालूम नहीं होगा। जिनकी बात को कहकर आप यहां से चिल्लाया करते थे न उन प्रांत प्रचारक निम्बाराम जी को क्लीनचिट भी दे दी और आपके खिलाफ स्ट्रक्चर भी पास कर दिया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह निम्बाराम जी की बात तो छोड़िये। निम्बाराम जी की बात छेड़ेंगे तो अभी अच्छा नहीं लगेगा और पूनियां साहब भी नाराज हो जाएंगे। वह फोटो दिखायें या यह दिखायें, उससे क्या फायदा? उस बात को आगे मत बढ़ाओ। मेहरबानी करके उस बात को आगे मत बढ़ाओ। उसको पर्दे में ही रहने दो आप। असलियत आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हाईकोर्ट से बड़े आप नहीं हो। कोर्ट का फैसला है, अब तो थोड़ी शर्म करो न कि हमसे वह कहने में गलती हो गयी। क्या गुरेज है? कोर्ट आप और हम सबसे बड़े हैं। वही कोर्ट है जिसने आपके त्याग पत्र के बारे में कुछ बात कही थी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आज भी जयपुर ग्रेटर की मेयर के खिलाफ जो जुडिशियल इन्क्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर की थी उसमें वह दोषी पायी गयी है। हमने उसको नोटिस दिया है, नोटिस का उन्होंने जवाब दे दिया और अब हमें विचार करना है। अब हम क्या करेंगे यह हमारे विचार की बात है। हकीकत यह है।

दूसरी बात, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अनेक लोग ऐसे हैं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जो चुनाव जीतकर आ जाते हैं, जो डिस्क्वालिफाई होने के काबिल थे लेकिन डिस्क्वालिफाई नामांकन करने के वक्त में नहीं हुए और न ही किसी ने अदालत के अन्दर एक महीने के अन्दर-अन्दर याचिका पेश की। एक महीने के बाद में अगर वह याचिका पेश करेगा तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। फिर रास्ता क्या है? यह समझा दो आप मुझे। अगर कोई दूसरा रास्ता है तो आप बता दो मुझे। अलावा इसके कि अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी बाकायदा जांच करवा ली जाए, उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच करवा ली जाए और जांच करवाने के बाद में फैसला ले लिया जाए। यह तो है ही नहीं कि आज जो शिकायत आएगी और शिकायत आते ही उसको हटा दिया जाएगा। इसीलिए राज्य सरकार यह शक्ति लेना चाहती है कि कहीं ऐसा न हो कि जो व्यक्ति डिस्क्वालिफाई होने के काबिल था और वह पांच साल तक सदस्य बना रहा। 14 और 21 के तहत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था और 14 और 24 के तहत चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालिफाई था, उसे कैसे हटाया जाए, कोई रास्ता ही नहीं है। है कोई रास्ता तो वह बताओ आप? उसका सुझाव दे दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप 39 (1) (c) पढ़ लो। आप अफसरों से मंगवा लो। इसी का सेक्शन 39 (1) (c) पढ़ लो, उसमें सारे प्रोविजन हैं। सेक्शन 14 का भी है, 21 का भी और 24 का भी है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको वह पढ़कर भी सुना दूंगा कि कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रोविजंस हैं वे डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन तो बिलकुल अलग हैं। 39 में जो 12-13 दे रखे हैं वे सारे के सारे अलग हैं, ये रहे, ये देखिये आप। मैं पढ़कर सुना दूं आपको डिस्क्वालिफिकेशन के? जिसके न्यायालय द्वारा नैतिक....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 39 (1) (c) को पढ़ लें आप। सभापति महोदय, 39 (1) (c) सेक्शन 1 (d) के बाद ये सेक्शन (e) इंसर्ट कर रहे हैं तो ये सेक्शन 39 (1) (c) पढ़कर सुना दें तो सारी बात मान लेंगे, उसमें बहस की बात ही नहीं है। कानून में क्या बात है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं बता रहा हूं न आपको डिस्क्वालिफिकेशन का। आप कहते हो कि डिस्क्वालिफिकेशन का आलरेडी प्रोविजन है, तो मैं बता रहा हूं कि कौन

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कौन से हैं। उनमें यह नहीं आता। अगर आता होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। मोरल टर्पिट्यूड के अपराध के लिए या किसी भी अन्य अपराध के लिए कन्विक्शन किया गया हो तो छह मास या अधिक के कारावास की सज़ा सुनाई गयी हो। सरकारी नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण करके कन्विक्शन किया गया हो। उसके विरुद्ध न्यायालय के ऐसे अपराध संज्ञान में ले लिए गये हों और चार्ज भी फ्रेम कर दिया गया हो जो पांच वर्ष या पांच वर्ष से अधिक के कारावास के लिए दण्डनीय हो, जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन किसी अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया हो। जिसके विरुद्ध सीआरपीसी, 1973 के 110 व 117 के अधीन कार्यवाही की गयी हो। लोकल अथोरिटी के दुराचरण मिस-कंडक्ट के कारण डिसमिस या रिमूव कर दिया गया हो। जो ऐसे प्रोफेशनल प्रेक्टिशनर्स रह चुके हों जिसे किसी सक्षम अधिकारी ने डिबार कर दिया हो और जिसे राज्य सरकार के द्वारा धारा 41 के तहत निर्वाचन लड़ने के लिए डिस्क्वालिफाई कर दिया गया हो। इस प्रकार से ये 12-13 और डिस्क्वालिफिकेशंस हैं और कहीं पर भी इस प्रकार का नहीं है। मुझे तो आप एक रास्ता बता दो। इधर-उधर बात करने के बजाय इधर ध्यान दो, बात सुनो। बाकायदा जवाब सुनो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुझे इजाजत दो तो मैं पढ़कर सुना दूं आपको?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजें। मंत्री महोदय। यह वाद-विवाद का विषय नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया कि एक महीने के अन्दर-अन्दर कोई याचिका करने नहीं गया तो यह बता दो कि जो डिस्क्वालिफिकेशन रखता है उसको डिस्क्वालिफाई करने का रास्ता क्या है, इसका जवाब दे दो आप मुझे। सवाल यह है कि सरकार शक्ति इसलिए लेना चाहती है क्योंकि अब धारा 39 की उप धारा 1 में (e) नया खण्ड इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि यदि निर्धारित समय में चुनाव याचिका दायर कर उसके निर्वाचन को चुनौती नहीं दी गयी तो उस अवधि को समाप्त होने के बाद, एक महीने का टाइम देंगे उसको, याचिका हो गई कोई बात नहीं, याचिका का फैसला आ जाएगा, याचिका नहीं हुई तो फिर एक महीने के बाद जांच करके राज्य सरकार उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है, इसलिए यह लाया गया है।

श्री सभापति: मुझे सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 5 से साढ़े 6 बजे तक सेमिनार होगी, मेरा आप सभी से आग्रह है कि 5 से साढ़े 6 बजे तक आप सभी उपस्थित रहेंगे।

मुझे यह भी सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अन्तरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष, 2023 के अवसर पर पोषण से परिपूर्ण श्रीअन्न की जानकारी आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर जानकारी दी जा रही है। राजस्थान को श्रीअन्न की जननी माना जाता रहा है और यहां के समाज के खान-पान में आवश्यक अवयव रहा है। आज इस अवसर पर सेमिनार के पश्चात् श्रीअन्न युक्त भोज की व्यवस्था की गई है। आप सभी माननीय सदस्य इस कार्यक्रम के पश्चात् भोज में सादर आमंत्रित हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2, कोई संशोधन नहीं।

(स्वीकृत)

खण्ड 2, स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2023 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.02 बजे मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

मालपुरा उपखण्ड में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना

411. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नवीन राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा में उक्त महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवीन राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिष्द, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित विस्तृत मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा का उपखण्ड मालपुरा, टोंक जिले के अन्तर्गत आता है। वर्तमान में टोंक जिले में 01 राजकीय एवं 01 निजी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय संचालित है जिनमें सत्र 2022-23 में प्रवेश क्षमता एवं प्रवेशित विद्यार्थी का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	पॉलीटेक्निक	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित विद्यार्थी
1	राजकीय	220	26
2	निजी	240	00
कुल		**460**	**26**

जिला टोंक में सत्र 2022-23 में कुल 460 प्रवेश क्षमता के विरुद्ध मात्र 26 प्रवेश ही हुए हैं।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखंड मालपुरा में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डेगाना (नागौर) के उप जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा

360. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डेगाना (नागौर) के उप जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो सरकार विशेषज्ञ रेडियोलॉजी चिकित्सक व सोनोग्राफी मशीन की सुविधा कब तक उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बजट घोषणा में उक्त अस्पताल को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया था? उक्त का भवन निर्माण अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो सरकार नये भवन के निर्माण हेतु कब तक वित्तीय स्वीकृति जारी कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उप जिला अस्पताल डेगाना (नागौर) हेतु पीआईपी एनएचएम वर्ष 2023-24 में सोनोग्राफी मशीन का क्रय प्रस्तावित है।

उक्त संस्थान में कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियो) का 01 पद स्वीकृत है, जो वर्तमान में रिक्त है।

पदोन्नति से रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथा सम्भव शीघ्र लगाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) जी हां। बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या 49/2022-23 दिनांक 01.07.2022 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डेगाना जिला नागौर को 75 शैयाओं से बढ़ाकर 100 शैयाओं में वृद्धि कर उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की अतिरिक्त पदों सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

जिसके भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में भूमि, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर भवन निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना, धावास में सरकारी अस्पताल

361. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना धावास, जयपुर में सरकारी अस्पताल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भारत सरकार के प्रावधानुसार राष्ट्रीय शहरी मिशन के अन्तर्गत ऐसे शहर जिनकी शहरी जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 5 लाख से अधिक है, उनमें प्रति 2.5 लाख की आबादी पर एक शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 50,000 की शहरी आबादी पर 01 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का वर्तमान में प्रावधान है।

वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी मिशन के अन्तर्गत विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना, धावास में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जनता क्लीनिक खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर पंचायत समिति झोटवाड़ा जिला जयपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

ऐलोपैथी चिकित्सक भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस अंक

362. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा ऐलोपैथी चिकित्सक भर्ती में NHM, UTB तथा कोविड महामारी के दौरान माह मार्च, 2020 से माह मार्च, 2022 तक संविदा, यूटीवी पर कार्यरत तथा वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंक दिये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो उक्त का क्रियान्वयन कब से होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गजराज खटाणा)

(2) क्या सरकार NHM, UTB पर कार्यरत चिकित्सकों को चिकित्सक भर्ती में 10, 20, 30 अंक अनुभव वर्षों के आधार पर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। एनएचएम, यूटीबी तथा कोविड महामारी के दौरान कार्यरत रहे चिकित्सकों को नियमित चिकित्सा भर्ती में बोनस अंक दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

पिंडवाड़ा-आबू में भामाशाह पशु बीमा योजना

363. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विगत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा किया गया व कितने पशुपालकों को लाभान्वित किया गया? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में विगत 4 वर्षों (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) में भामाशाह पशु बीमा योजना संचालित नहीं होने के कारण कोई बीमा नहीं किया गया है।

केन्द्रीय प्रवर्तित पशुधन बीमा योजना 1 अक्टूबर, 2022 (वर्ष 2022-23) से प्रारम्भ हुई है जिसके अन्तर्गत दिनांक 13.03.2023 तक विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में 59 पशुपालकों के कुल 104 पशुओं का बीमा किया गया है।

मकराना में नवीन पशु चिकित्सालय

364. श्री रूपा राम (मकराना): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा उपकेन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं का स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2023-24 के लिए की गई बजट घोषणा में प्रदेश की 2639 पशु चिकित्सा संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने तथा 100 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किये जाने प्रस्तावित हैं।

पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डग में सिंचाई परियोजना से लाभान्वित गांव

365. श्री कालूराम (डग): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में गागरीन सिंचाई परियोजना में कितनी लम्बाई में नहर बन चुकी है तथा उक्त से कितने गांवों को लाभ मिलेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त सिंचाई परियोजना व राजगढ़ सिंचाई परियोजना तथा भिमनी सिंचाई परियोजना में कितने किसानों को मुआवजा दिया गया व कितनों को मुआवजा दिया जाना शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में गागरीन मध्यम सिंचाई परियोजना में 37 किमी. लम्बाई में नहर बन चुकी है। परियोजना के पूर्ण होने पर 32 गांवों को लाभ मिलेगा, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग में गागरीन सिंचाई परियोजना, राजगढ़ सिंचाई परियोजना व भिमनी लघु सिंचाई परियोजना में मुआवजा भुगतान किये गये एवं मुआवजा भुगतान से शेष रहे हितधारियों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

हिण्डौन सिटी के ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना

366. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन सिटी के कितने ग्रामों को जल जीवन मिशन योजना से जोड़ा जा चुका है व शेष ग्रामों को कब तक जोड़ दिया जायेगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन सिटी के सभी 131 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर क्रियाशील जल सम्बन्ध द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 100 अन्य योजनाओं (वृहद् परियोजनाओं के अतिरिक्त) की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है। इन स्वीकृत 100 योजनाओं में से 77 योजनाओं (96 ग्रामों) का कार्य प्रगतिरत है। शेष 23 योजनाओं (35 ग्रामों) की निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। इन सभी योजनाओं का कार्य चरणबद्ध रूप से माह मार्च, 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। योजनावार स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कठूमर में जल जीवन मिशन योजना में स्वीकृत ग्राम

367. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र कठूमर के कितने ग्राम जल जीवन मिशन में स्वीकृत हुए हैं व उक्त के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई है एवं कितने ग्रामों में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा कितने ग्रामों में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कुल 198 ग्राम अवस्थित हैं। इनमें से 79 ग्रामों को जल जीवन मिशन अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु 70 जल योजनाओं की राशि रुपये 110.01 करोड़ की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है। इसमें 19 ग्रामों की 17 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिन्हें

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

चरणबद्ध रूप से माह दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। शेष 60 ग्रामों की 53 जल योजनाओं की निविदाओं के संबंध में भू-जल आधारित योजनाओं की स्रोत निर्धारण समिति की रिपोर्ट पर सक्षम स्तर पर निर्णय उपरान्त कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर (पूर्व) में खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवार

368. सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर-पूर्व): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) में कुल कितने परिवार खाद्य सुरक्षा योजना हेतु पात्र हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना से वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) में कुल 27,406 परिवार खाद्य सुरक्षा प्राप्ति हेतु पात्र हैं।

(2) भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद सम्भव हो सकेगा

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की क्रियान्विति के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल खोला जाकर आवेदन पत्र प्राप्त किये गये नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अलवर जिले में खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की कार्ययोजना

369. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की अपील उप खण्ड अधिकारी के पास की जाती है? यदि हां, तो प्रदेश में माह जनवरी,

(श्री बलजीत यादव)

2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक किस-किस जिले में कितने नाम जोड़े गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का पोर्टल बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(3) जिला अलवर में माह अप्रैल, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितने नाम जोड़े गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर 2022 तक जोडे गये नामों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है

(2) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की क्रियान्विति के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2022 व दिनांक 13.05.2022 को मध्य रात्रि से 28.05.2022 मध्य रात्रि तक खोला जाकर आवेदन पत्र प्राप्त किये गये नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद सम्भव हो सकेगा।

(3) जिला अलवर में माह अप्रैल, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक जोड़े गये नामों का विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

तूंगा (बस्सी) के रीको क्षेत्र में सुविधाएं

370. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में तूंगा औद्योगिक क्षेत्र (रीको) में फार्म भरे गये हैं? यदि हां, तो कितने फार्म भरे गये? उक्त

(श्री गोपाल लाल मीना)

आवेदकों की क्या पात्रता रखी गई? आवेदकों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में रीको द्वारा क्या-क्या सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं एवं उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र तूंगा में माह दिसम्बर, 2022 में भूखण्डों के आबंटन ई-नीलामी के माध्यम से प्रारम्भ किये गये। नीलामी में कुल 25 भूखण्डों के आबंटन हेतु कुल 335 उद्यमियों ने भाग लिया।

आवेदकों को ई-नीलामी में भाग लेने हेतु आरक्षित दर के अनुसार भूमि की कुल कीमत प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत राशि ईएमडी के रूप में जमा करवाने की पात्रता रखी गयी थी। ई-नीलामी में भाग लेने वाले आवेदकों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र तूंगा की निगम को आबंटित सम्पूर्ण भूमि पर बाउण्ड्री पिलर एवं प्रथम चरण के जोन 'ए' में सड़क निर्माण कार्य व प्लाट डिमार्केशन के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इन आधारभूत सुविधाओं पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नवीन बसों का संचालन

371. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कितनी बसें बन्द की गईं व कितनी नवीन बसें प्रारम्भ की गईं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रदेश में 473 बसें बन्द की गईं तथा 197 बसें नवीन प्रारम्भ की गई हैं।

लोक परिवहन बसों का संचालन

372. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हाकम अली खां)

(1) प्रदेश में लोक परिवहन बसों का संचालन कब से किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त परिवहन सेवा की बसों के परमिट का नवीनीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में लोक परिवहन बसों का संचालन दिसम्बर 2015 से किया जा रहा है। (अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।)

(2) जी हां। सरकार लोक परिवहन सेवा की बसों के परमिट नवीनीकरण मो.वा.अ. 1988 की धारा 81 एवं राज. मो.वा.नि. 1990 के नियम 5.27(2) एवं राज्य परिवहन प्राधिकार के प्रस्ताव संख्या एस.टी.ए./01/2021/9114 दिनांक 21.05.2021 के अंतर्गत 8 वर्ष तक पुराने वाहनों के अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण किया जा रहा है। अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

घाटोल में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

373. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल के मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण जनजाति बालक, बालिकाओं को निजी महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उपखण्ड पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ में राजकीय क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट संचालित है।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के घाटोल उपखण्ड पर निजी क्षेत्र में 08 महाविद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

करौली जिले में गिट्टी क्रेशर हेतु विद्युत कनेक्शन

374. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला करौली में कितने गिट्टी बनाने वाले क्रेशर हैं, जिन पर विद्युत कनेक्शन हैं? कनेक्शन का प्रकार एवं प्रतिमाह खपत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्रेशर कम उत्पादन वाले हैं, जबकि उनके द्वारा किया जाने वाला विद्युत उपभोग बड़े क्रेशर के समान है? यदि हां, तो उक्त क्रेशरों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला करौली में गिट्टी बनाने वाले 27 क्रेशरों पर विद्युत कनेक्शन स्थापित है। कनेक्शनों के प्रकार एवं प्रतिमाह ऊर्जा खपत का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उक्त विद्युत कनेक्शन धारकों द्वारा सामान्यतया स्वीकृत भार/कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड के अनुसार ही विद्युत का उपभोग किया जा रहा है। स्वीकृत विद्युत भार से अधिक विद्युत भार काम में लेने पर निगम में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ में किसानों को जारी कृषि कनेक्शन

375. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों को कृषि कनेक्शन देने हेतु नई नीति बनाई गई है?

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक नवीन कृषि कनेक्शन हेतु कितने डिमाण्ड नोटिस जारी किये गये? उनमें से कितने कनेक्शन दिये जा चुके हैं एवं कितने शेष हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु समय-समय पर "कृषि नीति" बनाई जाती है। वर्तमान में कृषि कनेक्शन नीति-

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

2017 (संशोधित 31.01.2022) के प्रावधानानुसार किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में माह जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक नये कृषि कनेक्शनों हेतु जारी मांग पत्र, जारी किये गये कृषि कनेक्शन एवं शेष रहे कृषि कनेक्शनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पचपदरा में नवीन जीएसएस का निर्माण

376. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु नये 33/11 केवी जीएसएस निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रस्ताव के अनुसार जीएसएस का निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण व निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये विद्युत तंत्र पर उपलब्ध भार व भविष्य में आने वाले भार के अनुरूप समय-समय पर नवीन 33/11 केवी विद्युत सब-स्टेशनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में वर्तमान में प्रस्तावित नवीन 33/11 केवी सब-स्टेशनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त प्रस्तावों के तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर स्वीकृति जारी कर निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सादुलपुर में राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना

377. श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। सादुलपुर जिला चूरू एवं संभाग बीकानेर में आता है। बीकानेर संभाग में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर में वर्ष 2022 में कुल सीटों 1148 के विरुद्ध 315 प्रवेश हुए हैं एवं बीकानेर संभाग में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 03 निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं जिनमें वर्ष 2022 में कुल सीटों 770 के विरुद्ध 393 प्रवेश हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वर्तमान में सादुलपुर में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)